Wednesday, 18 August, 1965

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

[खंड 44 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 3—बुधवार, 18 अगस्त, 1965/27 श्रावण, 1887 (शक)

No. 3—18*th August*, 1965/27*th Sravana*, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ ORAL ANSWERS TO QUESTIONS —

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
61.	उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plants	235
62.	सरकारी कर्मचारियों तथा जनता के प्रतिनिधियों के पारस्परिक सम्बन्ध	Relationship between Govt. Servants and People's Representatives	240
63.	मिट्टी के तेल व डीज़ल तेल की कमी	Shortage of Kerosene and Diesel Oil	243
64.	एवरेस्ट पर भारतीय अभियान	Indian Everest Expedition	247
65.	शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन	Education Ministers' Conference	249
66.	भारतीय वैज्ञानिक	Indian Scientists . . .	254

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
67.	गृह मंत्रियों का सम्मेलन	Home Ministers' Conference .	255
68.	तकनीकी कालेजों में प्रवेश शुल्क	Entrance Fees to Technical Colleges	256
69.	पूर्वी पाकिस्तान से व्यक्तियों का आना	Migration from East Pakistan .	257
70.	हल्दिया तेल शोधक कारखाना	Haldia Refinery	257

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
71.	मद्य निषेध Prohibition	258
72.	शिक्षा आयोग Education Commission . . .	258
73.	अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी Pakistani Infiltrants . .	259
74.	समान रूप की शिक्षा प्रणाली तथा पाठ्य पुस्तक Uniform Pattern of Education and Text Books	259
75.	त्रिभाषा सूत्र Three Language Formula	260
76.	जनता की शिकायतें दूर करना Redress of Public Grievances . .	261
77.	अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में एकता की भावना उत्पन्न करना Integration of Aligarh University Students	261
78.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय Aligarh Muslim University	262
79.	दिल्ली के लिये नई व्यवस्था New set-up for Delhi	263
80.	पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी Arrest of Pakistani Spies	263
81.	राजभाषा अधिनियम Official Languages Act .	264
82.	अन्तर्सत्रावधि में मंत्रियों की विदेश यात्राएं Minister's Tours abroad in inter-session period	265
83.	शेख अब्दुल्ला Sheikh Abdullah	265
84.	जम्मू तथा काश्मीर के संसद्-सदस्य M.Ps. from Jammu and Kashmir	266
85.	गांधी जी की हत्या के बारे में जांच Enquiry into Gandhiji's Assassination .	266
86.	अध्यापकों के वेतन क्रम Pay Scales of Teachers	267
87.	आसाम में शान्ति तथा सुरक्षा स्थिति Peace and Security Position in Assam	267
88.	कैरों हत्याकांड Kairon Murder Case	268
89.	ब्रिटेन के पत्रकार की शेख अब्दुल्ला से भेंट Meeting of U.K. Journalist with Sheikh Abdullah	269

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
90.	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये माध्यम	Media for U.P.S.C. Examination	270
अता० प्र० सं० U. Q. Nos.			
155.	संस्कृत पुस्तक	Sanakrit Books	270
156.	केरल में फायर स्टेशन	Fire Stations in Kerala .	271
157.	एर्णाकुलम में सिविल लाइन्स	Civil Lines in Ernakulam .	271
158.	कोचीन विकास प्राधिकार	Cochin Development Authority	271
159.	तिहाड़ जेल में नज़रबन्द व्यक्ति	Detenus in Tihar Jail . .	272
160.	केरल लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती	Recruitment through Kerala Public Service Commission	272
161.	केरल में स्कूल अध्यापक	School Teachers in Kerala . .	273
162.	केरल में पुरानी पाठ्य पुस्तकों की बिक्री	Sale of obsolete Text Books in Kerala	273
163.	राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनायें	Notifications published in Gazette .	274
164.	गुजरात में तेल के कुएं खोदना	Drilling of Oil Wells in Gujarat .	274
165.	दिल्ली में रात्रि में गश्त लगाना	Night Patrolling in Delhi .	274
166.	परिषदों के लिये आदर्श रूप हिदायतें	Model Instructions for Councils	275
167..	परिषदों के आदर्श रूप विधान	Model Constitution of Council	275
168.	बम्बई के निकट स्मारक	Monument near Bombay	275
169.	भारत—अरब सम्बन्धों संबंधी गोष्ठी	Seminar on Indo-Arab Relations	275
170.	कुश्ती प्रतियोगिता	International Wrestling Competition	276
171.	नेफा का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण	Socio-Economic Survey of NEFA	276
172.	नेफा में प्रशासनिक सुधार	NEFA Administrative Reforms	277

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
173.	सप्रू समिति की रिपोर्ट Sapru Committee Report	277
174.	दिल्ली में कारों तथा स्कूटरों की चोरी Car/Scooter Thefts in Delhi	278
175.	दिल्ली में पाकिस्तानी जासूसों का गिरोह Pak. Spy Ring in Delhi	278
176.	दिल्ली में स्कूल शिक्षा Education in Delhi	279
177.	कालेजों में अध्यापकों व विद्यार्थियों का अनुपात Teacher-Pupil Ratio in Colleges	279
178.	पेट्रोलियम उत्पादों की मांग Requirements of Petroleum products	280
179.	नेफा से वापस भारत भेजे गये भारतीय जन Indian Repatriates from Ceylon	280
180.	बरौनी तेल शोधक कारखाने के निकट पेट्रो-केमिकल उद्योग संगम Petro-Chemical Complex near Barauni Refinery	281
181.	दिल्ली की यातायात समस्यायें Traffic Problems in Delhi	281
182.	वाम पंथी साम्यवादियों की रिहाई Release of Left Communist	282
183.	व्हिटले परिषद् Whitley Councils	282
184.	दिल्ली में भयोत्पादक विनोद-पत्रिकायें (हारर कामिक्स) Horror Comics in Delhi	282
185.	दिल्ली पुलिस के लिये उचित मूल्य वाली दुकानें Fair Price Shops for Police	283
186.	अन्दमान में उच्च शिक्षा Higher Education in Andamans	283
187.	बुनियादी शिक्षा Basic Education	284
188.	ऋण छात्रवृत्ति योजना Loan Scholarship Scheme	284
189.	दिल्ली में तकनीकी शिक्षा Technical Education in Delhi	284
190.	जैसलमेर में तेल Oil in Jaisailmer	285
191.	दिल्ली में निजी अध्यापन संस्था Private Teaching Institutes of Delhi	285

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
192	अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्	National Council of Researsh and Training . .	285
193	प्रव्रजकों की जांच पड़ताल	Screening of Migrants . . .	286
194	बेलगांव–कारवार सीमा विवाद	Belgaum-Karwar Border Dispute .	287
195.	माना शिविर में गोलीकांड	Firing in Mana Camp . .	287
196	वैस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम की यात्रा	Visit of West Indies Cricket Team .	287
197	प्रशासनिक सेवाओं में दोष	Defects in Administrative Services .	288
198	आसाम–पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर दो मील चौड़ी पट्टी	Two-mile deep belt on Assam-East Pak Border	288
199	आसाम में पाकिस्तानियों द्वारा जासूसी	Pak Espionage in Assam . .	289
200	गोआ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	Central Government Employees in Goa	289
201	विश्वविद्यालयों में एक वर्ष का अध्यापन पाठ्यक्रम	One-Year Teaching Course in Universities	289
202	गोहाटी शोधनशाला	Gauhati Refinery	290
203	मेरठ विश्वविद्यालय	Meerut University . . .	290
204	शिक्षा मंत्री को धमकी भरे पत्र	Threatening Letters to Education Minister	291
205	दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन	Salary to D.M.C. Employees . .	291
206	नुबियन स्मारक	Nubian Monuments . . .	292
207	बर्मा शैल के साथ तेल-शोधन क़रार	Refining Agreement with Burmah Shell	292
208	तालुकदार समिति	Talukdar Committee . .	293
209	त्रिभुवन विश्वविद्यालय की उपाधियां	Degrees of Tribhuvan University .	293
210	शिक्षा तथा रोजगार	Education and Employment . .	293

तारां० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
211	अलवाय और त्रिवेन्द्रम में पुलिस	Police Set up in Alwaye and Trivandrum	294
212	अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान	International Indian Ocean Expedition	294
213	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा	All India Judicial Service	295
214	उत्तर भारत में आंधी-तूफान	Cyclone in Northern India	295
215	पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन	Migration from East Pakistan	295
216	नेहरू उच्च शिक्षा अकादमी	Nehru Academy of Higher Learning	296
217	सेवाओं तथा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार	Graft in Services and Public Life	296
218	हिन्दी-भाषी राज्यों से पत्र-व्यवहार	Correspondence with Hindi-speaking States	297
219	केरल विश्वविद्यालय-परिषद्	Council of Kerala University .	297
220	भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों की पैरोल पर रिहाई	Release of D.I.R. Prisoners on Parole	298
221	दण्डकारण्य में विस्थापित व्यक्तियों का बसाया जाना	Rehabilisation in Dandakaranya	298
			–
222	काश्मीर के सिनेमा-घरों में राष्ट्रगान	National Anthem in Cinema Shows in Kashmir	298
223	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं	U.P.S.C. Examinations .	299
224	पेट्रोलियम उत्पादनों का संभरण तथा वितरण	Supply and Distribution of Petroleum Products . . .	299
225	दिल्ली में मकानों का निर्माण	Construction of Houses in Delhi .	300
226	केरल में मद्य निषेध	Prohibition in Kerala . . .	300
227	स्मारकों का परिरक्षण	Preservation of Monuments .	300
228	त्रिपुरा में पुनर्वास	Rehabilitation in Tripura . .	300
229	त्रिपुरा में रहने वाले परिवारों को सहायता	Assistance to Tripura families	301

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
231	अध्यापकों के लिये होस्टल तथा क्वार्टर	Hostels and Quarters for Teachers .	301
232	दिल्ली वक्फ बोर्ड	Delhi Wakf Board	302
233	जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के स्टाल में नक्शा	Map in German Democratic Stall	
234	आदिवासियों को फिर से बसाना	Rehabilitation of Adivasis	303
235	नजरबन्दियों का छमाही पुर्नविलोकन	Six-monthly Review of Detentions .	303
236	आसाम के पहाड़ी जिलों के लिये विश्वविद्यालय	University for Hill Districts of Assam	303
237	तीव्रगति डीजल तेल का सम्भरण	Supply of High Speed Diesel Oil .	304
238	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों द्वारा अभ्यावेदन	Representations by Class I Officers .	304
239	नामरूप में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant at Namrup .	305
240	आसाम में उर्वरक कारखाना	Fertiliser Plant in Assam . .	305
241	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जम्मू और काश्मीर का सर्वेक्षण	Survey of Jammu and Kashmir by Oil and Natural Gas Commission .	306
242	जाली इंजीनियरी कालिज	Fictitious Engineering Colleges .	306
243	गुजरात में पेट्रो-केमिकल उद्योग	Petro-Chemical Industry in Gujarat	306
244	वाणिज्य तथा व्यवसाय-प्रशासन विषयक राष्ट्रीय डिप्लोमा	National Diploma in Commerce and Business Administration . .	307
245	श्री बी० के० आहूजा द्वारा आत्महत्या	Suicide by B. K. Ahuja	308
246	सिरमौर की गद्दी	Sirmur Gaddi	308
247	संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा का संयुक्त संवर्ग	Combined Cadre for I.A.S. and I.P.S. for Union Territories . . .	309

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
248	त्रिपुरा में नज़रबन्द व्यक्ति	Detenus in Tripura	309
249	त्रिपुरा के नज़रबन्द व्यक्तियों की याचिका	Petition of Tripura Detenus	309
250	कीटनाशक दवाइयों की कमी	Shortage of Pesticides	310
251	गंधक की कमी	Shortage of Sulphur	311
252	इस्लामपुर का किला	Islampur Fort	311
253	केरल के लिये ऋण-छात्र-वृत्तियां	Loan Scholarships for Kerala	312
254	पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास	Rehabilitation in West Bengal	313
255	दिल्ली में बदमाश व्यक्ति	Bad Characters in Delhi	314
256	गांधी भवन	Gandhi Bhavan	314
257	अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	Compulsory Primary Education	314
258	लालगंज में पाकिस्तानी एजेन्ट	Pakistani agent in Lalganj	315
259	जापान में पाई गई भारतीय पाण्डुलिपियां	Indian Manuscripts Found in Japan	315
260	विद्रोही नागाओं द्वारा आदिम जाति के मखिया का मारा जाना	Tribal Chief Killed by Rebel Nagas	315
261	विदेशी शिक्षक	Foreign Tutors	316
262	धर्मनिर्पेक्ष शिक्षा	Secular Type of Education	316
263	इन्द्रावती बेसिन में शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation in Indravati Basin	316
264	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के सेवा-काल में वृद्धि	Extensions to Class I Officers	317
265	केन्द्रीय सचिवालय में असिस्टेन्ट	Assistants in Central Secretariat	318
266	क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें	Meetings of Zonal Councils	318
267	राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय	Sanskrit University in Rajasthan	318
268	लड़कियों के कालेजों में विज्ञान की शिक्षा	Science in Girls Colleges	318

अता० प्र० संख्या/U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
269	दिल्ली में तम्बुओं में स्कूल	Schools in tents in Delhi . .	319
270	कच्चे तेल पर रायल्टी	Royalty on Crude Oil . . .	319
271	स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास	History of Freedom Movement	319
272	विदेशी लेखकों को रायल्टी	Royalty to Foreign Authors .	320
273	पूर्वी जर्मनी की अध्ययन-यात्रा	Study Tour of East Germany .	320
274	फिनलैंड को वस्तुशास्त्री	Architects to Finland	321
275	गैस की कीमत	Price of Gas . . .	221
276	मिट्टी के तेल की कीमत	Price of Kerosene Oil . . .	321
277	खाद्यान्न की दुकानों का लूटा जाना	Looting of Foodgrains Shops . .	322
278	प्रशासक संस्था	Publishers' Association . .	323
279	संयुक्त परामर्श व्यवस्था	Joint Consultative Machinery . .	323
280	गैस का प्रयोग	Use of Gas	324
281	तिहाड़ जेल में नज़रबन्दियों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike by Detenus in Tihar Jail	325
282	अन्तर्राष्ट्रीय रहन-सहन सम्बन्धी केन्द्र	Centre for International Living .	325
283	पाकिस्तानी नागरिकों को देश से निकालने सम्बन्धी प्रक्रिया	Procedure for Deportation of Pakistani Nationals	325
284	पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात	Export of Petroleum Products .	326
285	प्रादेशिक भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें	Text Books in Regional Languages	326
286	बरौनी तेल शोधनशाला की पाइप लाइन	Barauni Oil Refinery Pipeline .	327
287	साइकल चोरों के विरुद्ध अभियान	Drive against cycle thieves . .	327
288	विदेशों से आने वाली टीमें	Foreign Visiting Teams . .	328

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
289	भारत–पाकिस्तान सीमा पर स्थिति — Situation on Indo-Pak. Borders	329
290	तेल मिलने की संभावनाओं के बारे में रूसी विशेषज्ञ का प्रतिवेदन — Report by Russian Expert on Oil Prospects . . .	329
291	वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये औजारों का आयात — Import of Instruments for Scientific Research . .	329
292	मानव शास्त्र का अध्ययन — Study of Humanities .	330
293	अनुसन्धान संस्थाओं के लिये रूसी सहायता — Soviet Assistance for Research Institutions .	330
294	विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम — Curriculm in Universities	330
295	दार्जीलिंग में साम्यवादियों की गतिविधियां — Communist activity in Darjeeling	331
ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)	Re : Calling Attention Notice—(Query)	331
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to matter of urgent Public Importance—	331
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने की धमकी के समाचार	Reported Threat of Resignation by the Doctots of the Central Government Health Scheme . .	331
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	331
श्री पू० शे० नास्कर	Shri Po. Say. Nashker .	331
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	
पंजाब उच्च न्यायालय की सर्किट बैंच के समक्ष श्री मधु लिमये की लेख याचिका	Writ Petition by Shri Madhu Limaye before the Circuit Bench of Punjab High Court . . .	398
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	339
अनुदानों की अनुपूरक मांग (सामान्य), 1965-66	Demands for Supplementary Grants (General) 1965-66 . . .	344
विवरण प्रस्तुत	Statement Presented	
कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Employees' State Insurance (Amendment) Bill—Introduced . .	344

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
गुजरात–पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान करार के बारे में प्रस्ताव	Motion *Re* : Indo-Pakistan Agreement on Gujarat-West Pakistan Border— .	345
श्री लाल बहादुर शास्त्री .	Shri Lal Bahadur Shastri .	345
बैंकिंग विधियां (सहकारी समितियों पर लागू करना) विधेयक .	Banking Laws (Application to Co-operatives Societies) Bill— . .	353
खण्ड 3 से 14 तथा 1 .	Clauses 3 to 14 and 1	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	Motion to pass as amended .	353
श्री ब० रा० भगत . .	Shri B. R. Bhagat	353
बीज विधेयक . . .	Seeds Bill—	
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	357
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	357
श्री सरजू पाण्डेय .	Shri Sarjoo Pandey	357
श्री श्रीनारायण दास .	Shri Shree Narayan Das	357
श्री दे० शि० पाटिल .	Shri D. S. Patil	357
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh	357
श्री गौरीशंकर कक्कड़	Shri Gauri Shankar Kakkar .	357
श्री प्र० र० पटेल	Shri P. R. Patel .	357
श्री मोहन स्वरूप . .	Shri Mohan Swarup	357
श्रीमती सहोदरा बाई राय .	Shrimati Sahodra Bai Rai	360
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya	360
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	Shri Narendra Singh Mahida	360
श्री फ० गो० चेन .	Shri P. G. Sen .	360
श्री दे० जी० नायक .	Shri D. J. Naik .	360
कम्पनीज (दूसरा संशोधन) विधेयक	Companies (Second Amendment) Bill .	362
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as reported by Joint Committee .	362
श्री ति० त० कृष्णमाचारी .	Shri T. T Krishnamachari	362
श्री नारायण दांडेकर .	Shri N. Dandeker	363
श्री हिम्मतसिंहका .	Shri Himatsingka .	364

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 18 अगस्त, 1965/27 श्रावण, 1887 (शक)

Wednesday, August 18, 1965 / Sravana 27, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उर्वरक कारखाना

+

*61. श्री हेम बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विद्याचरण शुल :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती तार के श्वरी सिन्हा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दाजी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री व० बा० गांधी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री राम हरख यादव :
श्री कनकसबै :
श्री रामपुरे :

क्या पेट्रोलियम और रसायनमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में उर्वरक के कारखाने खोलने के सम्बन्ध में पश्चिमी औद्योगिक निगम के साथ बातचीत की है ;

(ख) यदि हां, तो जो बातचीत हुई है तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी विदेशी फर्म के साथ कोई करार हुआ है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :(क) से (ग). जी हां, किन्तु बातचीत निष्फल सिद्ध हुई ।

श्री हेम बरुआ : उर्वरक उत्पादक का जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार दूर भविष्य में उल्लेखनीय उत्पादन करने के लिये प्रयत्नशील है । इस सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का चतुर्थ योजना के दौरान 5 उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का विचार है ?

श्री अलगेशन : जी हां, बेचटेल के सहयोग से जो कुछ हम कर सकते हैं वह करने का प्रयत्न कर रहे हैं । 5 में से 4 के लिये अर्थात् कोचीन, मद्रास, कानपुर और दुर्गापुर के लिये पार्टियां निर्धारित कर ली गई हैं । इन पांच स्थानों पर हम संयंत्र स्थापित करने जा रहे हैं ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : हम पांच ही नहीं पांच से भी अधिक संयंत्र लगाने वाले हैं ।

श्री हेम बरुआ : यह अच्छी बात है कि 5 से अधिक संयंत्र लगाये जा रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि पांच अथवा अधिक संयंत्रों के बाद लक्ष्य प्राप्ति में जो कमी रह जायेगी उसे कैसे पूरा किया जायेगा । और इन संयंत्रों के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अलगेशन : हमारे अनुमान के अनुसार हम चौथी योजना के अन्त तक 23 लाख टन की स्थापित क्षमता हो जायेगी और उत्पादन भी 20 लाख टन के लगभग हो जायेगा । विदेशी मुद्रा कानपुर और मद्रास के लिये तो सहयोगियों से प्राप्त हो जायेगी । कोचीन और दुर्गापुर के लिये हमने अमरीका से सहायता प्राप्त करने का सुझाव दिया है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस दिशा में हो रहे विदेशी उपक्रमों को कोई कर रियायत दी जाती है ताकि वे लोग भारत में उर्वरक कारखाने स्थापित कर सकें ?

श्री अलगेशन : करों में रियायत देने का कोई प्रश्न ही नहीं है । पहले कुछ वर्षों के लिए मूल्य निर्धारण, माल बेचने की व्यवस्था, कारखाने का प्रबन्ध आदि प्रश्नों पर सहयोगियों के साथ मिल कर ही विचार किया जाता है ।

Shri Yashpal Singh: How long will the talks last and since when we will be self sufficient in this direction. How much we produce and how much we import from the other countries?

श्री अलगेशन : 1969–70 तक हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह तो ठीक ही है कि देश में चौथी योजना के दौरान काफी संख्या में संयन्त्र हों, परन्तु क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन दे सकने की स्थिति में हैं कि देश के वर्तमान कारखानों की सारी क्षमता का उपयोग कर लिया जाता है ?

श्री अलगेशन : इस ओर भी हमारा ध्यान जा रहा है । सिन्दरी में उत्पादन की वृद्धि के लिए कुछ परिवर्तन कर रहे हैं । रूरकेला में हम कुछ परिवर्तन कर रहे हैं । और हम अतिरिक्त संयन्त्र भी लगा रहे हैं ताकि जितनी शीघ्रता से हो सके पूर्ण क्षमता प्राप्त कर ली जाये ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में उर्वरक उत्पादन का लक्ष्य स्थापित किया है ? यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिमी औद्योगिक निगम के साथ तथा अन्य सहयोगियों के साथ जो वर्तमान बातचीत रही है, उस से उस लक्ष्य का कुछ अंश पूरा हो जायेगा ?

श्री अल्गेशन : काफी समय हुआ कि इस दिशा में नीति सम्बन्धी निर्णय किया गया था। उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। जब संयंत्र स्थापित हो जायेंगे तो यह निश्चित हो जायेगा कि लक्ष्य ध्यान में है। एक ही नहीं, कई राज्यों में एक से अधिक संयंत्र स्थापित होंगे।

Shri Bibhuti Misra: Shri Kabir just now told that Fertilizer plants will be set up at 5 places. Will be stick to his word to establish a plant at Baruni or is he going to change his stand?

श्री हुमायून् कबिर : मैं अपने वचन से कभी भी पीछे नहीं हटता।

Shri Bibhuti Misra: I have not heard the reply.

Mr. Speaker: Honourable Minister states that he has never changed in the past and will not change in future. He will stick to his words.

Shri Bibhuti Misra: I thank him for that

Shri K. N. Tiwari: Newspaper reports tell us that Fertilizer plants will be set up by 1970 and production will begin. Is it a fact?

श्री हुमायून् कबिर : बिरोनी संयंत्र 1968–69 में स्थापित होगा, 1970–71 में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। यही लगता है, कुछ इधर उधर हो जाये तो एक आध वर्ष का अन्तर हो जायेगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या इंडियन कैमिकल इंडस्ट्रीज को उर्वरक बनाने की अनुमति दे दी गयी है। आरम्भ में जब उनकी पेशकश स्वीकार नहीं की गई थी तो सरकार का भाग और आई० सी० आई० के भाग का अनुपात 80 : 20 था। क्या यह अनुपात बदल दिया गया है, अथवा यह वही है ?

श्री अल्गेशन : उन्हें जुलाई में कानपुर में संयंत्र लगाने की अनुमति दी गई है। नाइट्रोजन के रूप में उसकी क्षमता 225,000 टन होगी। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड नाम की कम्पनी इस कार्य को करेगी। 70 प्रतिशत भाग आई० सी० आई० का होगा और 30 प्रतिशत भाग भारत सरकार और गैर सरकारी विनियोजनों का होगा। आई० सी० आई० को अभी उस कम्पनी के पुनरीक्षित वित्तीय ढांचे के बारे में ब्यौरा देना है। यह विदेशी विनिमय की व्यवस्था भी कर लेंगे।

Shri Vishwa Nath Pandey: Negotiations are going on with Western Industrial Corporation in India, I want to know whether any fertilizer factory is being set up in Uttar Pradesh, if so, the site of the factory and the amount that will be spent on it?

श्री हुमायून् कबिर : माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए कि गोरखपुर और कानपुर उत्तर प्रदेश में हैं।

Shri Vishwa Nath Pandey: I have enquired about the establishment of new factory.

Shri D. N. Tiwari: Is it a fact that Baruni plant is being taken to some other place, so that the establishment of the plant there may be delayed and ultimately dropped?

श्री हुमायून कबिर : माननीय सदस्य के सन्देह निराधार हैं। बिरोनी के लिए हमारे पास एक विदेशी पार्टी नहीं, कई पार्टियां हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। बिहार की नाइट्रोजन की

आवश्यकता 1971 तक 130,000 टन से अधिक नहीं होगी । सिन्दरी में ही 117,000 टन का उत्पादन हो सकता है । अत: आई० सी० आई० तथा बेचटेल का विचार यह है, जिनसे हमने बरौनी के प्रश्न की जांच करने को कहा है, कि वहां 1970–71 से पूर्व कारखाना नहीं लग सकता । अत: हमें सहयोग के लिए रूस से कहना पड़ा है । सरकार की बड़ी तीव्र इच्छा है कि उत्तर बिहार की सहायता की जाये ।

श्री सुबोध हंसदा : जब बेचटेल कारपोरेशन हर प्रकार से तथा विदेशी विनिमय की भी सहायता देने को तैयार था, तो उनकी पेशकश को रद्द करने के क्या कारण हैं ?

श्री अल्गेशन : उनकी कुछ ऐसी शर्तें थीं जिसे हम मान नहीं सकते थे । उदाहरण के लिए कीमत निर्धारण करना, सलफर राक फासफेट और नेप्था के सम्भरण के अधिकार इत्यादि की बातें थीं । कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम सहमत न हो सके, अत: बातचीत टूट गई ।

श्री व० ब० गांधी : मैं यह जानना चाहता हूं कि आई० सी० आई० से बातचीत किस सीमा तक चली और क्या यह भी सच है कि यह बातचीत भागिता के अनुपात के आधार पर चल रही है कि आई० सी० आई० के लिये 51 प्रतिशत, सरकार के लिये 26 प्रतिशत और 23 प्रतिशत गैर सरकारी विनियोजकों के लिये रखा जाये । यदि यह बात नहीं है तो वर्तमान भागिता अनुपात क्या है और उर्वरकों के भारत में जो ऊंचे दाम हैं उन्हें कम करने की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुमायून कबिर : इसका उत्तर कुछ अंश तक मेरे सहयोगी ने दे दिया है । वह यह कि संयंत्र आई० सी० आई० द्वारा सीधे तौर पर नहीं लगाया जायेगा, बल्कि इसे इंडियन एक्सप्लोसिव कम्पनी लगायेगी । उसमें 70 प्रतिशत अंश आई० सी० आई० के होंगे और 30 प्रतिशत सरकार तथा भारतीय विनियोजकों के होंगे । परन्तु आई० सी० आई० का अपना विचार यह है कि उनके अंशदान 51 प्रतिशत कर दिये जायें । सरकारी अंश के बारे में हमने अभी कोई निर्णय नहीं किया है, कारण यह कि यह संयंत्र गैर सरकारी क्षेत्र में है, योजना से क्या लाभ होता है इसे देख कर ही इसमें हम अपने अंश के बारे में निर्णय कर सकते हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार को इस बात का पता है कि आंध्र प्रदेश उर्वरक की सब से अधिक खपत करता है । वहां अधिक से अधिक उर्वरकों का प्रयोग खाद्य उत्पादन की वृद्धि के लिए हो रहा है । यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना स्थापित करने की बात का विचार कर रही है, ताकि यदि गैर सरकारी क्षेत्र आवश्यकताएं पूरी न कर सके तो उन्हें पूरा किया जा सके ?

श्री अल्गेशन : आंध्र प्रदेश में दो परियोजनायें चल रही हैं । एक विशाखापटनम में है और दूसरा कोठागुडम में है । विशाखापटनम परियोजना अच्छी प्रगति कर रही है । कोठागुडम मूलत: कोयला पर आधारित था । उसके बारे में अब कहा गया है कि उस आधार पर वह नफे में नहीं चल रहा । उसे नाफथा आधारित संयंत्र के रूप में बदलने का प्रस्ताव है, जिसकी संभाव्यता पर विचार किया जा रहा है । सरकारी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश में अभी कोई इस प्रकार की परियोजना आरम्भ करने का विचार नहीं है ।

Shri Onkar Lal Berwa: We have found many deposits of fertilizers in the districts of Bikaner and Ganga Nagar of Rajasthan State. Whether a factory will be set up there? I also want to know whether the factory being set up in Kotah is being shifted to some other place?

श्री हुमायून कबिर : हमने राजस्थान के विभिन्न स्थानों का परीक्षण किया है और एक मत से यही निर्णय हुआ है कि इस प्रकार के कारखाने के लिए कोटा सब से अच्छा स्थान है। वहां उर्वरक संयंत्र लगाने की दिशा में सरकार कार्यवाही कर रही है ।

Shri Gulshan: Whether it is a fact that Government are thinking of setting a fertilizer factory in Punjab in view of the fact that it is the granary of India?

श्री हुमायून कबिर : मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि पंजाब में नंगल का सब से उत्तम उर्वरक कारखाना है। आवश्यकता पड़ने पर उसका विस्तार भी हो सकता है । जब अल्वाय स्थित कम्पनी "फैक्ट" नाफथा का प्रयोग करने लगेगी। उस से कुछ इलेक्ट्रोलिटिक यूनिट मिलेंगे जो हम नंगल में दे देंगे।

Shri Gulshan: Whether any factory other than Nagal is going to be set up at Nangal?

श्री हुमायून कबिर : मैं ने इसका उत्तर दे दिया है।

Shri Shiv Narain: I want to know the percentage of fertilizer production in relation to our requirement. What is the differance in prices of the indigenous and foreign fertilizers.

Mr. Speaker: I have not called the honourable member.

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री शास्त्री जी ने सभा को यह आश्वासन दिया था कि देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक उर्वरक कारखाना होगा। मध्य प्रदेश में कोरबा में कारखाना लगाने का विचार था, सरकार उस के लिए एक करोड़ रुपया खर्च भी कर चुकी है । क्या अब इसे मध्य प्रदेश से बाहर ले जाया जा रहा है ?

श्री हुमायून कबिर : मध्य प्रदेश से इस संयन्त्र को बाहर ले जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है । इसके लिये कोरबा ही चुना गया था। संयंत्र तो वहां लग ही जाता परन्तु इस बीच उर्वरक बनाने के तकनीक में आमूल परिवर्तन हो गये। 1963 के बाद कोयला से उर्वरक बनाना संसार भर में घाटे वाली बात हो गई । नाफथा में तकनीकी आन्दोलन हुआ, अतः कोरबा में कारखाना लगाने का विचार अभी छोड़ दिया गया है । हमने इस परियोजना को बिल्कुल समाप्त नहीं किया है । अब नेफथा के आधार पर मध्य प्रदेश में कहीं पर संयंत्र लगाने की संभाव्यता का विचार किया गया है । अभी यह प्रारंभिक स्थिति में ही है । मैं इस से अधिक जानकारी देने में असमर्थ हूं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या प्रत्येक राज्य में एक कारखाना खोलने के बारे में कोई आश्वासन प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : तीन मिनट तक माननीय मंत्री उत्तर देते रहे हैं और अब भी माननीय सदस्य कहते हैं कि उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री के आश्वासन को ध्यान में रखा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : समय की बड़ी कठिनाई है । ऐसे प्रश्न भी हैं जिन पर 55 और 60 तक नाम हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : एक प्रश्न पर तो 60 नाम हैं।

अध्यक्ष महोदय : और भी माननीय सदस्य बोलने के लिए मेरा ध्यान आकृष्ट करने का यत्न कर रहे हैं। वे भी अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मेरी यह कठिनाई है जो सदन के सामने है। मेरे विचार में समय की सीमा निर्धारित करनी चाहिए, उसमें जितने अनुपूरक प्रश्न सम्भव हों, पूछ जा सकें।

श्री हरि विष्णु कामत : दस मिनट समय सीमा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह हुआ कि केवल छः प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : दस मिनट की तो अधिकतम सीमा होगी।

कुछ माननीय सदस्य : पांच मिनट रखिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा स्वीकार करे तो एक प्रश्न के लिए केवल पांच मिनट रखे जायें। प्रत्येक प्रश्न पर निरन्तर चर्चा होने लगती है। प्रश्नों और अनुपूरक प्रश्नों द्वारा चर्चा करना ठीक नहीं। यदि कोई माननीय सदस्य रह जाता है तो वह शिकायत करता है कि उसे मैंने अवसर नहीं दिया।

श्री रंगा : अभी इस बारे में हमें कोई निर्णय नहीं करना चाहिये। इस तरह तो तदर्थ निर्णय ही ही होगा। इस मामले पर अच्छी तरह विचार करना चाहिये। कुछ समय तक अनुभव होने पर निर्णय करना चाहियें, केवल एक दो दिन के आधार पर इस बारे में निर्णय नहीं करना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : आप दलों के नेताओं का सम्मेलन बुला कर इस बारे में चर्चा कर सकते हैं।

श्री श्यामलाल सराफ : मेरा सुझाव है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 मिनिट रखे जायें।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी अन्य समय इन सुझावों को लूंगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Mr. Speaker, I want to make a suggestion.

Mr. Speaker: Honourable member may give his suggestion later on. **Shri Kamath.**

सरकारी कर्मचारियों तथा जनता के प्रतिनिधियों के पारस्परिक सम्बन्ध

+

*62. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेमराज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 5 मई, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1174 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् तथा राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों और प्रशासन के कर्मचारियों के बारे में संहिता के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसको सभा पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस प्रकार की संहिता पर विचार करने की आवश्यकता कैसे हुई ? क्या इस बारे में अनेक शिकायतें थीं ? क्या संहिता को अंतिम रूप दिये जाने पर इसे उन मंत्रियों पर भी लागू किया जायेगा, जो अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं; नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों के अतिरिक्त विशेष रूप से फौजदारी जांचों तथा अभियोगों के मामले में हस्तक्षेप करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अभी तक तो कोई संहिता नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : इसे अंतिम रूप तो अभी नहीं दिया गया परन्तु यह विचाराधीन तो है ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : माननीय सदस्य को मंत्रियों के विरुद्ध कुछ कहने का यही अवसर मिला है ।

श्री हरि विष्णु कामत : इसमें कोई गलत बात नहीं है । अध्यक्ष महोदय ने इसे नियम बाध्य नहीं बताया है । मैं हर अवसर पर अपनी बात कहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति ।

श्री हरि विष्णु कामत : वह आक्षेप कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह आक्षेप नहीं है ।

श्री नन्दा : मैं तो इसका स्वागत करता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने सब मंत्री नहीं कहा, मैंने कहा है कि "कुछ मंत्री" ।

श्री नन्दा : मंत्रियों के लिए तो संहिता और भी कड़ी होनी चाहिये । यह संहिता संसद् के सदस्यों पर लागू होगी, और निश्चय ही मंत्रियों पर भी लागू होगी, उनके ऊपर तो यह और भी कड़ी होगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : जैसा कि मंत्रालयों में प्रथा है कि सक्षम लोगों के दल को किसी प्रश्न के अध्ययन के लिए विदेश भेजा जाता है, जैसा कि अभी हाल में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने एक समिति की स्थापना की है । जो यूरोप के देशों में जा कर टेलीविजन तथा रेडियो की स्थिति का अध्ययन कर रही है । क्या मंत्री महोदय का विचार लोकतंत्रीय देशों में इस विषय का अध्ययन करने के लिए कोई प्रभावशाली समिति भेजने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री नन्दा : पहले तो हम अपने प्रमुख साथियों से जो कि संसद् में हैं, इस पर विचार करेंगे । वे उस सलाहकार समिति में हैं जो इस विषय पर चर्चा करेगी । यदि उन के मतानुसार इस दिशा में और कुछ करना जरूरी हुआ तो इस बात का भी विचार किया जायेगा ।

Shri Yashpal Singh: As has been stated many times the application for a gun from an M.L.A. of Hardoi was rejected by the District Magistrate. . .

Mr. Speaker: How can individual applications be considered?

Shri Yashpal Singh: Has a provision been made in the code that there would not be any necessity of the signatures of D.M. in connection with the verification of character of an M.L.A.?

Mr. Speaker: Thakur Sahib should be called at the time of consultation.

श्री हेमराज : क्या सरकार विधान मंडलों के सदस्यों के लिये भी कोई आचार संहिता बनाने का विचार कर रही है या नहीं ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह दोनों अधिकारियों तथा विधायकों के लिये होगा ।

श्री कपूर सिंह : अन्तिम रूप में इस संहिता के बनने पर सरकार अपने कर्मचारियों को राजनीतिज्ञों के दबाव से बचाने के लिये क्या उपबंध करने का विचार करती है, ताकि कर्मचारी पथभ्रष्ट न हों ?

श्री ल० ना० मिश्र : संहिता में हमारा यह भी एक उद्देश्य है ।

श्री कपूर सिंह : इस को कैसे किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : जब यह बनेगा तो मालूम होगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : प्रशासन तथा विधायकों के आपसी सम्बन्धों के बारे में कौन सी समस्याएं सामने आई हैं और किन किन समस्याओं पर विचार हो रहा है ?

श्री ल० ना० मिश्र : संहिता अनौपचारिक सलाहकार समिति के सदस्यों को भेजी गई है । श्री माथुर ने ही यह प्रश्न उठाया था और उन्हीं के कहने पर ऐसा किया गया है। संहिता के प्रारूप में कुछ मुख्य लक्ष्य हैं : अर्थात् यह कि प्राप्त पत्रों का उत्तर कैसे दिया जाये, उनको कैसे पूरा किया जाये, संसद् सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों को कैसे निपटाया जाये आदि। इन सब विषयों पर विचार होगा और तब संहिता को अंतिम रूप दिया जायेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न यह नहीं कि संहिता क्या है । मेरा प्रश्न तो यह है कि प्रशासन और विधायकों के सम्बन्ध में कौन सी कठिनाइयां और समस्यायें उत्पन्न हुई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तावक को इसका पता भली प्रकार होना चाहिये ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जब यह प्रश्न पूछा गया तो 1956 का एक परिपत्र हमें भेज दिया गया मानो 1956 के पश्चात् कुछ हुआ ही नहीं। मेरा प्रश्न यह है कि इस बारे में किन-किन विषयों पर विचार किया जा चुका है और कौन-कौन विषय विचाराधीन हैं ? यह एक स्पष्ट प्रश्न है ।

श्री ल० ना० मिश्र : इस सदन में तथा बाहर भी शिकायतें की गई हैं। श्रीमान्, आप को भी याद होगा कि पिछले मई के महीने में आपने हमसे कुछ प्रश्न किये थे । आपने कहा था कि एक
था। फिर यह भी कहा गया कि जिला अधिकारी उन समितियों की अध्यक्षता करता

हैं जिन के सदस्य विधायक तथा मंत्री भी होते हैं। संसद् सदस्यों ने यह प्रश्न भी उठाया था कि लोगों की शिकायतों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। कई मामलों में अधिकारियों के अनुचित व्यवहार की भी शिकायत है। ये समस्यायें हैं और प्रारूप में यही उपबंध किया गया है कि इन समस्याओं और शिकायतों को कैसे दूर किया जाये।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैं यह भी बता दूं कि यह प्रश्न अनौपचारिक सलाहकार समिति की बैठक में उठा था जिसमें बहुत से सदस्यों ने अधिकारियों के बर्ताव सम्बन्धी कठिनाइयां तथा अन्य ऐसे विषयों को उठाया था। एक प्रारूप तैयार किया गया है जिसे अतिन्म रूप दिया जा रहा है।

Shri Bhagwat Jha Azad: As there is no set procedure for a meeting between M.P.'s M.L.As. and Administrative Officials for discussion on important matters, does the Govt. not consider to revive and follow the old rules with a view to improve this relationship. If it is a fact why arrangements are not made before the committee is appointed?

Shri L. N. Mishra: A circular was sent in 1957 but complaints were received thereafter also. It was stressed that relations should be improved. In the meantime Rajasthan Government has decided that in committees non-officials only shall preside and not the officials. We also propose to set up a practice in the Govt. of India that in committees on which non-officials, M.Ps. etc. are members, they will preside and not the officials.

श्री रंगा : क्या यह ठीक नहीं है कि अधिकारियों को भी विधान मंडलों के सदस्यों के हस्तक्षेप से संरक्षण देने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि इस बात की कि अधिकारी उन सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों या दिये गये अभ्यावेदनों की ओर ठीक प्रकार से ध्यान दें ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह ठीक है। जैसा मैंने कहा है यह भी एक उद्देश्य है।

मिट्टी के तेल व डीज़ल तेल की कमी

+

*63. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पू० ना० खां :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री अ० व० राघवन :
श्री केप्पन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री मुहम्मद कोया :
डा० श्रीनिवासन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दे० द० पुरी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री गुलशन :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री कांदर लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :	श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री कृष्णपाल सिंह :	श्री ह० च० सोय :
श्री मनिभंगाडन :	श्री हेमराज :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :	श्री लिंग रेड्डी :
श्री य० ह० भील :	श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बालप्पा :	श्री हिम्मतसिंहका :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :	श्री तन सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :	श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री सरजू पाण्डेय :	श्री रा० बरुआ :
डा० महादेव प्रसाद :	श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री श्यामलाल सराफ :	श्री बसुमतारी :
श्री मा० ल० जाधव :	श्री बसवन्त :
श्री जेधे :	श्री राम सेवक :
श्री विश्वनाथ राय :	श्री फ० गो० सेन :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के बहुत से भागों में मिट्टी के तेल तथा डीज़ल तेल की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) से (ग) माननीय सदस्यों का ध्यान 16–8–65 को मेरे द्वारा दिए गए ब्योरे की ओर दिलाया जाता है ।

श्री वारियर : क्या यह सच है कि विदेशी तेल कम्पनियों ने रूस से आयात किये गये तेल को प्रयोग में लाने से इन्कार कर दिया है और इसी कारण इस की कमी होने के कारण कठिनाई उत्पन्न हो गई है ?

श्री हुमायून् कबिर : यह भी एक कारण था और इस के बारे में ठीक स्थिति विवरण में बता दी गई है ।

श्री वारियर : यह बात तो उस में नहीं है। विवरण में तो केवल यही कहा गया है कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण तेल कम्पनियों के पास तेल की कुछ कमी हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विदेशी कम्पनियों का इस बारे में रवैया सहयोगपूर्ण था और क्या वे रूस से आये हुए कच्चे तेल को लेकर उसको साफ करके वितरण करने के लिए इच्छुक थीं ?

श्री हुमायून कबिर : माननीय सदस्य ने दो मामलों को जोड़ दिया है। बिना साफ किये तेल का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है और हम रूस से ऐसा तेल आयात भी नहीं करते क्योंकि आर्थिक दृष्टि से यह लाभदायक नहीं होता। यह तो केवल मिट्टी के तेल तथा डीज़ल

तेल की बात थी और उस के बारे में मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से बताया भी है कि मई और जून में कुछ कठिनाई थी। तेल कम्पनियों ने भी कुछ प्रतिरोध किया था और अब वह बात नहीं है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत में कहीं भी डीजल तेल के बारे में शिकायत नहीं है। **(अन्तर्बाधाय)**

कुछ माननीय सदस्य : उठे—

श्री भागवत झा आज़ाद : मंत्री महोदय का यह कहना गलत है। मिट्टी के तेल की वास्तव में कमी है।

श्री स० मो० बनर्जी : ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हें अपने भारत का पता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि उत्तर ठीक नहीं है और जैसा कि सदस्य कहते हैं तो इस के लिये अन्य उपाय भी हैं। इस प्रकार इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

Shri Vishram Prasad: I have been to rural areas and I have seen myself and here the Minister says that there is no shortage.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The hon. Minister should go to market and see for himself that kerosene oil is not available. Ministers do not use kerosene. They do not know whether it is available or not and if it is available they do not know what its price is.

Shri Onkar Lal Berwa: It is being sold at rupees two per bottle in Rajasthan.

श्री हुमायून कबिर : जो मैंने कहा था क्या मैं उस को स्पष्ट कर दूं—

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यदि समझते हैं कि मंत्री महोदय का उत्तर ठीक नहीं है तो उसके लिये अन्य उपाय हैं, जिन का प्रयोग किया जा सकता है मैं उसकी आज्ञा दे सकता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : वह दिल्ली से बाहर उत्तर प्रदेश के किसी नगर में जा कर देखें। वह इस प्रकार का वक्तव्य यहां बैठ कर ही दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी मेरे विचार से वह भारत की नहीं बल्कि विदेश की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक नहीं कि माननीय सदस्य अपने आप खड़े हो जायें और इकट्ठे बोलना शुरू कर दें। जब मैं खड़ा होता हूं, उस समय भी बातें होती रहती हैं। क्या मैं बैठ जाउं या मैं हट जाऊं (अन्तर्बाधायें)।

श्री स० मो० बनर्जी : हमें मिट्टी का तेल चाहिये और वह कहते चले जा रहे हैं कि यह सम्पूर्ण देश में उपलब्ध है। क्या उन्हें मालूम है मई और जून के महीने में सभी मंत्री विदेशों में आनन्द लूट रहे थे....... **(अन्तर्बाधायें)**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The hon. Minister has caused this excitement in the House by making a wrong statement. If he accompanies me to the villages, I shall show him that oil is being sold at exorbitant rates. He does not know at all about the price of kerosene oil.

श्री हुमायून कबिर : यदि मुझे अपनी बात कहने और माननीय सदस्यों की शिकायतों का उत्तर देने का अवसर ही न मिले तो मैं विवश हूं. . . .(**अन्तर्बाधायें**) ।

Mr. Speaker: If the hon. Minister wants to give reply, will the hon. Member not listen to him?

श्री हुमायून कबिर : मैंने कहा था कि मई-जून में कुछ कठिनाई थी और हम ने कार्यवाही की थी। यह हमारा कर्त्तव्य है कि सभी राज्यों तथा सभी बड़े संस्थानों को पैट्रोल उत्पाद उपलब्ध किये जायें। जब हमने देखा कि स्टाक की एक विशेष स्थिति हो गई है, तो हम ने इस की सप्लाई पर नियंत्रण लगा दिया। राज्यों में वितरण करने का काम केन्द्रीय सरकार का नहीं है । हमने राज्य सरकारों से कहा है कि यदि कहीं कमी हो तो हमें बताया जाये और हम स्थिति को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। मैं इस बारे में यहां पर आंकड़े रखना चाहता हूं जिस से पता चल जायेगा कि किसी भी भाग में कमी नहीं है। किसी स्थान पर स्थानीय कमी हो सकती है परन्तु इन आंकड़ों से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगी । यह पिछले साल की खपत के आधार पर है . . . . (**अन्तर्बाधायें**) यदि वे मुझे कुछ कहने का अवसर नहीं देते तो मैं उन को आंकड़े कैसे दे सकूंगा। मुझे बात कहने दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि उन को बात पूरी नहीं करने दी जायेगी तो मैं अगला प्रश्न लेता हूं। इस पर अलग चर्चा हो सकती है। मैं उस की आज्ञा दूंगा। श्री बनर्जी, अगला प्रश्न ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह अगला प्रश्न नहीं करना चाहते तो मैं श्री हेमराज को बुलाता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में यह राशन की बस्तु बन गई है ।

अध्यक्ष महोदय : वह अपना स्थान ग्रहण करें। यदि माननीय सदस्य इस पर चर्चा चाहते हैं तो मैं उस की आज्ञा दूंगा . . . (**अन्तर्बाधाय**)

श्री हरि विष्णु कामत : यह जल्दी होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बनर्जी को बुलाया था कि वह अपना प्रश्न करें परन्तु वह कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। जब मैं अगले प्रश्न को ले लेता हूं तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमान विश्व में यह संसदीय परम्परा है कि यदि बिल्कुल झूठे उत्तर दिये जायें तो सदस्यगण विरोध प्रकट करते हैं। जैसे कल हुआ था कि बीस मिनट तक एक के बाद एक सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न किये थे परन्तु मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया। यदि ऐसा असत्य उत्तर दिया जाये कि देश में मिट्टी के तेल की कमी नहीं है तो सदस्य विरोध अवश्य करेंगे।

श्री हुमायन् कबिर : श्रीमान, मुझे इन शब्दों पर आपत्ति है। मैंने स्वयं वक्तव्य दिया था ताकि तथ्य पेश किये जा सक ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं इस पर चर्चा की आज्ञा दूंगा।

एवरेस्ट पर भारतीय अभियान

*64. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हेम राज :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री राम हरख यादव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हेडा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाले भारतीय दल को उचित ढंग से पुरस्कृत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस रूप में ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4537/65]**

श्री स० मो० बनर्जी : क्या पंजाब सरकार ने अभियान दल के लोगों को मुफ्त भूमी देने का आश्वासन दिया है ?

श्री मु० क० चागला : जी हां। यह सच है कि पंजाब सरकार ने अभियान दल के सदस्यों को कुछ भूमि देने की प्रतिज्ञा की है।

श्री स० मो० बनर्जी : सरकार द्वारा ऐसे दलों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों के शिखरों पर भी विजय पाई जा सकें ?

श्री मु० क० चागला : पर्वतारोहण के अभियानों को सब संभव सहायता दी जायेगी। जसा कि विवरण में बताया गया है। एवरेस्ट पर विजय पाने वाले दल का दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में स्वागत किया गया था। ऐसे शौर्य वाले कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

श्री हेमराज : क्या केन्द्रीय सरकार उन को पुरस्कार के रूप में धन देगी ?

श्री मु० क० चागला : ऐसा नहीं किया गया है। उन को स्वर्ण पदक दिये गये हैं। राष्ट्रपति उन को अर्जुन पुरस्कार देंगे। उन को रेलवे मंत्रालय ने एक महीने के लिये भारत में कहीं भी मुफ्त यात्रा करने के लिए टिकट दिया है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या शिक्षा मंत्रालय दार्जिलिंग की पर्वतारोहण संस्था की ओर से अभियान की सफलता में दिये गये योगदान से सन्तुष्ट हैं, यदि हां, तो क्या भारत के अन्य भागों में ऐसी संस्थायें बनाने का विचार है, और यदि हां तो कहां और कब ?

श्री चागला : दार्जिलिंग की पर्वतारोहण संस्था ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इस के कार्य से एवरेस्ट अभियान दल को बहुत सहायता मिली है। ऐसी अधिक संस्थायें खोलने का अभी विचार नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : देश में यह मांग की गई है कि पर्वतारोहण को प्राथमिक शिक्षा देश के स्कूलों तथा कालेजों में अनिवार्य कर दी जाये। इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री मु० क० चागला : खेद है कि भारत के हर एक विश्वविद्यालय में पर्वत नहीं हैं। परन्तु कोई भी विद्यार्थी चाहे वह किसी भी विश्वविद्यालय का हो दार्जिलिंग संस्था में दाखिल हो सकता है।

Shri Bibhuti Mishra: Has the Government made any arrangement for the tours of the members of the Expedition to various Universities, so that they could tell their experiences to the students?

श्री मु० क० चागला : यह सुन्दर सुझाव है। मैं सोचूंगा कि इस विषय में क्या किया जा सकता है।

Shri Onkar Lal Berwa: I want to know the total amount spent on the expedition and the content of foreign exchange therein?

श्री मु० क० चागला : मेरे पास आंकड़े हैं। कुल खर्च 7 लाख 50 हजार रुपये हुआ है इसमें विदेशी मुद्रा 1 लाख रुपये की है।

श्री कपूर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि ऐवरेस्ट विजेताओं ने राष्ट्र या देश के लिए ऐसा क्या काम किया है, कि उन को इतनी प्रशंसा की जा रही है, जो अन्य सरकारी कर्मचारी अपना कार्य करते हुए नहीं करते ?

श्री मु० क० चागला : मुझे इस प्रश्न पर कुछ आश्चर्य हुआ है। इन वीर जवानों ने दो विश्व रिकार्ड स्थापित किये हैं। इतिहास में प्रथम बार हम एवरेस्ट पर चढ़ पाये हैं। एक दल चार बार शिखिर पर चढ़ा। यह प्रथम विश्व रिकार्ड है। दूसरा विश्व रिकार्ड इतिहास में प्रथम यह हुआ। तीन व्यक्ति एक समय में शिखिर पर चढ़े। मेरे विचार में हमें इस पर गौरव होना चाहिये।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या हमारी पर्वतारोहण संस्था आत्मनिर्भर है ताकि ओक्सीजन यूनिटों की व्यवस्था हो सके। और जब भी वह बड़े कार्यक्रम करे तो उनको अपेक्षित सहायता मिल सके। क्या अपेक्षित व्यवस्था की जा रही है ताकि लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें ?

श्री मु० क० चागला : मैं सदन को बताना चाहता हूं कि बहुत सी चीजें भारत में ही बनती हैं, केवल आइडर डाऊन, बूटेन गैस ओक्सीजन का सामान को छोड़ कर। यह सामान हमारे आयुद्ध कारखानों में तैयार किया गया था।

Shri Prakash Vir Shastri: Will the Education Minister pay the tributes of the members belonging to various parties to the mountaineers?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

श्री मु० क० चागला : निश्चय ही मैं इन युवकों को सभा की ओर से बधाई दूंगा ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Will these mountaineers who have conquered the peak of the Himalayas be honoured like the brave soldiers of the battle field?

Shri Rameshwara Nand: I want to know what advantage has been achieved by spending Rs. Seven lakhs on the mountaineers as stated by the Minister. Whether the armed forces will be strengthened thereby or production will increase?

Mr. Speaker: Shastriji has suggested that they should be congratulated on behalf of the House. Two names should be deleted from that list.

Shri Rameshwaranand: What basic advantage has been achieved by the country due to these mountaineers?

श्रीमती सावित्री निगम : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या इस पर्वतारोही संस्था के विस्तार के लिए शिक्षा मंत्रालय को कोई योजना प्रस्तुत की गई है, और अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री मु० क० चागला : मुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि कोई इस प्रकार की विस्तार योजना प्रस्तुत की गई है ।

Shri Ram Sahay Pandey: In view of the great success achieved by these people, will the Minister of Home Affairs advise the President to honour these people with the title of Padam Bhusan or Padam Shri?

Mr. Speaker: This suggestion has already been received.

श्री मु० क० चागला : वास्तव में इस बात का उल्लेख है ।

Education Ministers' Conference

+

*65.

Shri M. L. Dwivedi:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:
Shri P. C. Borooah:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri N. P. Yadab:
Shri Yashpal Singh:
Shri Kindar Lal:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Mohammed Koya:
Shri Naval Prabhakar:
Shri Hem Raj.
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Daljit Singh:
Shri D. C. Sharma:
Shri D. J. Naik:
Shri Heda:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri Brij Raj Singh:
Shrimati Tarkeshwari Sinha:
Shri Warior:
Shri Prabhat Kar:
Shri Vasudevan Nair:
Shri Kapur Singh:
Shri Gulshan:
Shri Solanki:
Shri Narasimha Reddy:
Maharajkumar Vijaya Ananda:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the important decisions taken at the Conference of Education Ministers

held in the first week of June at Srinagar and whether the details thereof will be laid on the Table of the House;

(b) the steps being taken by Government for the implementation of the decision for abolishing teachers' constituencies and when it will be implemented;

(c) the reaction of Government to the suggestion of Shri V. K. R. V. Rao that a Commission should be appointed on the demand of teachers for increasing their salaries and the manner in which this problem is to be solved; and

(d) the decision taken to raise the age of admission in colleges from 16 years to 17 years?

Education Minister (Shri M. C. Chagla): (a) to (d). The statement is laid on the Table of the House (Placed in Library. See No. LT. 4538/65).

Shri M. L. Dwivedi: It has been stated in the statement that the recommendations of the Chief Ministers have been forwarded to the Central Government. I want to know whether the Government have considered these recommendations during the period of three months and if so, what steps have been taken by the Government to implement them?

श्री मु० क० चागला : इन सुझावों पर हम निरन्तर विचार करते रहे हैं । जहां तक उन्हें कार्यान्वित किया जा सकता है कर दिया जाता है । आगे भी किस हद तक कार्यान्वित हो सकेगा यह भी भविष्य पर ही निर्धारित है । इस दिशा में अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है ।

Shri M. L. Diwivedi: It has been stated in the statement that a suggestion was made in the conference of the Education Ministers that All India Education Service should be set up. Honourable Minister also wanted that the matter should be expedited. I want to know what steps are being taken in this direction.

श्री मु० क० चागला : राज्य सभा ने एक मत से यह संकल्प स्वीकार किया है कि भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना की जाय । शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के बाद विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों ने इस बारे में विस्तार से छानबीन की। इस दिशा में पूर्ण सहमति नहीं हो सकी । परन्तु हमने राज्यों पर जोर दिया है कि इस सेवा की स्थापना की बड़ी आवश्यकता है इसे कार्यान्वित किया जाय । मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मैं शीघ्रातिशीघ्र इस प्रकार की सेवा की स्थापना के लिए चिन्तित हूं

श्रीमती सावित्री निगम : सिफारिश संख्या 6 के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार की ओर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है । इस सिफारिश को कार्यान्वित करने की दिशा में क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है । मेरे विचार में यह सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश है ?

श्री मु० क० चागला : हमने योजना आयोग से कहा है कि इस असमानता को दूर किया जाना बहुत जरूरी है । राज्यों में भी परस्पर समानता का व्यवहार ही होना चाहिए । इस उद्देश्य के लिए हमने योजना आयोग से विशेष निधि की मांग की है । चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमें इस कार्य के लिए कितना धन मिलेगा इस पर ही इस कार्यक्रम का भविष्य निर्भर है ।

श्री रंगा : यदि इसी तरह उत्तर मिलते रहेंगे तो सारे घंटे में केवल दो ही प्रश्न हुआ करेंगे । वह खुद भी छोटे छोटे भाषणों में काफी समय ले लेते हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं अनपूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानना चाहती थी कि इस बारे में विशेष रूप से क्या कार्यवाही हुई है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि योजना आयोग से आपने धन मांगा है। और धन मिलने पर कुछ किया जायेगा। यह कोई उत्तर नहीं है, मुझे निश्चित उत्तर मिलना चाहिए ।

श्री मु० क० चागला : धन के बिना तो कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। या तो वित्त मंत्रालय सीधे धन दे अन्यथा योजना आयोग की स्वीकृति दे ।

श्री रंगा : सरकार तो एक ही है ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या शिक्षकों के वेतनों और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के बारे में भी उपरोक्त सम्मेलन में विचार किया गया था ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री मु० क० चागला : सम्मेलन ने इस पर विचार किया और यह निर्णय एक मत से किया गया कि शिक्षकों के वेतनों को योजना व्यय से अलग रखा जाये। जहां तक शिक्षकों की विशेष योग्यताओं का प्रश्न है उसे योजना के अन्तर्गत लिया जा सकता है ।

श्री स० च० सामन्त : विवरण के पृष्ठ 8 मद 12 में कहा गया है कि विज्ञान और गणित के शिक्षकों की बहुत कमी है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि प्रशिक्षण निकायों में जो कि इस समय देश में चल रहे हैं- उनमें इस प्रकार को शिक्षकों के प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

श्री मु० क० चागला : जी हां, क्षेत्रीय प्रशिक्षण निकायों को विशेष रूप से कहा जा रहा है कि वह गणित और विज्ञान के शिक्षकों को प्रशिक्षित करे ।

श्री प्र० चं० बरुआ : सम्मेलन ने इस बात पर विचार किया है कि प्रशिक्षण शिक्षकों की देश भर में कमी है परन्तु यहां रोजगार और प्रशिक्षण निदेशक दिल्ली का परामर्श यह है कि कोई व्यवसाय अपनाएं, शिक्षक मत बनो । यह विरोधाभास क्यों है ?

श्री मु० क० चागला : दुर्भाग्य है कि केरल में शिक्षकों की संख्या काफी है। हम एक राज्य को मजबूर नहीं कर सकते कि वह दूसरे राज्य से शिक्षक ले। पर हम असमानता को दूर करने का प्रयास करते हैं। जहां एक राज्य में कमी और दूसरे में बहुलता हो वहां भाषा का प्रश्न आ जाता है। और इस कठिनाई का कोई हल नहीं है ।

डा० सरोजिनी महिषी : एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने वाले विद्यार्थियों की कठिनाइयों को देखते हुए मैं यह जानना चाहती हूं कि आगे के लिए पाठ्यक्रम में एकरूपता तथा समन्वय लाने के लिए प्राइमरी से डिग्री तक के पाठ्यक्रम के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है। ताकि फीसों इत्यादि का जो देश में भार महसूस हो रहा है इसे कम किया जा सके ?

श्री मु० क० चागला : जी हां, महिला सदस्य के सुझाव के अनुसार सरकार कार्यवाही कर रही है। माध्यमिक शिक्षा में एकरूपता और प्रवेश शुल्कों के भार को हल्का करने की दिशा में हम कार्यवाही कर रहे हैं ।

Shri Sarjoo Pandey: The statement shows that the question of the age limit of the Vice Chancellors and the method of their selection was discussed in the conference of State Ministers. I want to know whether any suggestion was made by the State Ministers, in the matter and if so, the nature thereof?

श्री मु० क० चागला : इस मामले पर हमारा एक मत नहीं है । कोई कहता है कि आयु सीमा हो । यह मत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित आदर्श समिति का है । दूसरा मत यह है कि जहां तक उपकुलपतियों का प्रश्न है 65 के बाद आपको बहुत अच्छे लोग मिल सकते हैं । कई उपकुलपति 70, 75 के बाद तक काम कर रहे हैं । उनका काम बहुत शानदार है । अतः इस प्रश्न पर एक मत नहीं है ।

श्री ग० ना० चतुर्वेदी : आज जो शिक्षा स्तर है क्या उसका कारण यह है कि वही लोग शिक्षक बनते हैं जिन्हें और कोई रोजगार नहीं मिलता । प्रशिक्षित लोगों में से भी अच्छे लोग नहीं निकलते । सरकार इस स्थिति का किस प्रकार सुधार करने का विचार रखती है ?

श्री मु० क० चागला : जब तक हम शिक्षकों के वेतनों में वद्धि नहीं करते अच्छे लोग उपलब्ध नहीं होंगे । सब से पहली बात यह है कि शिक्षकों के वेतनों में वृद्धि की जाय । हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का तो प्रबन्ध किया जाता है, क्या गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को भी प्रशिक्षण देने का विचार है ?

श्री मु० क० चागला : जी हां । गैर सरकारी स्कूलों को तब तक सहायता नहीं दी जायेगी जब तक वे अध्यापकों को प्रशिक्षण नहीं देते ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या उसके लिए भी सरकार धन की व्यवस्था कर रही है ?

श्री मु० क० चागला : हम राज्य सरकारों को सहायता देते हैं ।

Shri Yashpal Singh: Ours is a Union Government, but there is so much disparity between the pay of intermediate teachers in Delhi and Ghaziabad, which is only 12 miles away from Delhi. I want to know the reason for the disparity and when it will be removed?

श्री मु० क० चागला : यह बड़े दुःख की बात है कि विषमता है । परन्तु शिक्षा का विषय राज्यों का है । इसके लिए हम केवल राज्य सरकारों पर ही दबाब डाल सकते हैं ।

श्री डी० सावित्री निगम : मेरा सुझाव यह है कि तारांकित प्रश्न सख्या 86 को भी ले लिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : काफी देर हो गयी है । अब प्रश्न काल समाप्त होने वाला है ।

Shri Bibhuti Misra: It has been laid down in our Constitution that social justice will be done to all. But we find that Central Government is giving more salaries to the teachers as compared with the salaries drawn by the state teachers. This is the cause of discontentment amongst them; will the honourable Minister take steps to remove it.

श्री मु० क० चागला : मुझे खेद है मैं इस बात का उत्तर दे चुका हूं । हम निरन्तर इस बात के लिए राज्य सरकारों पर दबाब डाल रहे हैं । कई राज्यों ने इस दिशा में कुछ किया भी है ।

Shri Bade: In Part (d) of the question, it was asked:—

क्या कालिजों में प्रवेश की आयु को 16 वर्ष से बढ़ा कर 17 वर्ष करने का निश्चय किया गया है ?

The reply of the Part (d) is this:—

(d) "gave a suggestion for increasing the age of admission in colleges." The coneference of State Education Ministers also decided:—

Films are responsible for indiscipline amongst the students. It was stressed that films should be censored very strictly."

I want to know whether some action is being taken on the dicisions taken by the conference. Does the Government intend to raise the age limit and strictly censor the films?

श्री मु० क० चागला : विश्वविद्यालय तो स्वतंत्र निकाय है। आयु सीमा के बारे में हमने अपने विचार उन्हें बता दिये हैं कि 17 वर्ष होनी चाहिए और 16 से कम तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। पर हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते अन्तिम निर्णय तो उन्हीं ने करना है। अन्य प्रश्न के बारे में मेरा निवेदन है कि यह सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। किसी फिल्म पर रोक लगा देना मेरे अधिकार में नहीं है।

श्री कपूर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह आयु सीमा 16 से 17 वर्ष करने का निश्चय विश्वविद्यालय से पूर्व की शिक्षा में हुई किसी तब्दीली के कारण किया गया है अथवा किसी मानसिक स्थिति के कारण ?

श्री मु० क० चागला : हमारा विचार है कि मानसिक दृष्टि से परिपक्व होने से पहले किसी को विश्वविद्यालय में नहीं आना चाहिए 17 वर्ष की आयु से कम लोगों को विश्वविद्यालयों में भेजना भूल है। इसी विचार से हमने यह व्यवस्था की है कि माध्यम शिक्षा का कार्यक्रम 11 अथवा 12 वर्षों में पूरा हो और विश्वविद्यालय में जाने से पूर्व वह 17 वर्ष का हो जाय।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह तथ्य नहीं है कि इस समय माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम 11 वर्षों का है और स्कूल छोड़ने की आयु 16 वर्ष है यदि हां, तो क्यों यह कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश की आयु 16 वर्ष न हो कर 17 वर्ष होनी चाहिये ?

श्री मु० क० चागला : माध्यम शिक्षा का काल 12 वर्ष होना चाहिये ऐसा हमरा विचार है। इस समय यह अवधि 11 वर्ष है, पर लक्ष्य इसे 12 वर्ष करने का है। जब यह लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा तो आयु 17 वर्ष कर दी जायेगी। अब तो हमने 16 वर्ष की आयु ही मानी हुई है जैसा कि माननीय महिला सदस्या ने कहा है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: In one of the recommendations of the conference it is stated that as the students get sufficient leisure hours, they inculcate indiscipline, so, they should be engaged in social work. Has the Government formulated a scheme in this connection?

श्री मु० क० चागला: हमने बाह्य कामों के बारे में योजनायें बनाई हैं, ये योजनायें भी हैं कि विद्यार्थियों को समाज सेवा के कार्यों में लगाया जाये। हम इन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन कम हो।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस सम्मेलन की एक सिफारिश पाठ्य पुस्तकों के मानकीकरण के सम्बन्ध में थी। क्या यह मानकीकरण केवल माध्यमिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों का ही होगा

अथवा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का भी होगा। इस के लिए केन्द्र और राज्यों दोनों की कार्यवाही को समन्वित करने की दिशा में केन्द्र और राज्यों का उत्तरदायित्व क्या रहेगा ?

श्री मु० क० चागला : अभी हाल में हमारा लक्ष्य माध्यमिक स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों को तयार करना है। हमने राज्यों को पाठ्य पुस्तकें स्वीकार करने और उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित करवाने के लिए कहा है। विश्वविद्यालयों की पुस्तकें तैयार करने में विश्वविद्यालय स्वतंत्र है।

Shri Parkash Vir Shastri: In the matter of selection of the Vice-Chancellors, politics is playing the major role. Educational qualifications are being ignored. Was this aspect of the problem considered in conference of State Education Ministers, and if so, what decision was taken?

श्री मु० क० चागला : मैंने सभी मंत्रियों पर यह बात स्पष्ट कर दी थी कि जब तक योग्य उपकुलपति नहीं बनाये जाते विश्वविद्यालयों का काम ठीक तरह से नहीं चल सकता। केन्द्र के विश्वविद्यालयों के लिए मैं उत्तरदायी हूं राज्यों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, यह शिक्षा मंत्रालय के आधीन नहीं आता।

Indian Scientists

*66. **Shri Hem Barua:**
Shri D. C. Sharma:
Shri Warior:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Scientists are getting lesser salary and facilities in comparison to their counterparts in other countries as a result of which they are not able to give good account of themselves; and

(b) whether Government propose to bring about improvement in their service conditions?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). A statement is placed on the Table of the House.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान 'इडस्ट्रेटिड वीकली आफ इंडिया' में इस शीर्षक के अधीन प्रकाशित लेख "भारतीय विद्यार्थी अमरीका में क्यों रहते हैं।" की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि लेखिका अमरीका में भारतीय वैज्ञानिकों से मिली थी और उन्होंने कहा कि वे भारत आने को तैयार हैं यदि उनका वेतन राज्य के राज्यपालों के वेतन के बराबर कर दिया जाये, यदि हां, तो सरकार की इस सुझाव के प्रति क्या प्रतिक्रिया है जो कि विदेशों में रहने वाले हमारे वैज्ञानिकों ने रखी है ?

श्री मु० क० चागला : हमने वैज्ञानिकों के वेतनों में वृद्धि कर दी है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि वैज्ञानिक विदेशों से भारत वापिस नहीं आ रहे हैं। वे कम वेतन पर भी वापिस आये हैं। इंगलैंड के एक वैज्ञानिक ने अच्छा वेतन छोड़कर हमारे यहां आ कर काम करना स्वीकार किया है।

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह डा० नारलीकर को पेशकश करेंगे कि वह वापिस भारत आ जायें। क्या उन्हें पेशकश की गयी है, यदि हां, तो उनका उत्तर क्या है ?

श्री मु० क० चागला : जब वह यहां आये मैंने उनसे लम्बी वार्ता की, मैंने अनुभव किया कि भारतीय वैज्ञानिकों के हित में उन्हें एक दो वर्ष तक कैम्ब्रिज में ही रहना चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जब वह अनुसन्धान कार्य कर लेंगे तो भारत वापिस आ जायेंगे।

श्री हेम बरुआ : उठे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का काल समाप्त होता है। नियमों के अनुसार यदि कोई प्रश्न इस समय के अन्तर्गत नहीं आता तो उसे सदन में नहीं उठाया जाता। केवल मंत्री महोदय अपने आप ही उसका उत्तर देते हैं। उन्हें हम मजबूर नहीं कर सकते। यदि मंत्री महोदय कहें तो मैं अनुमति दे सकता हूं।

श्री हेम बरुआ : मैंने मंत्री जी से निवेदन किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों मंत्री महोदय से प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने मुझ से नहीं कहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Home Ministers' Conference

*67. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K. N. Tiwary:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri P. C. Borooah:
Shri Yashpal Singh:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri A. N. Vidyalankar:
Shri Shree Narayan Das:
Shri Surendra Pal Singh:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri S. C. Samanta:
Shi Subodh Hansda:
Shrimati Savitri Nigam:
Shrimati Tarkeshwari Sinha:
Shri Ravindra Verma:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Kindar Lal:
Shri Naval Prabhakar:
Shri Hem Raj:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Brij Raj Singh:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri D. N. Tiwary:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Indrajit Gupta:
Shri M. R. Krishna:
Shri Basappa:
Shrimati Renuka Barkataki:
Shri Rampure:
Shri J. B. S. Bist:
Shri S. N. Chaturvedi:
Shri D. D. Puri:
Shri Daji:
Shri Daljit Singh:
Shri P. Venkatasubbaiah:
Shri Bagri:
Shri H. V. Koujalgi:
Shri Sham Lal Saraf:
Shri Krishnapal Singh:
Dr. Mahadeva Prasad:
Shri H. C. Linga Reddy:
Shrimati Sharda Mukerjee:
Shri Sarjoo Pandey:
Shri R. Barua:
Shri Surendra Nath Dwivedy:
Shri Himatsingka:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Madhu Limaya:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Kanakasabai:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a meeting of the Home Ministers of all the States was held in Delhi in the first week of June;

(b) if so, the main decisions taken thereat;

(c) whether the subject of border security force was also taken up; and

(d) if so, the broad details of the decisions arrived at?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): (a) Yes, Sir.

(b) The decisions taken were regarding the strengthening of measures for internal security, civil defence and border security.

(c) Yes, Sir.

(d) It was decided that the police forces deployed for security on the international border areas would be brought under the control of the Government of India with an appropriate administrative organisation at the Centre. Close and continuous liaison will be maintained by this organisation with the respective State Governments.

तकनीकी कालेजों में प्रवेश शुल्क

*68. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री हेमराज :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री दे० जी० नायक :
श्री बासप्पा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई इंजीनियरी तथा तकनीकी कालेजों ने प्रवेशार्थी छात्रों से प्रवेश शुल्क के रूप में 2,000 रुपये से 5 000 रुपये तक की मांग करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या प्रास्पेक्ट्स में प्रति व्यक्ति ((केपीटेशन) फीस की खुले तौर पर मांग की जाती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि चार औद्योगिक (टैक्नोलौजीकल) संस्थाओं को छोड़ कर प्राय: सभी इंजीनियरी कालेजों पर 'असम्बद्ध बातों' का प्रभाव रहता है ; और

(घ) इन प्रथाओं को बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) मैसूर राज्य के सात प्राइवेट इंजीनियरी कालेजों के अतिरिक्त और किसी ऐसे कालेज की जानकारी नहीं है जहां विद्यार्थियों से दान के रूप में फीस ली जाती हो ।

(ख) और (ग) : जी नहीं ।

(घ) मैसूर राज्य के जो कालेज प्रति व्यक्ति फीस लेते हैं उनकी कार्य प्रणाली पर तथ्य-जांच समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं । इस समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

पूर्वी पाकिस्तान से व्यक्तियों का आना

*69. श्री हेम ब आ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की संख्या कुछ समय से बढ़ती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है और पाकिस्तानी अधिकारियों से इस सम्बन्ध में बातचीत आरम्भ की है ।

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) 1965 की प्रथम तिमाही में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों के प्रवाह की दैनिक औसत 790 थी । भारत में प्रवेश के सम्बन्ध में पाबन्दी जोकि, 1-4-65 से लागू की गई थी उसके बाद दैनिक औसत पर्याप्त मात्रा में कम हो गई है । अप्रैल से जलाई, 1965 के महीनों में प्रवाह का दैनिक औसत 204 है । निकटवर्ती महीनों में प्रवाह काफी स्थायी रहा है और घटबढ़ केवल छोटी प्रकार की हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हल्दिया तेल शोधक कारखाना

*70. श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री हेडा :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री रा० बरुआ :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के बारे में किस विदेशी फर्मों से बातचीत पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). जी नहीं, बातचीत जारी है ।

Prohibition

*71. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Vidya Charan Shukla:
Shri R. S. Pandey:
Shri P. C. Borooah:
Shri P. R. Chakraverti:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Yashpal Singh:
Shri D. C. Sharma:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri S. C. Samanta:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Daji:
Shrimati Vimla Devi:
Shri Mohammed Koya:
Shri Basappa:
Shri Sezhiyan:
Shri Tan Singh:
Shri Kapur Singh:
Shri Solanki:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 376 on the 10th March, 1965 and state:

(a) the progress made in regard to the decision to be taken on the report of the Prohibition Enquiry Committee;

(b) the names of the States which have furnished their views on this report with a brief resume thereof; and

(c) when a final decision is likely to be taken in the matter.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) and (c). The report of the Study Team on Prohibition is under active consideration in consultation with the State Governments and it is expected that decisions will be reached in the near future.

(b) Details comments have been received from the Governments of West Bengal, Bihar and Madhya Pradesh; comments on the more important recommendations have been received from the Governments of Madras, Maharashtra, Mysore and Gujarat.

शिक्षा आयोग

*72. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हेमराज :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री रा० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री बसुमतारी :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किन्दर लाल :

क्या शिक्षा मंत्री 3 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 233 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा आयोग ने इस बीच कोई अन्तिम प्रतिवेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, अभी तक नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी

*73. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बड़े :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बृजराज सिंह :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बसुमतारी :
श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा तथा भारत के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानियों की संख्या क्या है ;

(ख) उन्हें वापस भेजने के लिये पिछसू चार महीनों में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस अवधि में कितने व्यक्तियों को वापस भेजा गया ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जून, 1965 के अन्त में इस प्रकार अवैध प्रवेश करने वालों की संख्या लगभग इस प्रकार थी :—

आसाम	1,26,000
त्रिपुरा	2,000
राजस्थान	156
पश्चिम बंगाल	संख्या अभी तक निर्धारित नहीं की जा सकी ।

पाकिस्तान-सीमा के अन्य इलाकों में कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं है ।

(ख) और (ग) : फरवरी से मई, 1965 तक के 4 महीनों के दौरान अवैध रूप से प्रवेश करने वाले 7,299 व्यक्ति विदेशी अधिनियम, 1946 के अधीन निकाले गए ।

समान रूप की शिक्षा प्रणाली तथा पाठ्य पुस्तकें

*74. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री न० प्र० यादव :
श्री बासप्पा :
श्री रा० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में एकरूप शिक्षा प्रणाली स्थापित करने तथा समान प्रकार की पाठ्य-पुस्तकों को रखने के लिये कोई प्रयास किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन प्रयासों के क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित विषयों में प्रयत्न किए गए हैं :—

(1) प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदलना ;

(2) माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सेकेंडरी स्कलों का पुनर्गठन ;

(3) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उच्च शिक्षा का पुनर्गठन ;

(4) स्कूल स्तर की आदर्श पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के अधीन एक संगठन की स्थापना ।

(ग) इन सभी विषयों में पर्याप्त प्रगति हुई है, हालांकि प्रशासकीय और वित्तीय कठिनाइयों के कारण कठोर एकरूपता प्राप्त करने का न तो प्रयत्न किया गया था और न प्राप्त ही हो सकती थी । पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं और राज्यों का शिक्षा मंत्री सम्मेलन इन पाठ्य-पुस्तकों को प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराकर अपनाने के लिए राजी हो गया है ।

Three Language Formula

***75. Shri Bade:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Brij Raj Singh:
Shri A. N. Vidyalankar:
Shri S. M. Banerjee:
Shri H. C. Soy:
Shri Solanki:
Shri Narasimha Reddy:
Shri Basappa:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have written to the State Governments for enforcing the three language formula; and

(b) if so, the reaction of the different States thereto?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) The implementation of the three language formula has been under constant review. The meeting of Chief Ministers of States and Central Ministers held in February, 1965 also reviewed its working and decided that it should be fully and effectively implemented in all the States. This decision has been communicated to the State Governments by the Government of India.

(b) The States have generally accepted the formula and introduced it with modifications and interpretations to suit local conditions.

जनता की शिकायतें दूर करना

*76. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्री लक्ष्मी दास :
श्री सरजू पाण्डेय : श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या गृह-कार्य मंत्री 31 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 666 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता की शिकायतें दूर करने के लिये स्केन्डीनेविया को आम्बुड्समैन के समान एक संगठन बनाने के बारे में कोई निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नहीं में हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) गृह मंत्रालय में मंत्री की अध्यक्षता में, संसद सदस्यों के विशेष परामर्श-दल की एक समिति नागरिकों की शिकायतें दूर करने के लिये केन्द्र में एक संगठन बनाने के प्रश्न की जांच कर रही है। इस बारे में, प्रशासकीय, न्यायाधिकरणों की पद्धति को सुव्यवस्थित तथा विस्तृत करने के साथ-साथ इस देश के लिये आम्बुड्समैन के समान एक संगठन की व्यवहारिकता पर भी विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में एकता की भावना उत्पन्न करना

*77. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ विश्वविद्यालय के होस्टल में रहने वाले मुस्लिम तथा हिन्दू छात्रों में सांस्कृतिक तथा भावात्मक एकता उत्पन्न करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) इस विश्वविद्यालय के छात्रों, अध्यापकों, प्रोवोस्टों, प्रोक्टरों तथा वार्डनों के साम्प्रदायिक तथा प्रतिक्रियावादी संगठनों की गतिविधियों को रोकने तथा उनमें एक स्वस्थ धर्मनिरपेक्ष भावना उत्पन्न करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ग) विश्वविद्यालय के संविधान को कम से कम समय के लिये स्थगित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1965 को जारी करने के फलस्वरूप, विश्वविद्यालय की कायकारी परिषद् का 7 जन, 1965 से पुनर्गठन किया गया है। नई कार्यकारी परिषद् से आशा की जाती है कि वह विश्वविद्यालय के सामने आई समस्याओं पर विचार करे और विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक तथा भावात्मक एकता पैदा करने तथा साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी तत्वों का उन्मूलन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

(ग) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1965 की जगह एक विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है। संसद द्वारा बनारस विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, पारित होने के बाद, यथाशीघ्र दीर्घकालीन कानून भी पेश किया जाएगा।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

*78. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री न० प्र० यादव :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री बृजराज सिंह :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री पु० र० पटेल :
श्री पाराशर :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के झगड़े का निपटारा कर दिया है तथा संस्था में पुनः सामान्य रूप से काम आरम्भ हो गया है ; और

(ख) क्या विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में कोई परिवर्तन किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) जिन विभिन्न कारणों की वजह से 25 अप्रल 1965 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैम्पस में दंगे हुए उन पर पूरी तरह से विचार करने के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि विश्वविद्यालय में आम हालत कायम करने के लिए तात्कालिक कदम उठाना आवश्यक था । तदनुसार, 20 मई 1965 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 1965 जारी किया गया ।

अध्यादेश के अनुसार, 7 जून, 1965 से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् का पुनर्गठन किया गया है । और कोर्ट का भी शीघ्र ही पुनर्गठन किया जा रहा है ।

विद्यार्थियों के पहले दल के साथ विश्वविद्यालय खुल गया है और 16 अगस्त 1965 से कार्य आरम्भ हो गया है । विद्यार्थियों की विभिन्न कक्षाओं का कार्य, 16 अगस्त 1965 से 1 सितम्बर 1965 तक की अवधि में एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार आरम्भ हो जाएगा ।

दिल्ली के लिये नई व्यवस्था

*79. श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हेमराज :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री रा० बरुआ :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिये भावी राजनैतिक व्यवस्था के बारे में कोई अन्तिम निश्चय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या एल० टी० 4539/65]**

पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी

*80. श्री हेम बरुआ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी:
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री बृजराज सिंह :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री राम हरख यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) पिछली बार संसद् स्थगित होने के बाद देश के विभिन्न भागों में राज्यवार कितने पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किये गये;

(ख) क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से हमारे देश के विरुद्ध पाकिस्तान के इरादों का कुछ संकेत मिल पाया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ सुन्दर पाकिस्तानी लड़कियां भी जासूसी करते हुए पकड़ी गयी थीं, और

(घ) यदि हां, तो जासूस के रूप में उनकी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री : [श्री जयसुख लाल हाथी] : (क) राज्यवार संख्या इस प्रकार है :—

पंजाब	2
पश्चिम बंगाल . .	1
जम्मू व काश्मीर	3

(ख) गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों से हमारे देश के विरुद्ध पाकिस्तानी इरादों के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल सका ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजभाषा अधिनियम

*81. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हेमराज :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रा० बरुआ :
श्री बासप्पा :
श्री कनकसबै :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय श्री नेहरू के आश्वासन के अनुरूप अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था करने के लिए राज्य भाषा अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) संसद् के चालू अधिवेशन में राज भाषा अधिनियम 1963 में संशोधन करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया है ।

अन्तर्सत्रावधि में मंत्रियों की विदेश यात्राएं

*82. श्री विभूति मिश्र :
श्री यशपाल सिंह :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रनाल द्विवेदी :
श्री दे० जो० नायक :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री दे० द० पुरी :
श्री दलजीत सिंह :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कर्णीसिंहजी :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री गुलशन :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कृष्णपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले सत्र के अवसान और चालू सत्र के आरम्भ के बीच की अवधि में बहुत से मंत्री, जिन में राज्य मंत्री भी शामिल हैं, भारत के बाहर गए थे ;

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है, किन देशों में व गए और किन प्रयोजनों के लिये यह यात्राऐं की गयी थी और ;

(ग) प्रयेगक यात्रा में कितना खर्च हुआ और उस खर्च में कितनी विदेशी मुद्रा सम्मिलित थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रहा है और यथासमय सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

Sheikh Abdullah

*83. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Vidya Charan Shukla:
Shri R. S. Pandey:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri D. C. Sharma:
Shrimati Tarkeshwari Sinha:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Dr. P. Srinivasan:
Shri Paramasivan:
Shri Daljit Singh:
Shri Abdul Ghani Goni:
Shri Samnani:
Shri P. Venkatasubbaiah:
Shri Laxmi Dass::
Shri Ram Harkh Yadav:
Dr. L. M. Singhvi:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the reasons for providing so many facilities to Sheikh Abdullah irrespective of the fact that Government are well aware of his anti-national activities;

(b) whether any letters and memoranda have been received protesting against this policy of Government and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) Only such facilities have been given to Sheikh Abdullah as are necessary to enable him to live in reasonable comfort, keeping in view the way of life he is used to.

(b) Yes, Sir.

(c) The Government are of the view that the facilities given to Sheikh Abdullah are not excessive.

जम्मू तथा काश्मीर के संसद्-सदस्य

*84. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 240 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य से संसद् के लिये सीधा चुनाव करने के प्रश्न पर से सम्बन्धित विभिन्न बातों पर जम्मू तथा काश्मीर सरकार के निर्णय संघ सरकार के पास पहुंच गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Enquiry into Gandhiji's Assassination

*85. **Shri Bade:**
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri D. N. Tiwary;
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Brij Raj Singh:
Shri Surendra Pal Singh:
Shri Ram Harkh Yadav:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Pathak Commission has completed its enquiry into the allegation that some persons had prior knowledge of the scheme to murder Mahatma Gandhi; and

(b) if so, the outcome thereof?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

अध्यापकों के वेतन क्रम

*86. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री नवल प्रभाकर :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों का वेतन-क्रम बढ़ाने तथा उसको एक समान बनाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों से बातचीत आरम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे में यदि कोई प्रगति हुई है, तो कितनी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) से (ग) : सभी स्तरों पर अध्यापकों के वेतन और सेवा की हालतों तथा साथ ही साथ उनकी योग्यताओं में सुधार करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों पर जोर डालती रही है । भारत सरकार ने सहायता-प्राप्त स्कूलों और सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन की असमानताओं को दूर करने की जरूरत पर भी जोर दिया है । जून, 1965 में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस विषय पर बातचीत की गई थी । सम्मेलन का सर्वसम्मति से यह विचार था कि अध्यापकों का वेतन बढ़ाने की अविलंबनीय जरूरत है और इसमें होने वाले सभी अतिरिक्त खर्च सिर्फ राज्यों के स्रोतों से पूरा नहीं किया जा सकता । इस बात पर भी सहमति थी कि इस प्रयोजन से आयोजना में छोटी-मोटी, सांकेतिक जैसी, व्यवस्था करके अब तक जो कोशिशें की गई हैं, वे अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं। और अध्यापकों के वेतन में होने वाली बढ़ोतरी जिसका अध्यापक के रूप में दक्षता बढ़ाने के किसी नए पुनश्चर्या आदि के कार्यक्रम से संबंध नहीं है को आयोजनेतर क्षेत्र में होने वाला सामान्य खर्च समझा जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए खर्च होने वाला धन राज्य के संसाधनों और आयोजनेतर खर्च के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता के द्वारा ही प्राप्त करना होगा ।

किसी भी राज्य सरकार से सुझाव मिलने पर इस मामले की फिर से जांच की जाएगी ।

आसाम में शान्ति तथा सुरक्षा स्थिति

*87. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश से उत्पन्न स्थिति ग्रहीत सीमावर्ती राज्य में शांति व सुरक्षा सम्बन्धी स्थिति का अध्ययन करने के लिये इस वर्ष जुलाई के शुरू में आसाम तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन के अध्ययन का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) उस सीमावर्ती राज्य में उन विभिन्न समस्याओं के बारे में क्या कदम उठाने का विचार है जिन के कारण उस सीमावर्ती राज्य में शांति व सुरक्षा के लिये ख़तरा पैदा हो गया है ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां । मैंने आसाम, त्रिपुरा तथा मनीपुर में 24 से 26 जून, 1965 तक दौरा किया था; न कि जुलाई में ।

(ख) और (ग) : इस क्षेत्र की सारी समस्याओं और उनका सामना करने के लिये सोचे गए उपायों के बारे में बताना सम्भव नहीं है । मेरे दौरे और विचार विमर्श का स्वभावत: ही आंतरिक सुरक्षा को कड़ा करने, पाकिस्तानियों की घुसपैठ रोकने, उपद्रवी नागाओं की गतिविधियों का मुकाबला करने और सम्भावित ख़तरों का सामना करने के लिए सुरक्षा तथा पुलिस टुकड़ियों की शक्ति बढ़ाने के उपायों से सम्बन्ध था ।

कैरों हत्याकांड

*88. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री बड़े :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री हेमराज :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बृजराज सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हे० बी० कौजलगी :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री गुलशन :
श्री प० ह० भील :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री रा० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री बसुमतारी :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने उस पुलिस दल को रिपोर्टों की छान बीन पूरी कर ली है जिसने पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय प्रताप सिंह कैरों के हत्याकांड के सम्बन्ध में अपेक्षित मुख्य संदिग्ध अभियुक्त सुच्चासिंह का पीछा करते हुए उसे नैपाल में पकड़ा था ;

(ख) क्या कैरों हत्याकांड की जांच पड़ताल को राज्य सरकार से ले लेने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) सरदार प्रताप सिंह कैरों की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा की गई जांच पड़ताल । नेपाल से सुच्चा सिंह के प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही में इस समय कितनी प्रगति

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) केन्द्रीय जांच विभाग इस बारे में कोई जांच नहीं कर रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तीन संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं । एक और संदिग्ध व्यक्ति अभी फ़रार है और पंजाब पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार करने की पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है । सुच्चा सिंह के प्रत्यर्पण की कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं हुई है ।

ब्रिटेन के पत्रकार की शेख अब्दुल्ला से भेंट

*89. **श्री हेम बरुआ :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :
श्री दे० द० पुरी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री राम हरख यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटन के एक पत्रकार श्री टाम स्टेसी ने गत मई मास में उटकमंड-लम में शेख अब्दुल्ला से बिना अनुमति के भेंट की ;

(ख) यदि हां, तो उस पत्रकार के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ;

(ग) क्या श्री स्टेसी ने भारतीय हिरासत से रिहा होने के बाद लन्दन में भारत के विरुद्ध एक विश्वासघात पूर्ण वक्तव्य दिया; और

(घ) यदि हां, तो ब्रिटेन की जनता के समक्ष घटना का सही चित्र रखने के लिए क्या कार्य-वाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) उसे एकदम गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में संयुक्ताग्ल राज्य भेज दिया गया ।

(ग) लंदन पहुंचने पर, श्री स्टेसी ने लेख लिखे और पत्रकारों से साक्षात्कार किये जिनमें उस ने घटना के बारे में अपना कथन प्रस्तुत किया । अपने कथन में उस ने अपने पक्ष को सही सिद्ध करने तथा स्वयं को पीड़ित पक्ष सिद्ध करने का प्रयत्न किया ।

(घ) संयुक्ताग्ल राज्य में भारत के उच्चायुक्त ने प्रेस वक्तव्यों द्वारा सही स्थिति पर प्रकाश डाला और इन प्रैस वक्तव्यों का वांछनीय प्रभाव पड़ा ।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये माध्यम

*90. श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बृजराज सिंह :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री हे० बी० कौजलगी :
श्री वासप्पा :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री किन्दर लाल :
श्री रा० बरुआ :
श्री काजरोलकर :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई सभी राष्ट्रीय भाषाओं के प्रयोग करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सरकार ने सिद्धान्त रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि सभी अखिल भारतीय तथा उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में अंग्रेजी के साथ-साथ वैकल्पिक माध्यम के रूप में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के प्रयोग की अनुमति होनी चाहिये ।

(ख) परीक्षाओं की योजना, उन के समय तथा प्रक्रिया सम्बन्धी पहलुओं पर, संघ लोक सेवा आयोग का दृष्टिकोण ज्ञात होने के बाद विचार किया जायेगा ।

संस्कृत पुस्तकें

155. श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में संस्कृत संगठनों अथवा संस्कृत के विद्वानों को संस्कृत की पुस्तकें मुफ्त बांटने के हेतु उन की खरीद के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ख) जिन व्यक्तियों को ये पुस्तकें तथा साहित्य दिया गया है उन की राज्य-वार संख्या क्या है और उन को दी गई पुस्तकों का मूल्य क्या है; और

(ग) क्या उनका दुरुपयोग न होने देने के लिये सरकार का उन के वितरण के तरीके में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) पुस्तकों की खरीद के लिए अलग से कोई राशि नियत नहीं की गई थी। फिर भी, 71,500/– रुपये की पुस्तकें खरीदी गईं।

(ख) पुस्तकें, संलग्न वितरण सूची में सम्मिलित संस्थाओं को, भारत सरकार की ओर से भेंट स्वरूप वितरित की जाती हैं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4540/65]**।

(ग) वितरित की गई पुस्तकों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में अभी तक भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

केरल में फायर स्टेशन

156. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965–66 में केरल में नये फायर स्टशन खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां कहां पर ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एर्णाकुलम् में सिविल लाइन्स

157. श्री अ० क० गोपालन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्णाकुलम् (केरल) में सिविल लाइन्स के निर्माण के लिये क्या कारवाई की गई है ; और

(ख) निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) सिविल लाइन्स (अर्थात् सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों) के लिये थ्रिक्काकारा में स्थान निर्धारित किया गया है। 40 टाइप 2 (डुप्ले) और 20 टाइप 3 क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है। इन पर 8.12 लाख रुपये की लागत का अनुमान है जिस में से 1.14 लाख रुपये का चालू वर्ष के बजट प्राक्कलन में प्रबन्ध किया गया है।

(ख) आशा है कि निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायगा।

कोचीन विकास प्राधिकार

158. श्री अ० क० गोपालन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन विकास प्राधिकार के अधिकार-क्षेत्र में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किये जायेंगे;

(ख) इस प्राधिकार के क्या-क्या कार्य होंगे ;

(ग) क्या गैर-सरकारी सदस्य भी इस के लिये चुने जायेंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो वे प्रतिनिधि किस आधार पर चुने जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) कोचीन क्षेत्र के लिये एक विकास प्राधिकार का निर्माण विचाराधीन है । अभी तक अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

तिहाड़ जेल में नजरबन्द व्यक्ति

159. श्री अ० क० गोपालन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अगस्त, 1965 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कितने व्यक्ति नजरबन्द थे ;

(ख) क्या इन नजरबन्दियों को रेडियो तथा भाषा समाचारपत्र आदि की सुविधाएं दी जाती हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(घ) उन पर क्या कार्रवाई की गई है ;

(ङ) क्या तिहाड़ जेल में नजरबन्द सभी व्यक्तियों को परिवार भत्ता दिया जाता है ; और

(च) परिवार भत्ता प्राप्त करने वाले नजरबन्दियों की संख्या क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) 41.

(ख) रेडियो की सुविधायें नहीं दी गई हैं । नजरबन्दियों को इस समय निम्नलिखित समाचारपत्र दिये जाते हैं :-

अंग्रेजी—दी स्टट्समैन, दी इंडियन ऐक्सप्रैस, दी ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यून, दि हिन्दुस्तान टाइम्स तथा टाइम्स आफ़ इंडिया	(5)
हिन्दी—हिन्दुस्तान और नव भारत . . .	(2)
उर्दू—मिलाप	(1)

(ग) नजरबन्दियों ने एक भाषा दैनिक के लिये अनुरोध किया है किन्तु किसी समाचार-पत्र के नाम का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया ।

(घ) अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(ङ) उपयुक्त मामलों में उनके परिवारों के जीवन निर्वाह के लिये भत्ते की स्वीकृति दी गई है ।

(च) छः ।

केरल लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती

160. श्री अ० ब० राघवन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल लोकसेवा आयोग ने 1964–65 में प्रत्येक जिले से कितने-कितने उम्मीदवार चुने और उन के भर्ती कि जाने की मंत्रणा दी ;

(ख) उन में से प्रत्येक जिले के कितने-कितने उम्मीदवारों की नियुक्ति की जा चुकी है ; और,

(ग) कितने उम्मीदवारों की नियुक्ति अभी की जानी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) उन उम्मीदवारों की संख्या, जिन्हें 1964–65 में केरल लोक सेवा आयोग द्वारा चुना गया और भर्ती के लिये समर्थित किया गया, 8148 है ।

उन उम्मीदवारों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है जो प्रत्येक जिले से चुने गए और जिनकी भर्ती के लिये सलाह दी गई क्योंकि केरल लोक सेवा आयोग के कार्यालय में अध्यापकों, लिपिकारों आदि जैसे कुछ पदों के अलावा अन्य पदों के लिये जिलावार सूचियां नहीं रखी जातीं । यद्यपि उम्मीदवार अपने आवेदन पत्रों में अपने जन्मस्थान भरते हैं, किन्तु चयन जन्मस्थान अथवा जिले के आधार पर नहीं किया जाता। जिलावार-चयन के मामलों में भी इस बात का कोई बन्धन नहीं है कि उम्मीदवार का उसी जिले से सम्बन्ध होना चाहिये जो उसने चुना हो क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 16(2) के अधीन रिहायश या जन्मस्थान के आधार पर भेद भाव निषिद्ध है ।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में स्कूल अध्यापक

161. श्री अ० व० राघवन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेखा परीक्षा की आपत्तियों के कारण केरल के मालाबार क्षेत्र के माध्यमिक स्कूलों के कितने अध्यापकों को ऊंचे दर्जे का वेतन नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल के लोक शिक्षा निदेशक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऊंचे दर्जे के वेतन की मांग उचित है ;

(ग) क्या उन के इस सुझाव को सरकार ने अस्वीकार कर दिया है ; और

(घ) केरल के मालाबार क्षेत्र के अध्यापकों के साथ भेद भाव करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

केरल में पुरानी पाठ्य पुस्तकों की बिक्री

162. श्री अ० व० राघवन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1965 में त्रिवेन्द्रम स्थित केरल सरकार के पाठ्य पुस्तक अधिकारी ने आम नीलामी द्वारा 90 टन पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेची थीं ;

(ख) ये पुस्तकें कब प्रकाशित की गयी थीं तथा उन के प्रकाशन पर क्या लागत आई थी ।

(ग) इन्हें अप्रचलित ठहराने के क्या कारण हैं; और

(घ) नीलामी से कितनी राशि प्राप्त हुई ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ). राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

Notifications Published in Gazette

163. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of notifications published in the Gazette of India, Part I in English only during the last three months; and

(b) whether any action has been taken to bring to the notice of those Ministries their mistake in not sending the Hindi version of the said notifications for publication?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) 2365.

(b) Attention of the Ministries is again being invited to the desirability of sending to the Government of India Press notifications both in English and Hindi simultaneously for publication in the Gazette of India.

गुजरात में तेल के कुएं खोदना

164. श्री पु० र० पटेल : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के मेहसाना जिले के कलोल, सानन्द, जुलासन तथा मेहसाना क्षेत्रों में कितने तेल के कुएं खोदे गये और उनका क्या परिणाम रहा ;

(ख) इन क्षेत्रों में इस समय कितने कुएं खोदे जा रहे हैं ; और

(ग) 1965 में और कितने कुएं खोदने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) अब तक इन क्षेत्रों में 46 कुओं का व्यधन किया गया है, इनमें 13 तेल उत्पन्न करने वाले, 6 गैस पैदा करने वाले, 8 शुष्क हैं, और 17 का परीक्षण हो रहा है; एक को छोड़ दिया गया है; स्तर (Stratigraphic) सूचना के लिये व्यधित किया गया एक कुंआ संरचनात्मक कुंआ है।

(ख) चार और कुंओं का व्यधन किया जा रहा है।

(ग) 1965 के अन्त तक चार और कुंओं के खोदे जाने की आशा है।

Night Patrolling in Delhi

165. Shri Tan Singh: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain improvements are being introduced in night patrolling system in Delhi;

(b) if so, the details thereof; and

(c) when this work will be completed?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). The Delhi Police follow the disc system of night patrolling and there is no proposal to change this system. Certain steps have, however, been taken or are proposed to be taken to make night patrolling more effective. These are as follows:

(1) Increasing the number of patrol vans and providing them with search lights.

(2) Increasing the number of beats within the jurisdiction of some important police stations.

परिषदों के लिये आदर्श रूप हिदायतें

166. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या गृह-कार्य मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें मंत्रालय के वर्ष 1964–65 के प्रतिवेदन के पैरा 16 में निर्दिष्ट विभागीय (क्षेत्रीय) कार्यालय परिषदों के कार्य संचालन के लिये जारी की गई आदर्श रूप हिदायतें दी हुई हों ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : विभागीय, क्षेत्रीय तथा कार्यालय परिषदों के कार्य संचालन के लिये हिदायतों का नमूना अभी तक अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुआ ।

परिषदों के आदर्श रूप विधान

167. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या गृह-कार्य मंत्री विभागीय प्रादेशिक कार्यालय परिषदों के आदर्श रूप विधान सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जैसे मंत्रालय की 1964–65 की वार्षिक रिपोर्ट के पैराग्राफ 16 में उल्लेख है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : विभागीय, प्रादेशिक एवं कार्यालय परिषदों के विधानों के नमूने अभी तक अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुए ।

बम्बई के निकट स्मारक

168. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलाबा जिले में मरूड़ के पास जंजीरा द्वीप के गढ़ को सुरक्षित रखने योग्य पुरातत्वीय स्मारक ठहराया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उपेक्षा के कारण ये स्मारक प्राय: नष्ट हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है । उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Seminar on Indo-Arab Relations

169. **Shri Utiya:**
Shri Marandi:

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 740 on the 8th March, 1965 regarding the Seminar on Indo-Arab relations and state:

(a) whether any progress has been made by the Editorial Committee to implement the recommendations made by the Seminar; and

(b) if so, the details thereof?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). Yes, Sir. The Editorial Committee met on the 15th June, 1965, to discuss the steps to be taken for implementation of the recommendations made by the Seminar. The suggestions of this Committee have been communicated to the Secretariat General of the Arab League in Cairo, which has made further recommendations to the member States.

International Wrestling Championship

170. Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India has secured the fourth place in the International Wrestling Championship;

(b) if so, whether Government are formulating any scheme so that India may secure the first place in the wrestling championship; and

(c) if so, the nature of that scheme?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) No, Sir, India secured the 10th position along with three other countries;

(b) and (c). The Wrestling Federation of India is primarily concerned with the development of wrestling in India. Proposals received from the Federation for holding championships, organising coaching camps, purchasing equipment, sending teams abroad or inviting foreign teams to India are given due consideration and financial assistance is given to the extent considered feasible and necessary. Besides, persons are trained at the National Institute of Sports, Patiala, to become coaches in wrestling.

नेफा का सामाजिक-आर्थिक सवक्षण

171. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने हाल ही में नेफा का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो नेफा प्रशासन कायम होने के बाद वहां के सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में हुई प्रगति संबंधी परिषद् के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) एक सर्वेक्षण जारी है।

(ख) अभी आयोग ने अपने निष्कर्षों के बारे में कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है।

नेफा में प्रशासनिक सुधार

172. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 29 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 625 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेफा में प्रशासनिक सुधार संबंधी एरिंग समिति के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : ग्राम, मण्डल, जिला तथा एजेंसी स्तर पर अलग-अलग निकाय बनाने के बारे में एरिंग समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

समिति के उत्तर पूर्वी सीमा संगठन का कार्य गृह-मंत्रालय को हस्तान्तरित करने, सीमांत डिवीजनों के नाम बदलने, उत्तर पूर्वी सीमांत संगठन पुलिस की स्थापना आदि के बारे में भी कुछ सिफारिशें की हैं।

इन कार्यों के बारे में कुछ प्रगति हुई है जिसका विवरण इस प्रकार है :—

(क) प्रशासन-व्यवस्था

उत्तर पूर्वी सीमा संगठन का कार्य 1 अगस्त, 1965 से गृह मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

(ख) नामकरण में परिवर्तन

उत्तर पूर्वी सीमा संगठन के पांचों सीमांत डिवीजनों को जिले पुकारा जाएगा और "सीमांत" शब्द को भी हटा दिया जाएगा।

राजनीतिक अधिकारियों को उप आयुक्त, अतिरिक्त राजनीतिक अधिकारियों को अतिरिक्त उप-आयुक्त तथा सहायक राजनीतिक अधिकारियों को सहायक आयुक्त पुकारा जाएगा। यह सुझाव अभी तक अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया गया।

(ग) उत्तर पूर्वी सीमांत-पुलिस

इस सुझाव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

सप्रू समिति की रिपोर्ट

173. श्री हेम बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री हेडा :
श्री रा० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा को समवर्ती विषय बनाने के संबंध में सप्रू समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों से इस बारे में परामर्श किया है ; और

(ग) इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया रही ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) शिक्षा को समवर्ती विषय बनाने के संबंध में सप्रू समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों को भेज दी गई थीं और आठ राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं। ये राज्य सरकारें इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं।

दिल्ली में कारों तथा स्कूटरों की चोरी

174. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री हेडा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में कारों तथा स्कूटरों की चोरी की घटनाओं में असामान्य रूप से वृद्धि हुई है ;

(ख) गत दो वर्षों में कितनी कारों तथा स्कूटरों की चोरी हुई तथा उनमें से कितनी कारें तथा स्कूटर बरामद हुये ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : 1965 में स्कूटरों की चोरियों में काफी वृद्धि हुई है जबकि कारों की चोरी की घटनाओं में मामली सी वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) सदन के सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4541/65]**

दिल्ली में पाकिस्तानी जासूस

175. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री दिल्ली में पाकिस्तानी जासूसों के गिरोह के बारे में 5 मई, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1180 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोनों अभियुक्तों का मुकदमा किस अवस्था तक पहुंचा है ; और

(ख) उन पर भारत रक्षा अधिनियम् तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन मुकदमा न चलाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) कैद कराने के लिये दिल्ली के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में कार्यवाही शुरू की गई है और आगे चल रही है।

(ख) सरकार को दी गई कानूनी सलाह के आधार पर दोनों अभियुक्तों पर राजकीय रहस्य अधिनियम, 1923 के अधीन मुकदमा चलाया जा रहा है।

दिल्ली में शिक्षा

176. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिये पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में शिक्षा संबंधी सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कालेजों में अध्यापक व विद्यार्थियों का अनुपात

177. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कालेजों में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई सुधार हुआ है ;

(ग) यदि हां तो कहां तक ; और

(घ) इस संबंध में चौथी योजना में और क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) कालेजों में अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात में सुधार लाने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों का है। तथापि तृतीय योजना काल में विश्वविद्यालयों में तीन साल के डिग्री कोर्स जारी करने तथा चुने हुये कालेजों में स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास की योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वित्तीय सहायता दे रहा है ताकि अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की जा सके जिसका उद्देश्य अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात में सुधार करना है।

(ख) समूचे रूप में पिछले दो सालों में अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात में कोई सुधार नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस संबंध में चौथी योजना में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पैट्रोलियम उत्पादों की मांग

178. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना में पैट्रोलियम उत्पादों की मांग का कोई व्यापक अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या चौथी योजना में पैट्रोलियम उत्पादों की मांग पूरी करने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय रक्षा नियमावली द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों को दृष्टि में रखते हुये प्रत्येक उत्पाद के लिये अनुमानित मांग को बताना सम्भव नहीं है ; चौथी योजना के प्रत्येक वर्ष में बिटूमैन के अतिरिक्त सारे मख्य उत्पादों की कुल अनुमानित मांग निम्न प्रकार होगी :—

(मात्रा दस लाख में)

1966	16.2
1967	18.2
1968	21.2
1969	24.2
1970	26.9

(ग) जी हां ।

(घ) यह फैसला हुआ है कि 1970 तक मद्रास, हल्दिया और उत्तर पश्चिम भारत में चुने जाने वाले स्थान पर तीन और शोधनशालाओं की स्थापना से प्रति वर्ष 25.80 मिलियन मीटरी टन शोधन क्षमता बढ़ाई जाए ।

Indian Repatriates from Ceylon

179. **Shri S. C. Samanta:**
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Mohammed Koya:

Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the steps taken by Government for the rehabilitation of persons of Indian origin coming from Ceylon;

(b) the places where these persons are being settled;

(c) the arrangements made by Government to give them grants and assistance; and

(d) the amount allocated for this purpose?

The Minister of Rehabilitation (Shri Mahavir Tyagi): (a) to (d). Repatriation of persons of Indian origin under the Indo-Ceylon Agreement of 1964 has not yet started. Arrangements for their rehabilitation, grant of relief and other assistance are under consideration.

Petro-chemical Complex near Barauni Refinery

180. **Shri Utiya:**
Shri Marandi:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 552 on the 24th March, 1965 regarding Petro-chemicals Complex near Barauni Refinery and state:

(a) whether main aspects of the scheme have since been considered; and

(b) if not, by what time it is likely to be completed?

Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) and (b). A techno-economic feasibility report on Phase I of the Barauni petro-chemical schemes comprising manufacture of benzene, toluene, cyclohexane, o-xylene and p-xylene has been completed and is under scrutiny. Preliminary techno-economic study on downstream units like caprolactam, DMT and Phthalic anhydride will be taken in hand shortly.

दिल्ली की यातायात समस्यायें

181. **श्री उटिया :**
श्री मरंडी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 24 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 553 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी की यातायात समस्याओं संबंधी भगवान सहाय समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4542/65]** ।

वाम पंथी साम्यवादियों की रिहाई

182. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री तेन सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत हाल में गिरफ्तार किये गये कुछ वाम पंथी साम्यवादी नेताओं को अब रिहा कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो मई-जून, 1965 में कितने रिहा किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां कुछ वामपंथी साम्यवादी रिहा किये गये हैं ।

(ख) 21 ।

व्हिटले परिषद्

183. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर व्हिटले परिषद् ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं ।

(ख) कुछ कर्मचारी संगठनों ने योजना के बारे में कुछ प्रश्न उठाये थे । मई, 1965 में गृह-मंत्री द्वारा कर्मचारी संगठनों के साथ की गई बैठकों में उन पर विचार किया गया । जिन थोड़े से प्रश्नों पर फैसला होना शेष है उनकी जांच की जा रही है और समझौते पर पहुंचने के लिये और विचार-विमर्श करने का विचार है ।

दिल्ली में भयोत्पादक विनोद-पत्रिकायें
(होरर कामिक्स)

184. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजधानी में गत तीन महीनों में भयोत्पादक विनोद-पत्रिकाओं की बिक्री बहुत अधिक बढ़ गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पिछले तीन महीनों में किशोर (हानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के अनुसार "हानिकर प्रकाशनों" (भयोत्पादक विनोद -पत्रिकाओं के नाम से प्रसिद्ध) की बिक्री में कोई बढ़ौतरी सरकार के ध्यान में नहीं आई ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पुलिस के लिये उचित मूल्य वाली दुकानें

185. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के लिये उचित मूल्य वाली एक दुकान खोल दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य संघ प्रशासित राज्य-क्षेत्र में भी निकट भविष्य में ऐसी दुकानें खोलने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) दिल्ली पुलिस के लिये अलग से आयातित गेहूं को उचित मूल्य वाली कोई दुकान नहीं चल रही । हां कल्याणकारी उपाय के रूप में पुलिस विभाग ने नई पुलिस लाइन, पुरानी पुलिस लाइन, सुरक्षा पुलिस लाइन और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में चार अनाज की दुकानें खोली हैं जिन पर कर्मचारी वर्ग के सदस्यों को नाममात्र के लाभ पर दैनिक उपयोग की वस्तुयें बेची जाती हैं। इसके अलावा, विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों को चाय, शीतल पेय तथा खाने की चीजें देने के लिये छोटी छोटी कैंटीनें भी चल रहीं हैं। इन अनाज की दुकानों अथवा कैंटीनों को चलाने के लिये सरकारी धन का प्रयोग नहीं होता ।

(ख) जी नहीं ।

अन्दमान में उच्च शिक्षा

186. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान की जनता के बार बार प्रार्थना करने पर भी अन्दमान के विद्यार्थियों के लिये कोई कालेज नहीं खोला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में कालेज खोलने के प्रश्न पर विचार किया गया है किन्तु इन द्वीपों में उच्च माध्यमिक स्कूलों से जो विद्यार्थी निकलते हैं उनकी संख्या को देखते हुये अभी वहां कालेज खोलना न्यायसंगत नहीं मालूम होता ।

बुनियादी शिक्षा

187. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री 3 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 591 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह पता है कि बुनियादी शिक्षा की कई संस्थाओं में प्रबन्ध और व्यवस्था ठीक नहीं है और संघ राज्य-क्षेत्रों में पिछले 6 महीनों से कोई प्रशिक्षित अध्यापक नहीं है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी। तथापि भारत सरकार को सामान्य त्रुटियां मालूम हैं और उनको दूर करने/कम करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

ऋण छात्रवृत्ति योजना

188. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री 3 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 569 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऋण छात्रवृत्ति योजना की उपयोगिता का पता लगाने के लिये क्या कोई मूल्यांकन किया गया है।

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरतवीस) : 1963-64 के मुकाबले 1964–65 में योजना के प्रति जनसाधारण की प्रतिक्रिया अच्छी थी, क्योंकि इस वर्ष लगभग 16,000 पात्र विद्यार्थियों को ऋण छात्रवृत्तियां दी गईं, जबकि 1963-64 वर्ष में केवल लगभग 10,000 पात्र विद्यार्थियों को ऋण दिया गया था। योजना के संशोधन, इसके अधिक प्रचार और मामलों की छानबीन में सुधार के परिणामस्वरूप आशा की जाती है कि 1965-66 वर्ष के दौरान 26,500 छात्रवृत्तियों के पूरे कोटे का उपयोग हो सकेगा।

Technical Education

189. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is proposed that no technical colleges should be opened during the Fourth Plan period; and

(b) the proposed schemes to provide adequate employment facilities to Graduates and Post-graduates; and

(c) the changes to be introduced in educational system in order to produce good Graduates?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir.

(b) The expansion of training facilities is co-related to the requirements of technical manpower.

(c) The syllabii, curricula etc. are periodically revised to meet the changing requirements.

Oil in Jaisalmer

190. Shrimati Savitri Nigam: **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Vishwa Nath Pandey: **Shri Karni Singhji:**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that oil deposits have been found in Jaisalmer District of Rajasthan; and

(b) if so, the particulars thereof?

Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Private Teaching Institutes in Delhi

191. Shri Ram Harkh Yadav: **Shri Kajrolkar:**
Shri Vishwa Nath Pandey: **Shri Sidheshwar Prasad:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government propose to enact a law to ban the running of private teaching institutions in Delhi;

(b) if not, the reason therefor; and

(c) by what time this law is likely to be enacted?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (c). A draft model Bill to regulate the establishment and activities of private educational institutions in the country (other than recognised ones) is under preparation. As and when the draft Bill is finalised, steps will be taken to introduce it in Parliament in respect of institutions in Delhi and other Union Territories.

शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्

192. श्री विभूति मिश्र : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री प्र० च० बरुआ :**
श्री रा० स० पाण्डेय : **श्री दे० द० पुरी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् की चौथी वार्षिक बैठक जून, 1965 में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) जी हां। राष्ट्रीय परिषद् की चौथी बैठक 4 जून, 1965 को हुई थी ; ।

(ख) परिषद् की मुख्य सिफ़ारिशें/निर्णय निम्न लिखित हैं :

(1) स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा की उन्नति के लिए पाठ्यचर्या के निकास, शिक्षण सम्बन्धी सामग्री, पाठ्य पुस्तकें तथा प्रयोगशालाओं के लिये नमने का सामान तथा प्रयोगात्मक सामान आदि के सम्बन्ध में व्यापक कार्य चलाया जाये ।

(2) विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं में शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दिया जाये ।

(3) पाठ्य पुस्तकें शीघ्र तैयार की जायें और राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाये कि वे राष्ट्रीय परिषद् द्वारा तैयार की गई पुस्तकों को स्वीकार करें या उनमें कुछ रूपभेद कर लें ।

(4) परीक्षा प्रणाली में सुधार करने की योजना का सब राज्यों तक निस्तार किया जाये और उस के बाद किये जाने वाला कार्यक्रम भी तैयार किया जाय जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिषद् द्वारा सुझाये गये सुधार निरन्तर कार्यान्वित किये जाते रहेंगे ।

प्रव्रजकों की जांच पड़ताल

193. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की जांच-पड़ताल कर ली है जो कि इस समय विभिन्न राज्यों में शिविरों में हैं ;

(ख) इस जांच-पड़ताल से पुनर्वास योजनाएं बनाने में, विशेषतया उनकी रुचि के अनुकूल काम देने के सम्बन्ध में सरकार को कहां तक सहायता मिली है; और

(ग) अभी तक की गई जांच-पड़ताल के क्या परिणाम निकले हैं और उनके आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जांच-पड़ताल अभी प्रगति पर है । शिविरों में 56,753 परिवारों की कुल जन संख्या में से, 25,466 परिवार जिनमें 1,27,330 व्यक्ति हैं उनकी जांच-पड़ताल कर ली गई है ।

(ख) जांच-पड़ताल की रिपोर्टों में प्राप्त मसौदा विस्थापितों को चुनने के प्रयोजन में लाया जा रहा है ताकि उसके अनुसार उन्हें भूमि पर तथा अन्य धन्धों में बसाया जा सके ।

विस्थापितों के पूर्व व्यवसाय तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास योजनायें बनाई जा रही हैं ।

(ग) अब तक की गई जाच-पड़ताल के परिणाम तथा उसके आधार पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है ।

बेलगांव–कारवार सीमा विवाद

194. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बासप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेलगांव-कारबार सीमा क्षेत्रों सम्बन्धी विवादों को सुलझाने के लिए कार्यवाही की है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने मैसूर तथा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों तथा प्रसिद्ध नेताओं द्वारा इस विषय में दिये गये वक्तव्यों पर विचार किया है; और

(ग) क्या इन क्षेत्रों को पड़ौसी राज्यों में मिलाने के प्रश्न पर सम्बन्धित लोगों से निर्णय करवाने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)) : (क) हां।

(ख) सरकार को दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों, राजनीतिक दलों तथा प्रसिद्ध व्यक्तियों के विचार ज्ञात हैं ।

(ग) ऐसा कोई भी सुझाव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

माना शिविर में गोली-कांड

195. श्री हेम बरुआ : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माना शरणार्थी शिविर पर 1 मई, 1965 को पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में जो जांच हो रही थी वह पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां।

(ख) रायपुर (म० प्र०) के अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट उपपत्तियों के संक्षेप की जिन को कि राज्य सरकार ने मान लिया है, एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये एल० टी० संख्या** 4544/65] ।

वैस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की यात्रा

196. श्री हेम बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम हरख यादव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रशासनिक सेवाओं में दोष

197. श्री हेम बरुआ : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रशासनिक सेवाओं में व्याप्त उन बहुत से दोषों की ओर दिलाया गया है जिनका दिल्ली में लोक प्रशासन संस्था की गोष्ठी का उद्घाटन करते समय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में उल्लेख किया था; और

(ख) यदि हां, तो प्रशासनिक सेवाओं से इन दोषों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). हां। वित्त मंत्री के भाषण की एक रिपोर्ट जैसा कि वह 7 मई, 1965 के स्टेट्समैन में छपा था सरकार के ध्यान में आई है। परन्तु वित्त मंत्री का भाषण आशु (अलिखित) था और उसकी रिपोर्ट आंशिक रूप से ही सच है। वित्त मंत्री के भाषण का विषय जनशक्ति-साधनों के पूरे उपयोग तथा नियुक्ति के समय और बाद में भी उच्चतर उत्तरदायित्व ग्रहण करने की अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता थी।

सेवा-पूर्व तथा सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण को सदा ही सेवाओं की दक्षता के लिए अत्यावश्यक माना गया है और प्रशासकीय सेवाओं के विभिन्न वर्गों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है। इस व्यवस्था का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है। जनशक्ति के साधनों और आवश्यकताओं के आकलन तथा उसके उपयोग पर भी सरकार का ध्यान है।

असाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर दो मील चौड़ी पट्टी

198. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान-असाम की पूरी सीमा के साथ-साथ दो मील चौड़ी पट्टी बनाने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आसाम में पाकिस्तानियों द्वारा जासूसी

199. **श्री मं० रं० कृष्ण :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री हेम बरुआ : **श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसाम के उद्योग मंत्री द्वारा 10 मई, 1965 को शिलांग में दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि आसाम में बड़े पैमाने पर शत्रु की गतिविधियां तथा जासूसी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य में कुछ पाकिस्तान समर्थक तत्व जासूसी तथा अन्य विध्वंसात्मक कार्यवाहियां करते रहे हैं।

(ग) ऐसी गतिविधियों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा यथोचित उपाय कर लिये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं।

गोआ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

200. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र गोआ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख). पंजिम में हिन्दी पढ़ाने का एक अंशकालिक केन्द्र शुरू करने के लिए सरकारी आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं। ज्योंही आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था कर ली जायेगी त्योंही केन्द्र काम करना शुरू कर देगा।

विश्वविद्यालयों में एक-वर्ष का अध्यापन पाठ्यक्रम

201. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री बृजराज सिंह :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री बड़े :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में एक-वर्ष के अध्यापन का एक नया पाठ्यक्रम आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). विज्ञान के अध्यापकों की अत्याधिक कमी को दूर करने के लिए शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् ने यह सिफारिश की है कि कुछ ऐसे चुने हुए विश्वविद्यालयों में एक-वर्ष के अध्यापन का एक नया पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाये, जिनके पास विज्ञान और शिक्षा के खूब उन्नत विभाग हैं। इस पाठ्यक्रम में विज्ञान के स्नातकों को प्रवेश दिया जाना चाहिये और 75 रुपये प्रतिमास की छात्रवृत्ति दी जानी चाहिये। इस पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को आधुनिक विज्ञान पढ़ाने, प्रयोगात्मक कार्य, श्रव्य-दृश्य साधनों आदि, तथा उनके विषयों में विशेषज्ञता प्राप्ति का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

गौहाटी शोधनशाला

202. श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री जो० ना० हजारिका :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गौहाटी शोधनशाला विस्तार योजना तैयार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) और उसकी शोधन क्षमता में कुल कितनी वृद्धि करने का निर्णय किया गया है; और

(ग) इस निर्णय को करते समय किन बातों को ध्यान में रखा गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) से (ग). गौहाटी शोधनशाला के विस्तार के लिए इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० (शोधनशालाएं प्रभाग) और रूमानिया के मैसर्ज़ इण्डस्ट्रीयल-एक्सपोर्ट ने संयुक्त रूप से एक योजना तैयार की है। इस योजना में 0.75 मिलियन मीटरी टन की मौजूदा क्षमता को 1·10 मिलियन मीटरी टन या 1.25 मिलियन मीटरी टन तक का विस्तार करना है। इस योजना पर सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया है।

मेरठ विश्वविद्यालय

203. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ विश्वविद्यालय नाम से एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस विश्वविद्यालय से कौन-कौन से जिले सम्बद्ध किये जायेंगे; और

(ग) इसके कब तक कार्य आरम्भ करने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभापटल पर रख दी जायेगी ।

शिक्षा मंत्री को धमकी भरे पत्र

204. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1965 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मामलों के बारे में कार्यवाही करने पर शिक्षा मंत्री को धमकी भरे पत्र मिले हैं;

(ख) क्या उनके मामले में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). चार पत्र प्राप्त हुए थे । एक गुमनाम था और दो कल्पित नामों से भेजे गये प्रतीत होते हैं । चौथे पत्र के लेखक का पता चल गया है । पता चला है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है । उसके विरुद्ध मुकदमा चलाने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन

205. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम अपने आधे से अधिक कर्मचारियों को मई, 1965 का वेतन देने की स्थिति में नहीं था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) स्थिति का सामना करने तथा भविष्य में ऐसी आकस्मिकताओं से बचने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख). दिल्ली नगर निगम ने अपने कर्मचारियों के मई मास के वेतन का भुगतान 1 से 10 जून, 1965 के बीच किया । भुगतान में देर का कारण नगर निगम के कोष में धन की कमी थी ।

(ग) सरकार ने दिल्ली में स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ आधार प्रदान करने की दृष्टि से दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका के आर्थिक साधनों तथा आवश्यकताओं की जांच करने के लिए मार्च, 1965 में एक जांच आयोग नियुक्त किया है ।

नुबियन स्मारक

206. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस निधि के लिए अपना अंशदान दे दिया है जो संयुक्त अरब गणराज्य में आस्वान बांध के जलाशय में नुबियन स्मारकों को डूबने से बचाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्नों को परिव्यय के लिए इकट्ठी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह अंशदान किस रूप में दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). भारत सरकार ने यूनेस्को को सूचित कर दिया है कि वह 28 लाख रुपयों के मूल्य की सेवाएं, संभरण और साज-सामान 1963 से 1969 तक के सात वर्षों में देने को राजी है । अब तक यूनेस्को ने इस प्रस्ताव का लाभ नहीं उठाया है और भारत से चाही गई सेवाओं, साज-सामान और संभरण की सूची अब तक नहीं भेजी है ।

यूनेस्को के नुबिया स्मारक डिवीजन के डायरेक्टर श्री ए० ब्रिओनी के सितम्बर, 1965 के शुरू में इस विषय में भारत सरकार से बातचीत करने के लिए नई दिल्ली आने की उम्मीद है ।

बर्मा शैल के साथ तेल-शोधन करार

207. **श्री श्रीनारायण दास :** **श्री प्रभात कार :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री वारियर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और बर्मा शेल के बीच संशोधित तेल शोधन करार पर हस्ताक्षर हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तालुकदार समिति

208. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वारियर :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या *पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालुकदार समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है, और अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) यह आशा की जाती है कि 18-8-65 को रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होंगे ।

(ख) यह तब मालूम होगा जब सरकार रिपोर्ट को प्राप्त एवं अध्ययन कर लेगी ।

Degrees of Tribhuvan University

209. **Shri Bade:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Brij Raj Singh:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the degrees of the Tribhuvan University of Nepal have been recognised as equivalent to the degrees of Indian universities; and

(b) if not, the reasons therefor?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). 1. The question of the recognition of the degrees of the Tribhuvan University, Kathmandu (Nepal) for purposes of employment under the Central Government is under consideration.

2. For purpose of admission into Indian universities, the Inter-University Board of India and Ceylon resolved that in view of the fact that Tribhuvan University, Nepal would be following the courses of study of the Patna University for their M.A., B.Sc., I.A., I.Sc., I.Com., B.Com. and B.L., recognition may be given to the Tribhuvan University courses of study as long as they continue to be based on those of the Patna University. The resolution is, however, of recommendatory nature and it is for the Indian universities, which are autonomous bodies to implement it or not.

शिक्षा आयोग

210. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार के अवसर प्राप्त होने की दृष्टि से शिक्षा की समस्या की जांच करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति ने क्या प्रगति की है; और

(ख) समिति अपना प्रतिवेदन कब तक देगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) समिति समाप्त कर दी गई थी क्योंकि यह कार्य शिक्षा आयोग को सौंप दिया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अलवाय और त्रिवेन्द्रम में पुलिस

211. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री केप्पन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अलवाय तथा त्रिवेन्द्रम में पुलिस पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) त्रिवेन्द्रम देहाती जिले को समाप्त करके उसे त्रिवेन्द्रम नगर के पुलिस आयुक्त के अधीन लाने और अतिरिक्त कर्मचारियों सहित एर्नाकुलम (अलवाय उपखण्ड सहित) का एक अतिरिक्त पुलिस जिला बनाने का प्रस्ताव है।

जिन परिवर्तनों को करने का प्रस्ताव है उन पर अभी तक अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान

212. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान ने हिन्द महासागर में चल रहा अनुसंधान कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसको अब तक इस काम में क्या सफलता मिली है; और

(ग) इस अभियान में भाग लेने वाले देश कौन-कौन से हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं। कार्य अभी हो रहा है।

(ख) अब तक जो कार्य हुआ है, उससे भौतिकी, रसायन प्राणिविज्ञान तथा महासागर की भीतरी रूपरेखा और बंगाल की खाड़ी व अरब सागर के महाद्वीपीय भग्नतट के सम्बन्ध में आश्चर्यजनक जानकारी मिली है। मानसून की उत्पत्ति सम्बन्धी आधार-सामग्री भी एकत्रित की जा रही है।

(ग) अभियान में भाग लेने वाले देश हैं:—आस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत, इण्डोनेशिया, जापान, पुर्तगाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, अमरीका, रूस, पश्चिमी जर्मन, लंका, इजराइल, नार्वे, थाईलैंड तथा जंजीबार।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

213. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 5 मई, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1193 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के परिणाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है ।

Cyclone in Northern India

214. **Shri Vishwa Nath Pandey:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that much damage was caused to the people of many parts of northern India as a result of the severe cyclone and unprecedented hail-storms in May, 1965;

(b) if so, the total loss of life and property; and

(c) the assistance given by Government to the affected persons?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन

215. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री हेमराज :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री बसुमतारी :

क्या पुनर्वास मंत्री 3 माच, 1965 को पूछे गय तारांकित प्रश्न संख्या 230 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से 10 मार्च, 1965 से अब तक कितने व्यक्तियों ने भारत में प्रव्रजन किया; और

(ख) प्रव्रजकों को विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में बसाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) 10–3–65 से 23–7–65 तक 40,066 व्यक्ति भारत में आये, उनमें से 25,676 प्रव्रजन प्रमाण पत्रों के साथ और 14,390 बिना किसी यात्रा प्रलेखों के आये ।

(ख) एक विवरण, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के पुनर्वास के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में की गई प्रगति का ब्यौरा दिया गया है, संलग्न है ।

नेहरू उच्च शिक्षा अकादमी

216. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री सरजू पाण्डेय :**

क्या **शिक्षा** मंत्री नेहरू उच्च शिक्षा अकादमी की स्थापना के बारे में 31 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 659 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू उच्च शिक्षा अकादमी दिल्ली में स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). प्रस्ताव अब भी जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि के विचाराधीन है ।

सेवाओं तथा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार

217. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री कोल्ला वेंकैया : **श्री लक्ष्मी दास :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 225 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमरीका से विशेषज्ञों का जो दल दिसम्बर, 1964 में आया था, क्या उसके परामर्श से सेवाओं और सार्वजनिक जीवन में फैले हुए भ्रष्टाचार का सामना करने के लिये कोई नया तथा प्रभावी तरीका निकाला गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). नवम्बर और दिसम्बर, 1964 में अमरीका से तीन अधिकारी आये थे । उनमें से एक पुलिस प्रशासन पर परामर्श देने आया था और उसके प्रतिवेदन का सेवाओं तथा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की आम समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं है । उस अधिकारी का प्रतिवेदन, जो जांच के कानूनी पहलुओं तथा मुकदमा चलाने के बारे में सलाह देने आया था, हाल ही में प्राप्त हुआ है और विचाराधीन है । जो अधिकारी व्यक्तियों के प्रशासन में सुधार पर सलाह देने आया था उसका प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

Correspondence with Hindi-speaking States

218. Shri Kindar Lal: **Shri Vishwa Nath Pandey:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Sub-Committee of Hindi Salahkar Samiti constituted for the propagation of Hindi in Hindi-speaking areas has in its recent meeting placed a demand before Government and has sent Memoranda and Resolution to them that it should not be obligatory to attach an English version with the letters written by the Centre to the Hindi-speaking States; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) Yes, Sir. However the memoranda and the resolution were presented to the P.M. by Shri Seth Govind Dass, M.P. as leader of a deputation of Hindi Sahitya Sammelan.

(b) It was agreed at the Chief Ministers' Conference held on 13th December, 1964 that if a State sends a communication to the Centre in Hindi, it should be accompanied by an English translation. This decision is based on a realistic appreciation of the existing situation where a majority of the Central Government employees do not possess a working knowledge of Hindi.

केरल विश्वविद्यालय की परिषद्

219. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कालीकट नगर निगम से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें विश्वविद्यालय सीनेट की परिषद में प्रतिनिधित्व की मांग की गई है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि सभी नगरपालिकाओं तथा कालीकट निगम को प्रतिनिधित्व दिया गया है ; और

(ग) क्या इस असमानता को दूर करने के लिये सरकार का विचार केरल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं। तथापि, केरल शिक्षा विभाग को कालीकट नगर निगम द्वारा पारित एक संकल्प प्राप्त हुआ है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि केरल विश्वविद्यालय अधिनियम, 1957 में एक उपयुक्त उपबन्ध किया जाये जिससे कि परिषद सीनेट के लिये अपना प्रतिनिधि चुन सके ।

(ख) नगरपालिकाओं और त्रिवेंद्रम नगर निगम को प्रतिनिधित्व दिया गया है, परन्तु कालीकट नगर निगम को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया क्योंकि जब केरल विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था तब यह निगम नहीं बना था ।

(ग) केरल विश्वविद्यालय अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने का प्रश्न विचाराधीन है । केरल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिये जब प्रारूप विधेयक तैयार हो जायेगा तो कालीकट नगरपालिका को प्रतिनिधित्व देने की उसकी प्रार्थना पर विचार किया जायेगा ।

भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों की पैरोल पर रिहाई

220. श्री मुहम्मद कोया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत कितने नजरबन्द व्यक्तियों को 1 अगस्त, 1965 तक पैरोल पर रिहा किया गया ;

(ख) यदि हां, तो उनकी रिहाई के क्या कारण थे ; और

(ग) कितनों को अनुमति नहीं दी गई तथा उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभापटल पर रख दी जायेंगी ।

Rehabilitation of Displaced Persons in Dandakaranya

221. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade:
Shri Brij Raj Singh:
Shri Surendra Pal Singh:
Shri H. C. Linga Reddy:
Shri Mohan Swarup:

Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of displaced persons rehabilitated in Dandakaranya so far;

(b) the number of such displaced persons who have returned to Calcutta so far; and

(c) the reasons thereof?

Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): (a) Upto 10th July, 1965, 9,864 families have been resettled in Dandakaranya.

(b) 844 families have left their village sites. There is no information whether any of these families and if so how many returned to Calcutta.

(c) In the absence of contact with families who may have returned to Calcutta, it is not possible to indicate the reasons for their return. Attention is however invited to the Statement laid on the Table of Lok Sabha on 28th April, 1965 in reply to Starred Question No. 1070 by Shrimati Renuka Barkataki, which gives a general assessment by the Dandakaranya Development Authority of the causes for some of the families leaving the villages.

National Anthem in Cinema Shows in Kashmir

222. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Himatsingka:
Shri Rameshwar Tantia:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Anthem is not played at the end of Cinema shows in Jammu and Kashmir; and

(b) if so, the reasons therefor?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

U.P.S.C. Examinations

223. Shri D. N. Tiwary: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have considered the matter of taking away the right of U.P.S.C. to deduct marks of candidates for their superficial knowledge; and

(b) if so, the decision taken in the matter?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) Yes.

(b) Government consider that in the interest of maintaining high standards of recruitment, the provision that marks may be deducted for superficial knowledge should be retained.

पैट्रोलियम उत्पादों का संभरण तथा वितरण

224. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सेज़ियान :
श्री काज़रोलकर :

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पट्रोलियम उत्पादों के निर्बाध संभरण तथा वितरण को सुनिश्चित करने के लिये भारत सुरक्षा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के लागू किये जाने से क्या प्रभाव पड़ा ;

(ख) क्या इन नियमों के अन्तर्गत मुकदमे चलाये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने किन्हीं गैर-सरकारी पैट्रोल पम्पों को अपने अधिकार में ले लिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) भारतीय रक्षा नियमावली के अन्तर्गत शक्तियों को भारत सरकार ने निम्नलिखित आदेशों द्वारा हाथ में ले लिया है :—

(1) पैट्रोलियम् उत्पादन (सूचना को एकत्र करना) आदेश, 1965

(2) पैट्रोलियम उत्पादन (सप्लाई तथा वितरण) आदेश, 1965

प्रथम आदेश के अन्तर्गत, तेल कम्पनियों को बाध्य किया जा सकता है कि वे अपने अधिकृत स्टाक तथा हर केन्द्र एवं डिपो पर भेजे गए माल को हर सोमवार को समुद्र-तट पर की गई सप्लाई तथा तटीय परिवहन की सूचना, गत मास में हुए सही तथा आगामी मास में होने वाले सम्भावित शोधन-शाला के उत्पाद का ब्यौरा आदि की सूचना केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा सम्बंधित क्लैक्टरों को भेजे । द्वितीय आदेश के अन्तर्गत सरकार तेल कम्पनियों को शोधनशालाओं से तटीय तथा देशीय परिवहन (Inland movements ex-refineries) का प्रबन्ध करने के लिए आदेश दे सकती है जिसमें पैट्रोलियम उत्पादों का साम्यिक वितरण हो सके । यह आदेश राज्य सरकारों तथा कलैक्टरों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत व्यापारी / एजेन्ट तथा डिपो के अधिकारियों को (केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से) स्टाक का साम्यिक वितरण के लिए निदेशन प्रेषित करने की शक्तियां भी प्रदान करता है । स्टाक के निरीक्षण तथा खोज की शक्तियां भी निहित कर दी गई हैं । अभी तक इन आदेशों को लागू करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी है क्योंकि तेल कम्पनियां अपने स्टाक, आवागमन में स्टाक की सूचना नियम से भेज रही है तथा परिवहन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार को सहयोग दे रही हैं ।

(ख) और (ग) जी नहीं ।

दिल्ली में मकानों का निर्माण

225. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली प्रशासन विभाग को कहा था कि वह दिल्ली में खाली प्लाटों पर मकान बनाने की समय-सीमा निश्चित करने वाले अपने आदेश को उन मामलों में लागू न करे जिन में प्लाटों के मालिकों के सामने वास्तविक कठिनाइयां हैं ;

(ख) क्या केन्द्र की इस हिदायत के बाद दिल्ली प्रशासन विभाग को कोई ऐसे मामले पेश किये गये हैं जिनमें विस्तुत: कठिनाइयां थी ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों की कितनी संख्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

केरल में मद्य-निषेध

226. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के बारे में मद्य-निषेध नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्मारकों का परिरक्षण

227. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को के विशेषज्ञों के सुझाव के अनुसार सरकार स्मारकों के परिरक्षण के आधनिक तरीकों के प्रशिक्षण के लिये नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये यदि विश्व संगठन द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है तो वह कितनी है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) से (ग) इस विषय में यूनेस्को से प्राप्त रिपोर्ट विचाराधीन है ।

त्रिपुरा में पुनर्वास

228. **श्री दशरथ देब** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित लोगों के ऐसे कितने परिवार हैं जो त्रिपुरा में रह रहे हैं और जिन्हें अभी फिर से बसाया जाना है ;

(ख) अब तक पुनर्वास के लिये कितने विस्थापित व्यक्ति त्रिपुरा से बाहर भेजे दिये गये हैं ; और

(ग) 1965 में अनुमानतः कितने परिवारों के त्रिपुरा से बाहर अन्य स्थानों में भेज जाने की सम्भावना है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी): (क) से (ग) पूर्वी पाकिस्तान से जो व्यक्ति त्रिपुरा में आ रहे हैं उनमें से वे जिनके अपने कोई साधन नहीं हैं और अपने पुनर्वास के लिये पूर्णतया सरकार पर ही आश्रित हैं उन्हे शिविरों में दाखिल किया जाता है और बाद में पुनर्वास के लिये अन्य राज्यों में भेजा जाता है। अब तक 3,537 परिवार जिनमें 15,927 व्यक्ति हैं, त्रिपुरा से अन्य राज्यों में भेजे गये हैं। त्रिपुरा के शिविरों में वर्तमान परिवारों की संख्या 545 है। इन में से 227 परिवार दीर्घ अवधि दायित्व समूह के हैं, जैसे कि वे परिवार, जिनका कोई भी बालिग पुरुष सदस्य समर्थांग नहीं है और 200 परिवारों के बालिग पुरुष सदस्यों के नाम राष्ट्रीय विकास दल में दर्ज किये जायेंगे। शेष 68 परिवार चालू वर्ष में दूसरे राज्यों में भेजे जायेंगे।

त्रिपुरा में रहने वाले परिवारों को सहायता

229. **श्री दशरथ देब** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करंगीचारा तथा त्रिपुरा में रहने वाले उन परिवारों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है जो पिछले दो वर्ष से, पाकिस्तानी सेना द्वारा गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न बाधा के कारण खेती करने के लिये अपनी भूमि पर नहीं जा सके ; और

(ख) यदि नहीं तो उन्हें अन्य स्थानों पर बसाने के लिये अन्य क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) 17 नवम्बर, 1964 से अब तक 15,951 रुपये परीक्षणात्मक सहायता कार्यों पर करंगीचारा में गोलीबारी से प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये खर्च किये गए हैं। जिन 82 परिवारों पर प्रभाव पड़ा है उनमें से 26 के पास प्रभावित क्षेत्र के अतिरिक्त और कहीं जमीन नहीं है। इन 26 परिवारों को भमिहीन कृषक श्रमिक परिवारों के पुनर्वास की योजना के अधीन खास भूमि दी गई है। योजना के अन्तर्गत इन 26 परिवारों को 300 रु० प्रति परिवार की दर से अनुदान की मंजूरी पर त्रिपुरा सरकार द्वारा जोर शोर से विचार किया जा रहा है। वह सरकार प्रभावित क्षेत्रों से उनके घरबार को हटाने के लिए 5,500 रु० तक के अनुदान की मंजूरी के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

इन लोगों को लाभकारी नियोजन देने के लिये एक सरकारी उद्यान-कर्म की फ़ार्म स्थापित करने की एक योजना वर्षा ऋतु की समाप्ति पर क्रियान्वयन के लिये त्रिपुरा के कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई है।

अध्यापकों के लिये होस्टल तथा क्वार्टर

231. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना काल में विद्यार्थियों के लिए होस्टल तथा अध्यापकों के रहने के लिए क्वार्टर बनाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु क० चागला) : (क) से (ग) पूरी चौथी योजना अभी तैयार हो रही है, इसलिये विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। छात्रावासों और अध्यापकों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था (विशेषरूप से लड़कियों की शिक्षा तथा उच्च शिक्षा) वर्तमान प्रस्तावों का एक अंग है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड

232. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड लोगों को वक्फ भूमि देने के लिए नाम दर्ज कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1 जून, 1965 तक कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज किये गये ;

(ग) नाम दर्ज किये गये कितने लोगों को भूमि दी गई; और

(घ) अन्य लोगों को भूमि देने में इसे कितना समय लगेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां।

(ख) 360

(ग) 65

(घ) समय के बारे में बताना सम्भव नहीं है क्योंकि अभी और फालतू वक्फ भूमि उपलब्ध नहीं है।

जर्मन लोकतंत्र गणराज्य के स्टाल में नक्शा

233. **श्री दे० जी० नायक** :
श्री काजरोलकर :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पूना में हुई "इंडिया टुडे" प्रदर्शनी में जर्मन लोकतंत्र गणराज्य के स्टाल में एक नक्शा प्रदर्शित किया गया था जिसमें काश्मीर को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां। किन्तु जब एक दर्शक द्वारा यह गल्ती जर्मन लोकतंत्र गणराज्य के स्टाल पर नियुक्त व्यक्तियों के ध्यान में लाई गई, तब जर्मन लोकतंत्र गणराज्य के सहायक क्षेत्रीय वाणिज्य प्रतिनिधि ने उस नक्शे को प्रदर्शनी से हटवा दिया।

(ख) भारत सरकार ने इस मामले को नई दिल्ली में जर्मन लोकतंत्र गणराज्य के वाणिज्य प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख के सामने रखा। उन्होंने अनजाने में होने वाली इस भूल के लिये क्षमा मांग ली और यह आश्वासन दिया कि ऐसी गल्ती दोबारा नहीं होने दी जायगी।

आदिवासियों को फिर से बसाना

234. श्री गोकुलानन्द महन्ती : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में फूलबाड़ी कालाहांडी, गंजम और कोरापट जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को फिर से बसाने के किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख) जी हां, इन क्षेत्रों में से कुछ के लिए जो त्वरित विकास कार्य-क्रम दृष्टि में रखा गया है यह उसके आंशिक रूप में है। क्षेत्रों का यथार्थ ब्यौरा तथा कार्य-क्रम की अंतर्वस्तु उड़ीसा सरकार से परामर्श करके तैयार की जा रही है।

नजरबन्दियों का छमाही पुनर्विलोकन

235. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में वामपंद्धी साम्यवाथी नजरबन्दियों के मामलों का भारत रक्षा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत छमाही पुनर्विलोकन किया गया है;

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार ने कितने-कितने मामलों का पुनर्विलोन किया ;

(ग) राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में कितने-कितने व्यक्ति रिहा किये हैं; और

(घ) कितने व्यक्तियों की नज़रबन्दी जारी रहेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) 943 का राज्य सरकारों द्वारा तथा 235 का केन्द्रीय सरकार द्वारा।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा एक भी नहीं राज्य सरकारों द्वारा 54।

(घ) 1010.

आसाम के पहाड़ी जिलों के लिये विश्वविद्यालय

236. श्री श्यामलाल सर्राफ :

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

डा० महादेव प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आसाम के पहाड़ी जिलों के लिए एक पृथक विश्वविद्यालय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य के वे जिले अथवा भाग कौन-कौन से हैं जिन्हें इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) आसाम, नागालैण्ड, नेफा, मणिपुर तथा त्रिपुरा को सम्मिलित करते हुए भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने का पूरा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

तीव्रगति डीजल तेल का संभरण

233. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कार्य कर रही विदेशी तेल कम्पनियों ने जून, 1965 में देश में तीव्रगति डीजल तेल के सम्भरण सम्बन्धी लक्ष्य को पूरा नहीं किया ;

(ख) लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था और उसमें कितनी कमी रही; और

(ग) इस कमी के कारण क्या थे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) विदेशी तेल कम्पनियों का तट-दूर परिवहन के लिए लक्ष्य 52,400 मीटरी टन था । वास्तविक परिवहन में 5,200 मीटरी टन की कमी हुई ।

(ग) कमी के निम्न कारण थे :—

(1) प्रोडैक्ट एक्सचेंज अरेन्जमेंट (Product Exchange Arrangement) के अन्तर्गत इण्डियन आयल कारपोरेशन को कालटैक्स द्वारा देयता (Liability) की चूकती (repayment) के कारण तट-दूर परिचालन के लिए उनके पास स्टाक की अपर्याप्त मात्रा में उपलब्धि ।

(2) इंजन की खराबी और/या घाट लगाने (berthing) में उत्पन्न होने वाली देरियों के कारण तीनों टैंकों का फिसलना (Slippage I) ।

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों द्वारा अभ्यावेदन

238. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और जून, 1965 में अपनी बैठक में कोई संकल्प पारित किये थे ;

(ख) क्या अभ्यावेदन और संकल्पों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सम्भवतः केन्द्रीय सचिवालय सेवा (वर्ग 1) ऐसोसियेशन द्वारा 23 जून, 1965 को अपनी साधारण सभा की बैठक में पारित संकल्पों की ओर संकेत किया गया है। यदि ऐसा है, तो उत्तर "हां" है।

(ख) उस बैठक में पारित संकल्पों की एक प्रति सदन के सभा-पटल पर रख दी गई है। इन संकल्पों के विषय से सम्बन्धित विभिन्न अभ्यावेदन ऐसोसियेशन से समय-समय पर प्राप्त हुए हैं। इस बात के स्पष्ट संकेत के अभाव में कि माननीय सदस्य के मन में कौन से अभ्यावेदन हैं, सभा-पटल पर प्रतियां रखना सम्भव नहीं है।

(ग) इस प्रश्न से नीति सम्बन्धी ऐसे मामले उठ खड़े होते हैं जो इतने बड़े हैं कि उन पर एक प्रश्न के उत्तर की सीमा में कार्यवाही नहीं की जा सकती।

नामरूप में उर्वरक कारखाना

239. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा: क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नामरूप (आसाम) में उर्वरक कारखाना चालू हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) निर्धारित समय सूची के अनुसार इसे कब चालू होना था ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) विलम्ब होने के निम्न मुख्य कारण हैं :—

(1) भूमि अर्जन में कठिनाई।

(2) पहले चुने गये स्थान की मिट्टी की निबल लदान युक्त क्षमता (load bearing capacity) और चुने गये क्षेत्र के नीचे गैस की विद्यमानता और इसके परिणामस्वरूप वैकल्पिक स्थान को मालूम एवं अर्जन करने की आवश्यकता।

(3) 1962–63 में चीन के आक्रमण द्वारा अनिश्चितता तथा गड़बड़।

1966 के अन्त तक परियोजना को वास्तविक रूप में चालू होना था। अब 1967 के मध्य तक कारखाने के निर्माण कार्य के पूरे होने की आशा है।

आसाम में उर्वरक कारखाना

240. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका राय :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा आयल कम्पनी ने आसाम में एक उर्वरक कारखाना बनाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की क्षमता क्या होगी; और

(ग) इस प्रस्तावित कारखाने के लिए अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) से (ग) आसाम में प्राकृतिक गस पर आधारित एक उर्वरक कारखाने की स्थापना में बर्मा आयल कपनी ने दिलचस्पी प्रकट की है । विस्तृत प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जम्मू और काश्मीर का सर्वेक्षण

241. **श्री अब्दुल ग़नी गोनी :**
श्री समनानी :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों ने जम्मू और काश्मीर का कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) अधिक सर्वेक्षणों की आवश्यकता है ।

जाली इंजीनियरी कालेज

242. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में ऐसे अनेक जाली इंजीनियरी कालेज कार्य कर रहेहैं जिन्हें न तो सरकार की अनुमति प्राप्त है और न ही वे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें बन्द करने के उपायों पर विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) कोई जाली इंजीनियरी कालेज नहीं है, किन्तु ऐसी संस्थाएं हैं, जो विभिन्न मान्यता-प्राप्त परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने हेतु पढ़ाई की व्यवस्था करने का दावा करती हैं । प्राइवेट शैक्षिक संस्थाओं (मायता-प्राप्त के अतिरिक्त) की स्थापना और उन के कार्यकलापों को नियमित करने के लिए एक आदर्श विधेयक का मसौदा विचाराधीन है । इसे राज्य सरकारों की कार्रवाई के लिए उन में परिचालित किया जाएगा । दिल्ली और अन्य संघीय क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं के संबंध में ससद् में कानून बनाने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी ।

गुजरात में पैट्रो–केमिकल उद्योग

243. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में पेट्रो-केमिकल उद्योग में सहयोग करने के लिये विदेशों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) लाइसैंस लेने के लिए कितने निर्माताओं ने प्रार्थना की है ;

(ग) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में लाइसेंस देने के बारे में सरकार ने कोई निश्चय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) (क) जी, हां ।

(ख) ब्रिटेनिया और अमेरिका से प्राप्त हुए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग के प्रस्तावों के अतिरिक्त, जनवरी, 1964 से भारतीय उद्यमकर्ताओं (ehtrepreneurs) से औद्योगिक लाइसेंसों के लिए 18 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं जिन में से 10 पेट्रो-केमिकल मदों से सम्बन्धित हैं ।

(ग) तथा (घ) विदेशी फर्मों के साथ अब बातचीत अन्तिम स्थिति में है । भारतीय पार्टियों के प्रार्थना-पत्रों का मूल्यांकन किया गया है और उनका लाइसेन्स समिति द्वारा विधायन किया जायेगा ।

वाणिज्य तथा व्यवसाय प्रशासन विषयक राष्ट्रीय डिप्लोमा

244. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय द्वारा आरम्भ किये गये वाणिज्य तथा व्यवसाय-प्रशासन विषयक राष्ट्रीय डिप्लोमा को दिल्ली विश्वविद्यालय एम०काम० में प्रवेश के लिये बी० काम० के बराबर मानता है ;

(ख) क्या भारत सरकार, संघ लोक सेवा आयोग, शासपत्रिक लेखापाल (चार्टर्ड एकाउंटेन्ट) संस्था तथा भारत के अन्य विश्वविद्यालय इस डिप्लोमा को बी० काम० के बराबर मानते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) भारत सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग ने वाणिज्य में राष्ट्रीय डिप्लोमा को, सरकारी सेवाओं में रोजगार के प्रयोजन के लिए, बी० काम० की डिग्री के समकक्ष मान्यता दी है । चार्टर्ड लेखाकार-संस्थान ने वाणिज्य में राष्ट्रीय डिप्लोमा को, अपनी परीक्षाओं में प्रवेश के प्रयोजन के लिए बी० काम० की डिग्री के समकक्ष मान्यता दी है । कलकत्ता, उस्मानिया और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों ने वाणिज्य में राष्ट्रीय डिप्लोमा को, एम०काम० पाठ्य-क्रमों में प्रवेश के प्रयोजन के लिए बी०काम० डिग्री के समकक्ष मान्यता दी है । अन्य विश्वविद्यालयों ने, भारत सरकार की बहुत सी प्रार्थनाओं के बावजूद, डिप्लोमा को अभी तक मान्यता नहीं दी है । ऐसा करने के लिए उन से फिर अनुरोध किया जा रहा है ।

श्री बी० के० आहूजा द्वारा आत्महत्या

245. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जी० बी० पन्त तकनीकी संस्था, ओखला, नई दिल्ली के एक विद्यार्थी, श्री बी० के० अहूजा के पास से, जिसने चलती गाड़ी के नीचे आकर आत्महत्या की थी, पुलिस को इस आशय का एक पत्र मिला था कि वह वार्षिक परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति न मिलने के कारण आत्महत्या कर रहा है ;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) मृतक, श्री बी० के० अहूजा की व्यक्तिगत तलाश करने पर दिल्ली पुलिस को हिन्दी में लिखे हुए दो पत्र मिले हैं । एक पत्र में उसने लिखा है कि उसकी आत्महत्या का कारण उसे परीक्षा हाल में न बैठने देना था तथा साथ ही यह भी लिखा है कि उसकी आत्महत्या का मुख्य कारण यह था कि वह जानना चाहता था कि मौत अथवा मौत के बाद क्या है । दूसरा पत्र उस ने अपने भाई को लिखा था जिस में उस ने क्षमा मांगी थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) पुलिस जांच से पता चला कि श्री बी० के० आहूजा परीक्षा हाल में 2 घन्टे 40 मिनट देर से पहुंचे और इसलिये परीक्षा अधीक्षक ने उन्हें परीक्षा में बैठने से मना कर दिया । किन्तु अधीक्षक ने विद्यार्थी को सलाह दी कि वह दूसरे पर्चे की परीक्षा में बैठ जाए तथा पहले पर्चे के संबंध में जिस में वह बैठ नहीं सका था विचार करने के लिए प्रार्थना करते हुए अधिकारियों को एक आवेदन पत्र दे । अधीक्षक की सलाह पर ध्यान न देते हुए विद्यार्थी वहां से चला गया और आत्महत्या कर ली । पुलिस जांच से यह भी पता चला है कि श्री आहूजा और परीक्षा अधीक्षक के बीच हुई वार्ता की जानकारी प्रिंसिपल को नहीं थी और आत्महत्या करने से पहले श्री अहूजा ने प्रिंसिपल से मुलाकात भी नहीं की थी । श्री आहूजा अपने अध्ययन में कमजोर थे और अर्ध-वार्षिक परीक्षा तथा पिछले वर्ष हुई वार्षिक परीक्षा में फेल हो गए थे ।

सिरमौर की गद्दी

246. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिरमौर की गद्दी के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो घोषणा करने में विलम्ब के होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) मामला भारत सरकार के विचाराधीन है ।

संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा का संयुक्त संवर्ग

247. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी संघ प्रशासित राज्य-क्षेत्रों के लिये भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा का एक संयुक्त संवर्ग बनाने का अंतिम निश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) यह प्रश्न अभी तक विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिपुरा में नजरबन्द व्यक्ति

248. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारी बाग की सेन्ट्रल जेल में नजर बन्द व्यक्तियों ने प्रार्थना की है कि उन्हें उनके राज्य में भेज दिया जाये;

(ख) क्या यह सच है कि किसी अन्य राज्य ने नजरबन्द व्यक्तियों को दूसरे राज्य में नहीं भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो त्रिपुरा के नजरबन्द व्यक्तियों के साथ विशेष व्यवहार करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऐसे उदाहरण और भी मिलते हैं जहां जगह की कमी के कारण पहले भी एक राज्य के नजरबन्दियों को दूसरे राज्य की जेलों में रखा गया था । यही कारण त्रिपुरा के नजरबन्दियों को हज़ारीबाग जेल में रखने पर भी लागू होता है ।

त्रिपुरा के नजरबन्द व्यक्तियों की याचिका

249. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के कुछ नजरबन्द व्यक्तियों ने अगरतला में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में एक बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है;

(ख) यदि हां, तो याचिका कब पेश की गई थी ;

(ग) क्या उन्होंने प्रार्थना की है कि उन्हें जबाबी शपथ-पत्र पेश किये जाने के समय तथा याचिका की सुनवाई के समय स्वयं पेश होने की अनुमति दी जाये;

(घ) क्या उनकी याचिकायें अस्वीकृत कर दी गई अथवा नहीं ; और

(ङ) उन पर अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) सात नजरबन्द व्यक्तियों ने 8 मार्च, 1965 को अगरतला में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में याचिकायें दीं।

(ग) और (घ) उन्होंने स्वयं पेश होने की अनुमति मांगी थी, किन्तु उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई ।

(ङ) इन पर अंतिम निर्णय लेने की तिथि न्यायालय की कार्यवाही के अनुसार उसी प्रकार निर्धारित की जायेगी जैसा कि वाद-सूची के अनुसार किया जाता है ।

कीटनाशक दवाइयों की कमी

250. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कीटनाशक दवाइयों की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कीटनाशक दवाइयां बनाने वाले उद्योगों की बेकार क्षमता का कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ग) देश में तैयार किये जाने वाले तकनीकी सामान का उत्पादन तथा कीटनाशक दवाइयां बनाने वाले कारखानों को ऐसे सामान का संभरण बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की है कि कीटनाशक दवाइयां बनाने वाले कारखानों को देश में तैयार की जाने वाली तकनीकी कीटनाशक दवाइयां उनकी क्षमता तथा युक्तिसंगत आधार पर दी जायें ; और

(ङ) क्या सरकार को विदित है कि तकनीकी कीटनाशक दवाइयों के निर्माता कीटनाशक दवाइयां बनाने वाले कारखानों को तकनीकी सामान का वितरण क्षमता तथा युक्ति संगत आधार पर नहीं कर रहे हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) और (ङ) संयंत्र संरक्षण कार्यों (plant protection operations) के गति के बढ़ जाने, आयातित अथवा देशीय सामग्री पर आधारित कीटनाशक दवाईयां कभी-कभी काफी मात्रा में उपलब्ध नहीं होती हैं और सरकार इस बारे में उचित कार्यवाही कर रही है ।

(ख) कीटनाशक दवाईयों को तैयार करने की क्षमता से सम्बन्धित स्थिति का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है ।

(ग) वर्तमान एककों के विस्तार और साथ-साथ नये एककों की स्थापना से तकनीकी समान के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है ।

(घ) कीटनाशक दवाइयों के वितरण के ऊपर सांविधिक (statutory) नियंत्रण नहीं है ।

गंधक की कमी

251. **श्री जयवन्त मेहता** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गंधक की बहुत कमी है ;

(ख) क्या सरकार को विदित है है कि निर्यात करने वाले देशों ने मुक्त विदेशी मुद्रा के बदले में भी गंधक के निर्यात में कमी कर दी है अथवा गंधक का निर्यात अंशतः बन्द कर दिया है ;

(ग) गंधक का वर्तमान भण्डार क्या है और बाहर से कितनी गंधक आने की आशा है ;

(घ) गंधक की कमी ने उर्वरकों विशेषकर सिंगल सुपरफास्फेट के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) वर्तमान स्टाक शून्य के बराबर है । अगस्त 1965 और जनवरी, 1966 के बीच में लगभग 110,000 मीटरी टन गंधक के प्राप्त होने की आशा है ।

(घ) सामान्य रूप से फास्फेटी उर्वरकों में 1964 के उत्पादन के मुकाबले में 1965 में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा थी ; किन्तु गंधक की कमी के कारण उत्पादन की पिछले साल के स्तर पर कायम रखना कठिन हो सकता है ।

(ङ) अतिरिक्त प्रदायों को प्राप्त करने के लिए तमाम सम्भव साधनों और दीर्घ अवधि के ठेके के लिए यत्न किये जा रहे हैं यदि सम्भव हो तो मित्र सरकारों की सहायता से ।

इस्लामपुर का किला

252. **श्री चांडक :**
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को भोपाल के निकट इस्लामपुर के किले को सुरक्षित स्मारक के रूप में अपने अधिकार में लेने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल के लिये ऋण-छात्रवृत्तियां

253. **श्री मणियंगाडन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में केरल राज्य को राष्ट्रीय ऋण-छात्रवृत्ति के रूप में कितनी राशि दी गई ;

(ख) उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जिन्होंने छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन-पत्र भेजे और जो उन्हें पाने के पात्र थे ;

(ग) क्या सभी सुपात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां मंजूर की गयी और भुगतान कर दिया गया ;

(घ) यदि नहीं, तो कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां मिलीं ;

(ङ) मंजूर की गई कुल राशि में से कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है ;

(च) भुगतान में यदि कोई विलम्ब हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(छ) छात्रवृत्तियों को भविष्य में शीघ्र भुगतान किया जाये इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) 1963-64 वर्ष में छात्रवृत्तियों के लिए चुने गए और 1964–65 वर्ष में छात्रवृत्तियों के लिए चुने जाने वाले नए विद्यार्थियों के लिए 1964–65 में 22,15,600 रुपये की रकम मंजूर की गई थी।

(ख) केरल राज्य द्वारा 4513 पात्र आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे और राज्य सरकार के लिए 1906 छात्रवृत्तियों के नियत कोटे के मुकाबले 1906 विद्यार्थी ऋण-छात्रवृत्ति के लिए चुने गए थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) 1906 चुने गए विद्यार्थियों में से 1666 विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। इन में से 900 विद्यार्थियों को 1964-65 में रकम का भुगतान किया गया।

(ङ) 1964-65 में कुल 6,26,800 रुपये की रकम का भुगतान किया गया। (1965-66 वर्ष के दौरान अब तक 588 ऐसे विद्यार्थियों को 4,04,670 रुपये की रकम का भुगतान किया गया, जिन्हें 1964–65 वर्ष में राष्ट्रीय ऋण-छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी ; किन्तु रकम का भुगतान उसी वर्ष औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण नहीं किया गया था)।

(च) राष्ट्रीय ऋण-छात्रवृत्ति के लिए चुने गए कुछ विद्यार्थियों ने बाद में छात्रवृत्तियां लेना अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अन्य अधिक लाभकारी छात्रवृत्तियां प्राप्त हो गई थीं। कुछ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां इस कारण से न मिल सकीं, क्योंकि वे भुगतान से पहले दिये जाने वाले बोंड समय पर न दे सके। इसलिए 1964-65 वर्ष के लिए केरल राज्य को नियत छात्रवृत्तियों का सम्पूर्ण कोटा और इस प्रयोजन के लिए मंजूर सम्पूर्ण रकम का भुगतान करना उसी वर्ष सम्भव न हो सका। सम्पूर्ण रकम की अदायगी न होने में एक कारण कालेजों के प्रिंसिपलों का देरी से रकम का मांगा जाना भी था।

(छ) इस वर्ष से भुगतान की क्रियाविधि में संशोधन कर दिया गया है ताकि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की रकम जल्दी मिल सके। नई क्रियाविधि के अन्तर्गत, प्रत्येक राज्य, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

योजनाओं को चलाने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करेगा । यह अधिकारी राज्य सरकार को सुपुर्द की गई रकम में से बिलों के जरिए धन निकालेगा और संबंधित विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के नाम पर बैंक-ड्राफ्ट हासिल करेगा, ताकि विश्वविद्यालय/संस्था विद्यार्थियों को रकम वितरित कर सकें। विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को रकम दो किश्तों में भेजी जाएगी ; पहली किश्त प्रथम नौ मासों में होने वाले खर्च के लिए होगी और दूसरी किस्त हिसाब प्राप्त होने पर दी जाएगी। क्योंकि विद्यार्थियों को प्रत्येक मास भुगतान दिया जाएगा, इसलिए विश्वविद्यालय/संस्था को दी जाने वाली रकम वे अलग से 'पर्सनल डिपोजिट एकाउंट' में रखेंगे ।

पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास

†254. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री सोलंकी :

श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने शरणार्थियों के पुनर्वास सम्बन्धी मामलों के बारे में योजनायें स्वीकार करने तथा उसके एजेन्ट के रूप में कार्य करने वाली पश्चिमी बंगाल सरकार को धन देने में अब तक व्यवहार में लाई जा रही शर्तों तथा प्रक्रियाओं में संशोधन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि यदि पश्चिमी बंगाल सरकार शरणार्थियों से यह राशि वसूल नहीं कर पायेगी तो यह राशि राज्य की योजनाओं के लिये स्वीकृत राशि में से काटी जायेगी ;

(ग) जब पश्चिमी बंगाल सरकार कलकत्ता में शरणार्थी पुनर्वास विभाग के बन्द किये जाने से सहमत हुई, तो क्या उस समय यह भी तय हुआ था कि शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये आगे दी जाने वाली राशि के लिए नई प्रक्रिया अपनाई जायेगी ;

(घ) आखिर में नई प्रक्रिया क्यों लागू की जा रही है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि राज्य सरकार और केन्द्र के बीच यह मतभेद होने के कारण सभी योजनायें रूकी हुई हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी): (क) से (ङ) वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या 15 (1)—बी/58 दिनांक 15—9—59 के अनुसार, "जो ऋण पहली अप्रैल, 1958 के बाद दिये गये थे उनके लिये सामान्य शर्तें दी हैं।" जो ऋण विस्थापित व्यक्तियों को 31—3—1964 तक दिये गये थे उनके बारे में छूट दी गई थी तथा मई, 1964 में राज्य सरकार के दायित्व में तरमीम की गई थी और केन्द्रीय सरकार ने वसूली में कमी के कारण होने वाली हानि को 100 प्रतिशत सहन करने की सहमति दे दी थी। 1—1—64 से दिये जाने वाले कर्जों के बारे में हाल ही में मुख्य मंत्री पश्चिमी बंगाल से हुई बातचीत के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने दो तिहाई हानि को सहन करने की सहमति दे दी है। व्यवस्था का ब्योरा अब तैयार किया जा रहा है तथा इसके बारे में फार्मल आदेश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे। अनुदान के लिये किसी भी योजना को जिसका सम्बन्ध मुख्य रूप से शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं से है, नहीं रोका गया है। 1—4—64 से ऋण की जो योजनायें शेष हैं, ऊपर दिये गये सूत्र के आधार पर मंजूर की जा रही हैं ।

दिल्ली में बदमाश व्यक्ति

255. **डा० महादेव प्रसाद :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बदमाशों और अभ्यस्त अपराधियों को दिल्ली से बाहर निकाला जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Ghandhi Bhavan

256. Dr. Mahadeva Prasad: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Gandhi Bhavan would be established in Kashmir Valley; and

(b) if so, the details thereof and the objects that would be fulfilled by it?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.

(b) The Gandhi Bhavan is being established in the University of Jammu and Kashmir. The main object of setting up the Bhavan is to furnish within the University campus a suitable place to keep Gandhian literature, to hold classes and discussions on the life, ideals and work of Gandhiji, to arrange for lectures on the same and to encourage students to undertake such items of constructive work as can be done inside or close to the campus which will reflect the ideas and the ways of life exemplified by Gandhiji.

The Gandhi Bhavan will have a library and an auditorium. The total cost of the project is estimated at Rs. 1,49,000 against which the University Grants Commission and the Gandhi Smarak Nidhi will provide a grant not exceeding Rs. 1,00,000 on a 50 : 50 basis. The balance of expenditure will be met by the University of Jammu and Kashmir.

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

257. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने राज्यों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो गई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस योजना पर कुछ व्यय कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो कितना ;

(घ) जिन राज्यों में यह योजना आरम्भ की गई है, वहां अब तक क्या सफलता मिली है ;

(ङ) सभी राज्यों में एकसी प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने में कितना समय लगेगा ; और

(च) योजना को सफल बनाने पर कितना व्यय होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (च). एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4547/65]**

लालगंज में पाकिस्तानी एजेन्ट

258. **श्री राम हरख यादव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में लालगंज में जुलाई, 1965 में एक कथित पाकिस्तानी एजेन्ट के पास 75,000 रुपये की बड़ी रकम पकड़ी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह रकम भारत के विरुद्ध कार्य कर रहे पाकिस्तानी जासूसों में बांटी जानी थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). 28 जून 1965 को जिला आजमगढ़ के कटौली ग्राम के एक मुसलमान निवासी के पास, जो एक बस में अपने एक मित्र के साथ यात्रा कर रहा था, किसी अवैध सौदे या पाकिस्तान समर्थक तत्वों में बांटने के लिये भारी धन राशि होने का सन्देह हुआ। उसके पास से 74,500 रु० की राशि बरामद हुई। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह ज्ञात होता कि उसका पाकिस्तान की तरफ से जासूसी कार्यवाहियों के साथ कोई सम्बन्ध था। फिर भी जांच करने पर पता चला कि उस राशि का कुछ-न-कुछ भाग विदेशी मुद्रा विनियमों के विरुद्ध इस देश में लाया गया था। मामले की जांच की जा रही है।

जापान में पाई गई भारतीय पाण्डुलिपियां

259. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के किसी मन्दिर में 600 ईसवीं से कई शताब्दी पहिले की भोज-पत्र पर लिखी एक प्राचीनतम भारतीय पाण्डुलिपि सुरक्षित रखी है ; और

(ख) यदि हां, तो पाण्डुलिपि का विषय क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) और (ख). जापान में पाई गई प्राचीनतम भारतीय पाण्डुलिपि इस समय टोक्यो के राष्ट्रीय संग्रहालय के होर्यूजी ट्रेजर सेक्शन में सुरक्षित है। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली के अनुसार इसमें "उष्णीशविजयधारिणी" नाम बौद्ध ग्रन्थ का एक अंश है। इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि कुटिला है, जो लगभग 8वीं–10वीं शताब्दी ए० डी० की ब्रह्मी की एक व्युत्पत्त (वंशज) है।

विद्रोही नागाओं द्वारा आदिम जाति के मुखिया का मारा जाना

260. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं ने बर्मा की सीमा के निकट मनीपुर में चन्देल हेडक्वार्टर्स से आठ मील दूर मितांग गांव के आदिम जाति के मुखिया श्री खंगाचिन को मार दिया है; और

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) 5 जुलाई को 30 विद्रोही नागाओं की एक टुकड़ी मेजर खोंग्यउ (तेंगनोपाल उपखंड) की अध्यक्षता में चंदेल से लगभग 8 मील पूर्व में स्थित मितांग गांव में आई। वे खंगाचिन मायों को गांव से लगभग 1 फरलांग दूर ले गए और सरकारी भेदिया होने के सन्देह में उसे मार डाला।

विदेशी शिक्षक

261. श्री रघुनाथ सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विदेशी शिक्षक भारत में अंग्रेजी भाषा पढ़ाने तथा उस का प्रचार करने के लिये आये हुए हैं ; और

(ख) एक साल में ऐसे कितने विदेशी शिक्षकों के आने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख). इस बारे में शिक्षा मंत्रालय के पास पूरी सूचना नहीं है। इस कार्य में लगी हुई महत्वपूर्ण संस्थाओं से प्राप्त सूचना से यह पता चलता है कि ऐसे शिक्षक विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं और एक वर्ष के भीतर चार और शिक्षकों के आने की आशा है।

धर्मनिरपेक्ष शिक्षा

262. श्री रघुनाथ सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों से अनुदान पाने वाली अथवा भारत में स्थापित विभिन्न विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त सभी संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारे संविधान और सरकार की धर्मनिरपेक्ष नीति के अनुरूप है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्द्रावती बेसिन में शरणार्थियों का पुनर्वास

263. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले नये शरणार्थियों को इन्द्रावती बसिन में औद्योगिक योजनाओं में तथा अन्य कार्यों में, विशेषकर इन्द्रावती नदी पर बांधों के निर्माण में काम पर लगाने का प्रस्ताव किया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का स्वरूप क्या था ;

(ग) क्या पुनर्वास कार्यक्रम बेसिन का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण पूरा होने पर आरम्भ किया जायेगा ; और

(घ) क्या सरकार इनमें से किसी एक परियोजना को तुरन्त कार्यान्वित करने पर विचार करेगी ताकि नये शरणार्थियों को वहां काम पर लगाया जा सके ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां ।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बस्तर में एक कताई मिल तथा एक कागज तथा पल्प निर्माण खंड स्थापित करने के बारे में संभाव्य रिपोर्ट्स भजी थीं । उन्होंने योजना के अतिरिक्त चित्रकोट जल विद्युत् प्रोजेक्ट के लिये त्वरित सहायता के लिये भी लिखा था ताकि बांध के निर्माण के कार्य में नये विस्थापितों को रोजगार पर लगाया जा सके ।

(ग) और (घ). इन्द्रावती साबरी बेसिन के सम्बन्ध में सिंचाई तथा जल विद्युत संभाव्य तथा विशेष कर चित्रकोट जल-विद्युत प्रोजक्ट के आर्थिक संभाव्य के मूल्यांकन के बारे में जो टीम नियुक्त की गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और रिपोर्ट विचाराधीन है ।

जहां तक औद्योगिक योजनाओं का सम्बन्ध है, कताई मिल स्थापित करने के लिये मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है और बस्तर में मिल स्थापित करने के बारे में पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा विशेष कदम उठाये जा रहे हैं । पेपर तथा पल्प प्लान्ट स्थापित करने के प्रश्न पर, इन्द्रावती-साबरी बेसिन के गहन विकास कार्यक्रम के अन्तगत विचार किया जा रहा है ।

इन्द्रावती-साबरी बेसिन का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिये जो टीम नियुक्त की गई थी उसकी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । इस बीच में पुनर्वास उद्योग निगम के संरक्षण में छोटे पमाने पर ग्रामीण औद्योगिक खंड स्थापित करने के सम्बन्ध में एक अग्रता कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है । औद्योगिक सलाहकार समिति जो कि अग्रता कार्यक्रम को सहायता तथा शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये नियुक्त की गई थी उसने दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा पूर्व स्थापित किये गये खण्डों के विस्तार की सिफारिश की है और कुछ नये औद्योगिक खंड जैसे कि, चूना बुझाना, ईंटों का भट्टा, कृषि औजार, टैन्टों की खूंटियां, बिल्डर्स हार्डवेयर (राज लोह-भाण्ड), होजिरी कार्ट वील, कड्यूट पाइप सलेट्स, कपड़े धोने का साबुन, चप्पल बनाने, स्टार्च निर्माण तथा डिल्दिग रिगज स्थापित करने की भी सिफारिश की है ।

Extensions to Class I Officers

264. Shri Sinhasan Singh:
Shri Gauri Shankar Kakkar:
Shrimati Ramdulari Sinha:
Shri Ramshekhar Prasad Singh:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Class I officers who were continuing in service till March, 1965 even after attaining the age of 58 years, and the number out of those who have been re-appointed;

(b) whether Government had decided at the time of extending the age of retirement from 55 to 58 years that nobody would either be given extension or be re-appointed after attaining the age of 58 years; and

(c) if so, the reasons for extending the period of service and for re-appointment of officers against the said decision?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

(b) No.

(c) Does not arise.

केन्द्रीय सचिवालय में असिस्टेन्ट

265. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय में ऐसे कुल कितने असिस्टेंट हैं जो इसी पद पर पन्द्रह वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस पद के व्यक्तियों के लिये पदोन्नति के अवसर बहुत ही कम हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें

266. **श्री हेम राज** : क्या गृह-काय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय परिषदों में से प्रत्येक परिषद् की मई से अगस्त, 1965 तक कितनी बैठकें हुईं और किन-किन स्थानों पर हुईं ; और

(ख) इन बैठकों में से प्रत्येक में किन विषयों पर चर्चा हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) मई से अगस्त 1965 तक की अवधि में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की एक बैठक श्रीनगर में हुई और अन्य परिषदों की कोई बैठक नहीं हुई ।

(ख) उन विषयों की सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है जिन पर उस बैठक में विचार किया गया ।

राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय

267. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो यह विश्वविद्यालय कहां पर खोला जायेगा तथा तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Science in Girls College

268. **Shri Himatsingka:**
Shri Rameshwar Tantia:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no arrangement in any College of Delhi for imparting education in Science to the girls;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action being taken in this regard?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir. Arrangements exist at the Miranda House and also in some co-educational institutions such as Kirori Mal College, Hindu College, Delhi College, Dyal Singh College and Deshbandhu College.

(b) and (c). Do not arise.

Schools in tents in Delhi

269. Shri Rameshwar Tantia:
Shrimati Savitri Nigam:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many schools in Delhi are still functioning in tents;

(b) if so, the number of such schools and the number of students studying in them; and

(c) the reasons for housing these schools in tents in spite of the assurances given by the Education authorities repeatedly?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (c). The requisite information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

कच्चे तेल पर रायल्टी

270. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने कच्चे तेल पर और अधिक रायल्टी दिये जाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास

271. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास के आगामी खण्डों के कब तक प्रकाशित होने की आशा है ; और

(ख) इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख) इतिहास का दूसरा भाग (1800—1905) पूरा किया जा चुका है । और छपने के लिए भेज दिया गया है । आशा की जाती है कि वह छ : महीने के भीतर प्रकाशित हो जाएगा । तीसरा और आखिरी भाग

(1905—1947) तैयार हो रहा है। और आशा है कि वह 1968 तक प्रकाशित हो जाएगा। प्रत्येक भाग की तैयारी में बहुत सामग्री एकत्रित करनी होती है। यह सामग्री देश में तथा देश के बाहर विभिन्न स्थानों में बिखरी पड़ी है। ऐसे काम में स्वभाविक रूप से समय लगता है। इस प्रकार के विद्वतापूर्ण कार्य में लेखक के साथ जल्दबाज़ी नहीं की जा सकती। और न यह ही सम्भव है कि ऐसे मामलों में कोई तारीख निर्धारित की जा सके।

विदेशी लेखकों को रायल्टी

272. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत राज सहायता प्राप्त पुस्तकों पर विदेशी लेखकों को 35 से 40 प्रतिशत तक की रायल्टी दिए जाने की अनुमति दी है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में भारतीय प्रकाशक संघ द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं। मानक अमेरिकी शैक्षिक पुस्तकों के सस्ते दाम पर संयुक्त भारत-अमेरिकी योजना के अधीन फिर से प्रकाशन के लिए भारत सरकार जो रायल्टी देती है उसकी अधिकतम सीमा अमेरिकी फुटकर दाम का 10% है। लेकिन इस योजना के अधीन प्रकाशित पुस्तकों का भारतीय दाम अमेरिकी दाम का लगभग एक तिहाई है। इसलिए रायल्टी, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय दाम के हिसाब से करीब तिगुनी हो जाती है। फिर भी भारतीय करों के कारण यह रायल्टी आधी रह जाती है।

(ख) और (ग). अभ्यावेदन विचाराधीन है।

पूर्वी जर्मनी की अध्ययन-यात्रा

273. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजे गये तीन भारतीय विद्वानों के प्रतिनिधि-मंडल ने, जो अध्ययन करने के लिये पूर्वी जर्मनी गया था, कोई प्रतिवेदन दिया है ;

(ख) इनके द्वारा दी गई रिपोर्ट में किन-किन मुख्य बातों का उल्लेख है ; और

(ग) भारतीय विश्वविद्यालयों में उनके सुझावों तथा अनुभवों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मू० क० चागला) : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

फिनलैंड को वास्तुशास्त्री

274. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी सहकारिता योजना के अन्तर्गत फिनलैण्ड के प्रस्ताव पर सरकार ने वास्तुकला के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिये अपेक्षित संख्या में तकनीकी कर्मचारियों को वहां भेज दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके भारत लौट आने पर उन्हें किस काम पर लगाया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री सु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) वापिस आने पर वे उन्हीं वास्तुकला की फर्मों/संस्थाओं में कार्य करेंगे जहां वे चुने जाने से पहले कार्य कर रहे थे ।

गैस की कीमत

275. **श्री पु० र० पटेल** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ओर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और दूसरी ओर गुजरात सरकार तथा गुजरात के निर्माताओं के बीच गैस की कीमत सम्बन्धी विवाद इस बीच तय हो गया है ;

(ख) गुजरात सरकार तथा गुजरात के निर्माताओं ने गैस की कितनी कीमत निर्धारित करने का सुझाव दिया है ;

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गैस की कितनी कीमत मांगी है ; और

(घ) इस समय पैदा की जा रही तथा तेल शोधक कारखाने के चालू होने पर पैदा की जाने वाली प्राकृतिक गैस के किस भाव का गुजरात सरकार ने सुझाव दिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) से (घ) मामला पंचफसले (Arbitration) के अधीन है ।

मिट्टी के तेल की कीमत

276. **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिट्टी के तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या कीमत कम करने के लिये कोई निरोधक कार्यवाही की गई है ;

(ग) आजकल शहरों तथा गांवों में मिट्टी के तेल की क्या कीमत है ; और

(घ) क्या एस्सो द्वारा कच्चे तेल की कीमत में की गई कमी से कीमत पर कुछ प्रभाव पड़ेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) अस्थाई स्थानीय कमियों और असामाजिक व्यक्तियों के कार्यकलापों के कारण कुछ स्थानों पर कीमत में अस्थाई वृद्धि हुई ।

(ख) मिट्टी के तेल को शामिल करते हुए पैट्रोलियम उत्पादों के कीमत के वृद्धि को एवं दूसरे अनाचारों को रोकने के लिए, सारे राज्य सरकारों / संघीय-राज्यक्षेत्र-प्रशासनों को अत्यावश्यक पदार्थ अधिनियम (Essential Commodities Act) 1955 के अन्तर्गत सप्लाई एवं मूल्य नियंत्रण का नियमन करने के लिए शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। सारे देश में मिट्टी के तेल की कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए भारतीय रक्षा नियमावली के अन्तर्गत करोसीन (प्राइस कन्ट्रोल) आर्डर 1963 [Kerosene (Price control) order 1963] तथा उसके संशोधनों को जारी किया गया है।

(ग) स्थान-स्थान पर विक्रय मूल्यों में अन्तर पड़ता है। इस समय मुख्य बन्दरगाह केन्द्रों पर लागू शिखरतम विक्रय मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

(प्रति किलो लिटर रुपये)

बन्दरगाह	बढ़िया मिट्टी का तेल	घटिया मिट्टी का तेल
ओखा	360.86	..
काण्डला	360.33	278.26
बम्बई	359.62	276.40
कोचीन	360.03	281.76
मद्रास	368.90	289.26
विजिगापतनम	368.08	288.16
कलकत्ता	372.98	293.89

सप्लाई की सामान्य बन्दरगाह से अत्याधिक मितव्ययी मार्ग द्वारा देश के अन्दर केन्द्रों पर सप्लाई के लिए इन कीमतों में रेल का भाड़ा भी जोड़ा जाता है। लागू दरों के अनुसार स्थानीय कर एवं चुंगी आदि भी लगता है।

(घ) जी नहीं। शोधनशाला करार (Refinery Agreement) की शर्तों के अनुसार कच्चे तेल की कीमत कुछ भी हो, "इम्पोर्ट पैरीटी" (Import Parity) के आधार पर शोधनशाला के उत्पादों की कीमतें नियत की जाती हैं। कच्चे तेल की कीमतों में कमी होने से आयात के लिए स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में बचत होगी।

खाद्यान्न की दुकानों का लूटा जाना

277. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 तथा 1964-65 में देश में खाद्यान्न की दुकानों की लूटने की राज्यवार कितनी घटनायें हुई ;

(ख) इनके क्या कारण थे ; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के सभाबपटल पर रख दी जायगी ।

प्रकाशक संस्था

278. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हेम राज :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 30 जून, 1965 को बम्बई में हुए भारतीय प्रकाशक संस्था के दूसरे वार्षिक सामान्य अधिवेशन में भारत संकल्पों की कोई प्रति मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण क्या है ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रकाशकों के संघ द्वारा पास किये गये प्रस्तावों में इन बातों का जिक्र है (एक) भारत में अमेरिकी पुस्तकों के सस्ते संस्करण प्रकाशित करने के पी० एल० 480 कार्यक्रम के अधीन विदेशी लेखकों को दी जाने वाली रायल्टी का प्रतिशतक, (दो) पुस्तकें लिखने के लिए भारतीय लेखकों को उत्साहित करने की जरूरत, (तीन) भारतीय प्रकाशन उद्योग के संरक्षण के लिए उन्हें वित्तीय मदद देने की जरूरत, और (चार) आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट को गिराने का प्रश्न ।

(ग) मामले पर विचार हो रहा है ।

संयुक्त परामर्श व्यवस्था

279. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारियों के किन संगठनों ने संयुक्त परिषदें बनाने की योजना से अपनी असहमति प्रकट की है; और

(ख) ऐसे मतभेदों को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) संयुक्त परामर्श तथा अनिवार्य पंच फैसला योजना के क्रियान्वयन के बारे में सम्बन्धित मंत्रालयों ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संगठनों को लिखा था। निम्नलिखित बड़े-बड़े संगठनों संघों ने योजना को स्वीकार करने से पूर्व कुछ विषयों पर और अधिक स्पष्टीकरण मांगा है:—

(1) अखिल भारतीय रेलवेमैन्श फैडरेशन,

(2) अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी फैडरेशन,

(3) सी० पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारी संघ,

(4) नागरिक उड्डयन विभाग कर्मचारी संघ, और

(5) डाक व तार कर्मचारियों की राष्ट्रीय फैडरेशन ।

(ख) गृह मंत्री ने मतभेदों को मिटाने के लिए मई, 1965 में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं। जिन कुछ विषयों पर फैसला होना है उनकी जांच की जा रही है और समझौते पर पहुंचने के लिए आगे विचार-विमर्श करने का इरादा है।

गैस का प्रयोग

280. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुलियाजन स्थित आयल इण्डिया लिमिटेड में तथा अन्य सरकारी तेल शोधन कारखानों में लगभग कितना गैस जाया जाता है ;

(ख) विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रति वर्ष कितना गैस प्रयोग में लाया जाता है;

(ग) आसाँम के तेल क्षेत्रों में गैस की कुल कितनी मात्रा है;

(घ) निकट भविष्य में गैस को किस प्रकार प्रयोग में लाने का विचार है; और

(ङ) गोहाटी तेल शोधक कारखाने में प्रति वर्ष कितना गैस जाया जाता है या जल जाता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) तथा (ङ) :— 1964 में आयल इण्डिया लि० द्वारा उन्पादित 120.6 मिलियन घन मीटर सहचारी गैस (Associated Gas) प्रदीपित हुई। इसी प्रकार 1964 में गौहाटी शोधनशाला द्वारा 15628 मीटरी टन गैस प्रदीपित हुई।

(ख) 1964 में आयल इण्डिया लि० द्वारा उत्पादित 112.26 मिलियन घन मीटर गैस भिन्न भिन्न ऐजंसियों द्वारा उपयोग में लाई गई। आसाम आयल कम्पनी लि० द्वारा उत्पादित समस्त गैस जो कि लगभग 55 मिलियन घन मीटर प्रति वर्ष है, आंतरिक खपत में ही उपयोग हो रही है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने दिसम्बर, 1964 से कैम्बे गैस क्षेत्र से धुवारिन पावर हाऊस को गैस की सप्लाई शुरू कर दी। जून, 1965 के अन्त तक सप्लाई की गई गैस की कुल मात्रा 52 मिलियन घन मीटर है।

(ग) 1—1—1965 को आयल इण्डिया लि० के खनन पट्टे क्षेत्रों में सिद्ध एवं मालूम हुए गैस संचयों का अनुमान 33.000 मिलियन घन मीटर है। आसाम आयल कम्पनी लि० के डिगबोई क्षेत्र में अनुमानित गैस संचय लगभन 748 मिलियन घन मीटर है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पट्टे क्षेत्रों में गैस संचय का अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है।

(घ) आयल इण्डिया लि० द्वारा उत्पादित गैस की थरमल पावर प्लांट, फर्टीलाइज़र कारखाना, आसाम आयल कम्पनी लि० के क्षेत्रीय आवश्यकताओं, घरेलू तथा छोटे उद्योगिक खपतकारों में गैस वितरण की योजना, चाय के बाग, ईंटों के कार्य आदि में उपयोग करने का सुझाव है। आसाम आयल कम्पनी द्वारा उत्पादित गैस का उपयोग उनके आंतरिक खप्त में होगा। गुजरात में कैम्बे के क्षेत्र से गैस की सप्लाई द्युकारन पावर हाऊस को की जाएगी। अंक्लेश्वर गुजरात में अंक्लेश्वर के तेल क्षेत्र से सहचारी गैस

की सप्लाई उतारन पावर हाऊस तथा गुजरात के अन्य उद्योगों को दी जाएगी। गौहाटी शोधनशाला की गैस का उपयोग करने के लिए आसाम में घरेलू इस्तेमाल के लिए एल० पी० जी० (L.P.G.)' के निर्माण की एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

तिहाड़ जेल में नजरबन्दियों द्वारा भख हड़ताल

281. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की तिहाड़ केन्द्रीय जेल के नजरबन्दियों ने भुख हड़ताल शुरू कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भूख हड़ताल करने वालों में कोई संसद् सदस्य भी था ;

(ग) भूख हड़ताल करने वालों ने जेल अधिकारियों तथा सरकार के सामने क्या क्या मांगें रखी हैं; और

(घ) उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) तिहाड़ केन्द्रीय जेल में रखे गये साम्यवादी नजरबन्दियों ने 25 जुलाई, 1965 को विरोध प्रकट करने के लिए भूख हड़ताल की। संसद् सदस्य श्री ए० के० गोपालन भी उनमें से एक थे।

(ग) और (घ) विरोध प्रकट करने के लिए भूख हड़ताल करने वाले साम्यवादी नज़रबन्दियों की मांगों का सम्बन्ध उन सभी को परिवार भत्ता दिये जाने और मिलाई, भोजन तथा जेब खर्च एवं चिकित्सा सुविधाओं सम्बन्धी नियमों में ढील देने से था। इस बारे में वर्तमान नियमों की जांच की जा रही है और शीघ्र ही इस बारे में निर्णय कर लिया जायेगा कि इन नियमों में और आग छूट देना वांछनीय अथवा उपयुक्त होगा या नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय रहन-सहन सम्बन्धी केन्द्र

282. **श्री रा० बरुआ :**
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री बसुमतारी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की कुछ संस्थाओं ने सरकार से ब्रिटेन में खोले जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय रहन-सहन सम्बन्धी केन्द्र में भर्ती होने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे स्वीकार कर लिया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

पाकिस्तानी नागरिकों को देश से निकालने सम्बन्धी प्रक्रिया

283. **श्री बसुमतारी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने आसाम से पाकिस्तानी नागरिकों को निकालने की वर्तमान प्रक्रिया में फेरबदल करने के लिए गृह मंत्री को कोई सुझाव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो आगे फेरबदल करने के लिए क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) क्या भारत सरकार की स्वीकृति मिलने तक निष्कासन का काम बन्द रहेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) आसाम सरकार से ऐसे कोई सुझाव भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुए। हां प्रक्रिया में कुछ सुधार अवश्य सुझाए गये हैं ताकि इस बात का सुनिश्चित हो सके कि कोई भारतीय नागरिक भारत से निष्कासित न कर दिया जाय ।

पैट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

284. श्री महेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फालतू पैट्रोलियम उत्पादकों के लिए अधिक उन्नत देशों में बाजार खोज रही है ;

(ख) क्या भारत नाफ्था तथा मोटर स्पिरिट बाहर भेजने की स्थिति में है;

(ग) क्या वर्तमान तेल शोधक कारखाने अपने उत्पादकों को कुछ मात्रा निर्यात करने के लिए बचनबद्ध हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी नहीं। तीनों अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियां अपने निजी प्रबन्धों के अनुसार अपने तटीय शोधनशालाओं के फालतू मोटर स्पिरिट। नेफ्था को विभिन्न देशों को निर्यात करती रही है।

(घ) सरकार तेल कम्पनियों को सारे फालतू उत्पादों के निर्यात के लिए जोर देती रही है ।

Text Books in Regional Languages

*285. **Shri Sidheshwar Prasad:** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 775 on the 7th April, 1965 and state:

(a) the progress since made in the different States in the direction of preparing text books in regional languages;

(b) the number of text books prepared by the Ministry in different languages from April, 1965 uptodate; and

(c) the steps being taken to expedite this work?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Under the Education Ministry's Scheme for preparation, translation and publication of standard works of University level, the work relating to the translation and original writing of books in Hindi is being undertaken in collaboration with Universities and academic bodies in the States of Delhi, Bihar, Uttar Pradesh, Madhya

Pradesh Maharashtra, Punjab, Rajasthan and West Bengal Work in Gujarati, Marathi, Punjabi nd Kannad is being undertaken in the States of Gujarat, Maharashtra, Punjab and Mysore. Out of 432 books in Hindi, 77 in Gujarati, 14 in Marathi, 9 in Punjabi and 10 in Kannad on which work is in progress, so far 24 books in Hindi and 9 in Gujarati have been published and the rest are at various stages of production.

(b) Six books in Hindi have been published since April, 1965.

(c) The following steps have been taken to expedite the work:—

(1) Wide publicity is being given to the scheme and Universities and academic bodies in various linguistic regions are being urged to undertake the work in their respective regional languages.

(2) Besides the existing 35 translating agencies and 5 whole-time book production units, 2 more translating agencies for translation of books in Marathi and Tamil and one whole-time book production unit in Hindi are proposed to be set up shortly.

(3) The problem of technical terminology, which was a great hurdle in the production of standard works, has been solved to a great extent with the publication of a Science Glossary in seven basic sciences upto the Degree level. The Commission for Scientific and Technical Terminology has also finalised to a large extent the technical terminology, pertaining to applied sciences (like medicine and agriculture) and Humanities and Social Sciences.

Brauni Oil Refinery Pipeline

286. Shri Sidheshwar Prasad: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 783 on the 7th April, 1965 and state:

(a) whether proper arrangements have been made to safeguard Barauni Oil Refinery Pipeline against erosion;

(b) whether it is a fact that the pipeline had to be kept out of use for a few days due to erosion; and

(c) if so, the amount of loss sustained as a result thereof?

Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

साइकल चोरों के विरुद्ध अभियान

287. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जुलाई, 1965 में साइकल चोरों के विरुद्ध अभियान शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं; और

(ग) उनसे कितने साइकल प्राप्त हुए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां। जुलाई, 1965 में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक सप्ताह का अभियान चलाया था।

(ख) इस अवधि के दौरान कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशों से आने वाली टीमें

288. **डा० सारादीश राय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में किन खेल-कूद संगठनों ने विदेशी टीमों की भारत यात्रा की मंजूरी देने के लिए आवेदन किया था; और

(ख) कितने मामलों में स्वीकृति नहीं दी गई ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) 16 अगस्त, 1964 से 15 अगस्त, 1965 की अवधि के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना इस प्रकार है :—

1	2	3	4
क्रम संख्या	खेल फैड्रेशन का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	रद्द प्रस्तावों की संख्या
1	आल इण्डिया फुटबाल फैड्रेशन . .	3	—
2	आल इण्डिया वीमन्स हाकी एशोसिएशन .	1	1
3	आल इण्डिया लांन टेनिस एसोसिएशन .	1	—
4	ए मेच्योर एथालेटिक फैड्रेशन . .	3	—
5	बैडमिन्टन एसोसियेशन आफ इण्डिया .	1	—
6	बोर्ड आफ कन्ट्रोल फार क्रिकिट इन इण्डिया	7	—
7	जिमनास्टिक फ़ैड्रेशन आफ इण्डिया .	1	1
8	इण्डियन अमेच्योर बाक्सिग फैड्रेशन .	2	—
9	इण्डियन आफ यूनियन . .	1	—
10	इण्डियन पोलो एशोसियेशन .	1	—
11	इन्टर-यूनिवर्सिटी बोर्ड आफ इण्डिया .	1	—
12	इण्डियन हाकी फैड्रेशन . . .	2	—
13	नेशनल साइक्लिस्टस् फैड्रेशन आफ इण्डिया .	1	1
14	रैसलिंग फैड्रेशन आफ इण्डिया . .	2	—
	कुल	27	3

Situation on Indo-Pak Borders

289. Shri Madhu Limaye:
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to publish a comprehensive White Paper regarding the situation pre-vailing at present on the Indo-Pakistan borders; and

(b) if so, when will the same be published?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) No, Sir.

(b) The question does not arise.

Report by Russian Expert on Oil Propects

290. Shri Madhu Limaye: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether any statement has been published or report submitted by the Soviet adviser Kachli Shivli on prospects of oil being found in Gujarat, Bombay and West Bengal areas; and

(b) if so, the concrete and definite results of the said exploration?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) No report has been submitted by Mr. Kachlishvili, the Soviet Adviser, on propects of oil in Gujarat, Bombay or West Bengal areas. However, according to reports in local Dailies of Calcutta dated about 27th June, 1965, it appears that Mr. Kachlishvili gave some statement to the Press, full details of which are not available. The statement referred to the proposal to drill a 5000 metres well at Netra village near Bodra in West Bengal, and stated that the well will start in September instead of December as contemplated earlier.

(b) Explanation is still in progress.

Import of Instruments for Scientific Research

291. Shri Madhu Limaye:
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the University Grants Commission had asked for the import of instruments and equipment worth Rs. One crore for scientific research in the Universities of India;

(b) whether Government has sanctioned only one-third of the same; and

(c) if so, the impact thereof on education in Science?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). The University Grants Commission estimated the foreign exchange requirements of all Universities at Rs. 6.50 crores for the Third Plan. It has been possible for the Government to allocate a sum of Rs. 1.78 crores.

(c) While the requirements for undergraduate education in Science have been mostly met from indigenous production, progress at the postgraduate level has not been possible to the extent originally planned.

Study of Humanities

292 : Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the proportion of students studying humanities in our country is much larger as compared to Japan, Russia and Germany; and

(b) if so, the changes proposed in the educational system in our Universities with a view to bringing down that proportion?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir. However, the proportion of students in humanities is declining progressively with the increase in facilities for science and technical education in the country.

(b) The matter is under consideration of the Education Commission.

Soviet Assistance for Research Institutions

293. Shri Madhu Limaye: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether any official intimation regarding the comprehensive Soviet, assistance for the Indian Research Institutions and Laboratories has been received; and

(b) if so, the fields and the manner in which Government propose to utilise this assistance?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम

294. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों में समान स्तर तथा पाठ्यक्रम लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में प्राय: समान स्तर एवं पाठ्यक्रम जारी करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है और उसने विभिन्न क्षेत्रों में कई पुनर्विलोकन समितियां नियुक्त की हैं, जैसे रसायन शास्त्र, गणित, वनस्पति-विज्ञान, जीव-रसायन, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, दर्शन-शास्त्र। पुनर्विलोकन समितियों की रिपोर्टें विश्वविद्यालयों में परिचालित की जाती हैं और समितियों की सिफारिशों पर कार्यवाही करने का उत्तरदायित्व उनको शिक्षा मण्डलों का है।

विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं और शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रमों पर कार्यवाही करने के लिए उनके अपने अध्ययन मण्डल हैं। जबकि विभिन्न पाठ्यक्रमों में ज्ञान का कोड विभिन्न विषयों में विकास की आधुनिक मांगों के अनुसार होना चाहिये, किन्तु विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम निश्चित करने का अधिकार होना चाहिये, और इस बात पर जोर देना कठिन होगा कि सब विश्वविद्यालयों में समान पाठ्यक्रम हों, क्योंकि ऐसा करना परीक्षण और प्रगति के विचारों की दृष्टि से हानिकारक होगा।

दार्जिलिंग में साम्यवादियों की गतिविधि

295. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री तेन सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इन प्रैस समाचारों की ओर दिलाया गया है कि दार्जिलिंग में चीन समर्थक साम्यवादियों के घुस आने से खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) क्या उन्होंने यह विषाक्त कानाफूसी आन्दोलन आरम्भ कर दिया है कि "चीन से लाल स्वाधीनता सेना आ रही है"; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) इस आशय के प्रेस समाचार सरकार के ध्यान में आये थे और उन्हें अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर बताया गया था ।

(ग) भारत की सुरक्षा, जन सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए हानिकर गतिविधियों का सामना करने के सभी सम्भव उपाय किये गये हैं।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में प्रश्न

RE: CALLING ATTENTION NOTICE (QUERRY

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): Mr. Speaker Sir, I gave a calling attention notice in which it was mentioned that epidemic has spread in certain district of Rajasthan as a result of consumption of flour of rotten wheat imported from America.

Mr. Speaker: He may resume his seat.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने की धमकी के समाचार

Shri Madhu Limaye: Sir, I call the attention of the Minister of Health to the following matter of Urgent Public Importance and request him to make a statement thereon:—

"Reported threat of resignation by the Doctors of the Central Government Health Service Scheme".

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन काम करने वाले बहुत से डाक्टरों द्वारा विरोध सप्ताह मनाने के बारे में एक ध्यानाकर्षण नोटिस के उत्तर में मैंने 2 मार्च, 1965 को राज्य सभा में एक वक्तव्य दिया था। उस आश्वासन के अनुसार चिकित्सा अधिकारियों की परेशानियों को दूर करने के लिए सावधानीपूर्वक और शीघ्र ही विचार किया जायेगा। उनसे सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर विचार किया गया तथा डाक्टरों के पुनरीक्षित वेतनमान तथा सेवा की पुनरीक्षित रूपरेखा के सम्बन्ध में इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 5 (1)-1/65---सी एच० एस० दिनांक 30 जून, 1965 में आदेश निकाले गये जिसकी प्रति सभा की मेज पर रख दी गई है। मोटे तौर पर पुनर्गठित सेवा दो वर्गों---सामान्य चिकित्सा और विशेषज्ञ---में विभक्त की जायेगी।

सामान्य चिकित्सा अधिकारी द्वितीय श्रेणी के होंगे और प्रथम श्रेणी के भी। विशेषज्ञ ग्रेड अधिकारी और सुपर-टाइम स्केल अधिकारी प्रथम श्रेणी के ही होंगे।

द्वितीय श्रेणी सेवा में निम्नलिखित अधिकारी सम्मिलित होंगे :---

(1) जनरल ड्यटी लाइसेन्सियेट मेडिकल अफसर (द्वितीय बी श्रेणी)। जिन का वेतनमान रुपये 350-15-380-20-500---द० रो० 20-600 होगा और (2) जनरल ड्यूटी ग्रेजुएट मेडिकल अफसर (द्वितीय ए श्रेणी) जिनका वेतन मान रुपये 350-25-500-30-590-द० रो०-30-830-35-900 होगा। द्वितीय बी श्रेणी सेवा अर्थात् जनरल ड्यूटी लाइसेन्सियेट मेडिकल अफसरों की भर्ती के लिए कम से कम मेडिकल लाइसेन्सियेट के साथ साथ पांच वर्ष तक का अनुभव और द्वितीय ए श्रेणी अर्थात् जनरल ड्यूटी ग्रेजुएट मेडिकल अफसरों की भर्ती के लिए चिकित्सा स्नातक होने के साथ साथ भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा पंजीबद्ध होना जरूरी है। रोटेटिंग इन्टर्नशिप पूरी करने के बाद मेडिकल स्नातक इस वर्ग में नियुक्ति और प्रथम श्रेणी सेवा में पदोन्नति के पात्र होंगे। द्वितीय ए श्रेणी के रिक्त पदों का एक समुचित भाग द्वितीय बी श्रेणी के विशेष गुणवान सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भरने के लिए आरक्षित किया जायेगा।

जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसरों के प्रथम श्रेणी के वर्ग के पदों जिनका वेतनमान रुपये 450-30-660-द० रो०-40-1100-50-1250 होगा, की भर्ती के लिए कम से कम मेडिकल स्नातक के रूप में पंजीबद्ध होने के उपरान्त 5 वर्ष का अनुभव जरूरी है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा वाले मेडिकल स्नातकों को इस वेतन मान में चार पेशगी तरक्कियां दी जायेंगी।

प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी पदों की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि प्रथम श्रेणी सेवा के पद उन अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। जिन्होंने द्वितीय ए श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की होगी और जो अपने सेवा रिकार्ड और योग्यता परीक्षा के आधार पर प्रथम श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए उचित समझे जायेंगे। शेष रिक्त पद यदि कोई होंगे तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जायेंगे :

एक विशेषज्ञ ग्रेड होगा जिसका वेतनमान रुपये 600-40-1000-द० रो०-50-1300 होगा। इस वर्ग की भर्ती के लिए कम से कम स्नातकोत्तर डिग्री के साथ साथ इसी व्यवसाय के

किसी ऐसे उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर जिसका विशेषज्ञता से सम्बन्ध हो। कम से कम 3 वर्ष का अनुभव अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग्यता के अलावा उस व्यवसाय में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव जिसमें से विशेषज्ञता से सम्बन्धित किसी उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर तीन वर्ष कार्य किया हो, का होना जरूरी है।

सुपर टाइम स्केल, पदों का वेतन-मान स्वास्थ्य-सेवा के महानिदेशक के पदों के लिए निर्धारित वेतन मानों के अतिरिक्त (क) रु० 1300-60-1600-100-1800 और (ख) रु० 1800-10-2000-125-2250 होगा। प्रथम सुपर टाइम स्केल (रु० 1300-1800) वाले 50 प्रतिशत रिक्त पद विशेषज्ञ ग्रेड में कार्य कर रहे अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। कुछ जनरल ड्यूटी डाक्टर (प्रथम श्रेणी) भी इस ग्रेड में पदोन्नत किये जा सकते हैं। शेष 50 प्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी। जिन के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टर भी आवेदन पत्र भेज सकते हैं। रु० 1800-2250 वाले द्वितीय सुपर टाइम स्केल के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति (1300-1800 रुपये वाले) प्रथम सुपर टाइम स्केल के अधिकारियों की पदोन्नति की जायगी।

इस सेवा में जो व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे उन्हें किसी प्रकार निजी तौर पर चिकित्सा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस सेवा के प्रथम श्रेणी के पदों पर नियुक्त अधिकारी अपने वेतन के 50 प्रतिशत की दर से "नान-प्रैक्टिसिंग" भत्ते के अधिकारी होंगे किन्तु यह भत्ता 600 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं होगा। द्वितीय श्रेणी पदों पर नियुक्त अधिकारियों को उन के वेतन का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत "नान-प्रैक्टिसिंग" भत्ता दिया जायेगा जो कम से कम 150 रुपये प्रतिमास होगा।

पुनरीक्षित वेतन-मान तथा "नान-प्रैक्टिसिंग" भत्ता पहली जुलाई 1965 से स्वीकृत किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्णयों को कार्यान्वित करने के साथ साथ उक्त सेवा के स्वरूप को पुनर्गठित करने तथा उनमें अन्य सम्बन्धित बातों की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों में संशोधन करने के कदम उठाये जा रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, केन्द्रीय अभियन्ता-सेवा तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए, निर्धारित वेतन-मानों (वर्तमान तथा पुनरीक्षित) का तुलनात्मक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है और इस के साथ संलग्न है।

उन समस्त अधिकारियों को, जो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में पहले ही नियुक्त किये गये हैं अथवा जिन का चयन इस सेवा के भावी रिक्त पदों की पूर्ति के लिए किया गया है, यह कह दिया गया है कि वे स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 जून, 1965 में स्वीकृत वेतन और भत्तों की लिखित रूप में स्वीकृति दे दें। जब तक लगभग 500 अधिकारियों ने पुनरीक्षित वेतन-मानों के लिए अपना बिकल्प दे दिया है। बिकल्प देने की अन्तिम तिथि 13 अगस्त, 1965 थी किन्तु दूरवर्ती स्थानों पर नियुक्त तथा उन अधिकारियों के लिए जिन्होंने इस तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया है, ये तिथि बढ़ा दी गई है। उनके विकल्प उनके विभागाध्यक्षों के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। कोई त्यागपत्र स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं मिला है।

विवरण

भारतीय प्रशासनिक सेवा, केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के अधीन इंजीनियरी सेवा तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिये निर्धारित वेतन-मानों का तुलनात्मक विवरण

क्रम संख्या	भारतीय प्रशासनिक सेवा	इंजीनियर	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा	
			वर्तमान	पुनरीक्षित
1	2	3	4	5
1.	अवर वेतन मान	सहायक इंजीनियर	द्वितीय श्रेणी	द्वितीय श्रेणी (ए) मैडिकल स्नातकों के लिये
	रू० 400—500—40—700—द० रो० —30—1000.	रू० 350—25—500—30—590—द० रो०—30—800 द० रो० —30—830—35—900.	रू० 325—25—500—30—590—द० रो०—30—800—तथा "नान-प्रैक्टिसिंग" भत्ता जो वेतन के 25 प्रतिशत की दर से दिया जायेगा जो 150 रू० से कम नहीं होगा, अर्थात् रू० 475—1000.	रू० 350—25—500—30—590—द० रो०—30—830 —35—900— तथा 33 $\frac{1}{3}$ प्रतिशत की दर से "नान-प्रैक्टिसिंग" भत्ता जो 150 रूपया से कम नहीं होगा अर्थात्, 500—1200.
		सहायक कार्यकारी इंजीनियर		श्रणी दो (बी) मैडिकल लाइसेंसियेट के लिये
		रू० 400—400—450—30—600—35—670—द० रो०		रू० 350—15—380—20—500—द० रो० —20—600— तथा 33 1/3 प्रतिशत की दर से

		35—950.		"नान प्रैक्टिसिंग" भत्ता जो 150 रूपया से कम नहीं होगा अर्थात्, 500—800.
2	प्रवर वेतनमान	कार्यकारी इंजीनियरों के लिये प्रवर वेतनमान	श्रेणी एक—अवर वेतनमान	प्रथम श्रेणी के जेनरल ड्यूटी मैडिकल अफसर
	रू० 900 (छटी वर्ष अथवा कम) 950—1000—60—(नवां वर्ष) 1120—1180—1240—1300—1360—1420—1480—1540—1600 (50)—1650—1700—1750—1800	रू० 700—40—1100—50/2—1250	रु0 425—25—450— 30—600 35—705—द० रो०—35—950 —तथा 25 प्रतिशत की दर से "नान-प्रैक्टिसिंग" भत्ता जो 150 रूपया प्रतिमास से कम नहीं होगा, अर्थात् 575—1187·50.	रू० 450—30—660—द० रो०—40—1100—50—1250 तथा 50 प्रतिशत की दर से "नान-प्रैक्टिसिंग" भत्ता जो 600 रू० प्रति मास से अधिक नहीं होगा, अर्थात् 675—1850.
			श्रेणी एक—प्रवर वेतनमान	विशेषज्ञ ग्रेड
			रु० 675—35—850—40—1050—50—1300 तथा 25 प्रतिशत की दर से नान प्रैक्टिसिंग भत्ता, अर्थात् 877—1625.	रू० 600—40—1000—द०रो०—50—1300 तथा 50 प्रतिशत की दर से "नान-प्रैक्टिसिंग" भत्ता जो 600 रूपया से अधिक नहीं होगा, अर्थात्, 900—1900.

1	2	3	4	5
3.	सेलेक्शन ग्रेड रू० 1800–100––2000	अधीक्षक इंजीनियर रू० 1300–60—1600–100—1800	(एक) रु० 1300 –60—1600 तथा 25 प्रतिशत की दर से "नान-प्रैक्टिसिंग" भत्ता जो 400 रू० से अधिक नहीं होगा, अर्थात् रू० 1625—2000.	सुपरटाइम स्केल द्वितीय श्रेणी— रू० 1300–60–1600–100––1800 तथा 50 प्रतिशत की दर से नान-प्रैक्टिसिंग" भत्ता जो 600 रू० से अधिक नहीं होगा अर्थात्, 1900–2400.
		अपर मुख्य इंजीनियर रू० 2000 (निश्चित)		
		मुख्य इंजीनियर रू० 2250	(दो) 1600–100—2000 तथा 25 प्रतिशत की दर से "नान-प्रैक्टिसिंग" भत्ता जो 400 रू० से अधिक नहीं होगा अर्थात् रू० 2000—2400.	प्रथम श्रेणी—1800–100––2000 –125—2250––तथा 50 प्रतिशत की दर से "नान-प्रैक्टिसिंग" भत्ता जो 600 रूपये से अधिक नहीं होगा, अर्थात् रु० 2400–2850.
			(तीन) अपर महानिदेशक के लिये 2250 तथा 400 रू० प्रतिमास "नान-प्रैकक्टिसिंग" भत्ता।	अपर महानिदेशक तथा महानिदेशक के वेतन अभी पुनरीक्षित करने बाकी हैं ।
			(चार) महानिदेशक के लिये 2750 रूपये निश्चित तथा 400 रूपये प्रतिमास "नान-प्रैक्टिसिंग" भत्ता ।	

Shri Madhu Limaye: Sir there is a great discontentment amongst the doctors and it has been stated that about 600 doctors have resigned. I want to know whether Government will consider their demand.

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शें० नास्कर) : वक्तव्य में विस्तार से बता दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी ?

श्री पू०शें० नाइकर : सरकार मामले पर पहले ही विचार कर चुकी है, और उनके वेतन क्रमों को आई० ए० एस० तथा सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों के वेतन क्रमों तथा इंजीनियरी सेवाओं के बराबर कर दिया गया है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Octors have resigned on 30-6-1965, about 404 doctors sent in their resignations, on 9-7-1965, 125 doctors and on 12-8-1965 another 74 have sent in their resignations. They tried to see the honourable Ministers thrice, but were not allowed. This dispute is going on since long and there is a great discontentment amongst the doctors. I want to know whether Government is contemplating to negotiate with the Doctors for settling this dispute.

श्री पू० शें० नास्कर : 2 मार्च को भी सदन में एक वक्तव्य प्रस्तुत किया गया था । इसके बाद सारे मामले पर विचार किया गया था, और डाक्टरों के दृष्टिकोण को भी सामने रखा गया था । जो निर्णय लिया गया, वह मैंने पढ़ दिया है । वे सब सरकारी कर्मचारी हैं और नियमानुसार उचित ढंग से वे अ यावेदन प्रस्तत कर सकते हैं । स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक तथा मंत्रालय के सचिव उनके प्रतिनिधियों के साथ कभी भी मिल सकते हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: I want to know what Shri Nanda has done in this matter since 2-3-1965.

Mr. Speaker: At present you are not putting question to Shri Nanda.

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा): मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने आश्वासनों को पूरा कर दिया है । परन्तु इस बारे में अभी भी काफी भ्रांति है । मैं यह जानना चाहती हूं कि डाक्टर इतने निराश क्यों हैं । वे क्यों त्याग पत्र देने की धमकी दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वे और अधिक वेतन चाहते हैं । यह बड़ी स्पष्ट बात है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह ठीक है कि ऊंचे वेतन वालों को तो लाभ हुआ है परन्तु थोड़े वेतन वाले लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ । इस बात का मैं स्पष्ट उत्तर चाहती हूं ।

श्री पू० शें० नास्कर : सभी को लाभ हुआ है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : 18 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री ने डाक्टरों को आठ आश्वासन दिये थे । परन्तु नये वेतन क्रमों में इन आठों में से एक भी आश्वासन पूरा नहीं होता । यह ही इस आन्दोलन का कारण है । क्या यह सब वित्तीय कठिनाइयों के कारण है, अथवा जो एक करोड़ खर्च किया जाना है, उसका 80 से 90 प्रतिशत तक उनके पास जाना है जो कि पहले ही 1000 रुपये से अधिक पाते हैं ।

श्री पू० शें० नास्कर : ऐसे कोई 8 अथवा 9 आश्वासन नहीं थे । डाक्टरों से मामलों पर चर्चा जरूर हुई थी, परन्तु कोई आश्वासन नहीं दिया गया था । जो कुछ कहा गया है वह 2 माच को यहां

[श्री पू० शें नास्कर]

सदन में ही कहा गया है। सरकार ने मामले पर विचार करके निर्णय कर दिया। यह ठीक नहीं है कि 80 प्रतिशत लाभ ऊंचे वेतन पाने वालों को मिलेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे पास लिखित रूप में है कि आठ आश्वासन दिये गये थे। सदन में गह कार्य मंत्री ने भी इस बारे में कुछ करने का आश्वासन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

डा० **लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : स्वास्थ्य मंत्री ने भी आश्वासन दिया था और गृह कार्य मंत्री ने भी। एक यह कि डाक्टरों से बातचीत की जायेगी, और दूसरा यह कि गृह कार्य मंत्री इस मामले में हस्पक्षेप करेंगे। क्या इन्हें पूरा किया गया ?

श्री पू० शें० नास्कर : यही आश्वासन था कि मामले पर विचार किया जायेगा।

Mr. Speaker: Now no more questions. The matter ends here.

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

पंजाब उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच के समक्ष श्री मधु लिमये की लेख याचिका

अध्यक्ष महोदय : श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री अ० सिं० सहगल तथा कुछ अन्य लोगों ने श्री मधु लिमये की याचिका के सम्बन्ध में जो कि पंजाब उच्च न्यायालय की सर्किट बैंच के सामने पेश की गई है, विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत किया है। श्री शुक्ल संक्षेप में अपनी बात कह सकते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल (महा समंद) : इस सदन के माननीय सदस्य श्री मधु लिमये ने, सदन के दैनिक कार्य के सम्बन्ध में तथा इसके प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों को रद्द करवाने के लिए एक लेख याचिका दिल्ली में पंजाब उच्च न्यायालय के सर्किट बैंच के सामने विचार के लिए पेश भी है। याचिका में उन्होंने लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये हैं, जो कि विशेषाधिकार का बड़ा गम्भीर रूप से उल्लंघन है।

यह भी है कि श्री मधु लिमये की यह याचिका स्वीकार कर ली गयी है और लोक सभा के अध्यक्ष को न्यायालय में उपस्थित होने के सम्मन भेजे गये हैं। इससे सभा के विशेषाधिकार का भारी उल्लंघन हुआ है। यह निर्णय करने के लिए कि दोषी व्यक्तियों को क्या दण्ड दिया जाये, मामला विशेषाधिकार समिति को दिया जाना चाहिए। मेरा यह भी निवेदन है कि यदि माननीय सदस्य सभा से बिना शर्त क्षमा मांग ले तो मामला समिति को न सौंपा जाय, और सदन इस बात पर विचार करे कि क्या क्षमा याचना स्वीकार कर ली जाय।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Mr. Speaker, regarding the Privilege Motion I would like to say that when I presented my writ petition to the High Court, I did not mean to show disrespect to anybody nor did I intend to commit a breach

of privilege. At present a hot discussion is going on regarding the rights of the courts *vis-a-vis* rights guaranteed to the Parliament and the Legislatures by the Constitution. This issue has crept up in Uttar Pradesh from a case registered by Shri Keshav Singh in Allahabad High Court. In my writ petition presented to the Punjab High Court I have sought an information whether under Article 226 of the Constitution, I have the right to go to court to seek justice regarding conduct of business in the house which in my opinion gravely violates the Constitution. I wanted to know this much and only for this reason I moved the High Court.

I have not got any copy of the High Court judgement. But I have come to know from the newspaper reports that the court has not given any definite opinion regarding my case. In one case the court observed that I should have approached them earlier while regarding the other case, the courts observed that I should have approached them later on. They refused to give a definite opinion on the question of law. As far as the rights of the courts and the Parliament are concerned, they have not given any definite opinion.

In connection with this case I want to approach the Supreme Court and also want to challenge the laws framed here and this will take some time. Then you can take up this motion. But if you insist, I have nothing to say and you may refer the matter to the Privileges Committee. I want to say this much only that I do not feel I have done any thing wrong. If it is proved, and I feel that I have made some mistake, I will apologise anybody. But as long as I am confident that I was doing my duty and had the right to raise a Constitutional issue.....

Mr. Speaker: If you are moving the Supreme Court, I am prepared to withhold it. If you say so, I have no objection.

Shri Madhu Limaye: If you do not agree with this. . .

Mr. Speaker: No, I fully agree with it.

Shri Madhu Limaye: I would like to inform the House through you....

Mr. Speaker: You want to take this case to Supreme Court?

Shri Madhu Limaye: Yes, Sir.

Mr. Speaker: You may do it, we can wait.

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्रीमान, आपका निर्णय क्या है ? क्या यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसे विशेषाधिकार समिति को नहीं सौंप रहा हूं । वह कहते हैं कि वह इसे उच्चतम न्यायालय में ले जा रहे हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही सम्बन्धी वक्तव्य

संचार तथा संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं विभिन्न अधिवेशनों के दौरान, जो प्रत्येक के सामने दिखाये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं

पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाले निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या 2 ग्यारहवां अधिवेशन, 1965 (तीसरी लोक-सभा)

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 6 दसवां अधिवेशन, 1964 (तीसरी लोक-सभा)

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 8 नवां अधिवेशन, 1964 (तीसरी लोक-सभा)

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 13 सातवां अधिवेशन, 1964 (तीसरी लोक-सभा)

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 15 छठा अधिवेशन, 1963 (तीसरी लोक-सभा)

(छ) अनुपूरक विवरण संख्या 18 चौथा अधिवेशन, 1963 (तीसरी लोक-सभा)

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या 13 पन्द्रहवां अधिवेशन, 1961 (दूसरी लोक-सभा)

(पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4513/65 से एल०टी० 4519/65)

भारत तकनीकी संस्था के प्रमाणित लेखे

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं टैक्नोलोजी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) वर्ष 1963–64 के लिये भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था, खड़गपुर, के प्रमाणित लेखे तथा उन पर परीक्षा प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4020/65]

(दो) वर्ष 1963–64 के लिये भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था, मद्रास के प्रमाणित लेखे तथा उन पर परीक्षा प्रतिवेदन । **[पुस्तकालत में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 4521/65]**

पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1963-64 के लिए रिहैबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां सभापटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल ती-4522/65]

मध्यप्रदेश पंचायत (पुनर्गठन) आदेश इत्यादि

गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत मध्य भारत पंचायत (पुनर्गठन) आदेश, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 24 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1318 में प्रकाशित हुआ था।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4523/65]

(2) भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 41 के अन्तर्गत भारत प्रतिरक्षा (दूसरा संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 6 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 706 में प्रकाशित हुए थे।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4524/65]

(3) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति —

(एक) नागरिकता (संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 13 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 396 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नागरिकता (संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 15 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 728 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नागरिक (भारतीय वाणिज्य दूतावासों में रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 15 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 727 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 4525/65]

(4) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची 3 में कतिपय संशोधन किये गये थे :—

(एक) दिनांक 15 मई, 1965 की जी० एस० आर० 731

(दो) दिनांक 19 जून, 1965 की जी० एस० आर० 855

(तीन) दिनांक 24 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1004

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4526/65]

(5) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 31 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1065 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिनांक 31 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1067 जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची 3 में कतिपय संशोधन किये गये थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० —4527/65]

(6) शस्त्रास्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) शस्त्रास्त्र (संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 1 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 633 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) शस्त्रास्त्र (संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 24 जलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1006 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4528/65]

(7) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ गठित मद्य निषेध अधिनियम, 1950 (1950 का केरल अधिनियम संख्या 13) की धारा 62 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 2 मार्च, 1965 का एस० आर० ओ० 75/65 ।

(दो) केरल सिरका निर्माणशाला (स्थापना, कार्य संचालन तथा पर्यवेक्षण) नियम, 1965 जो दिनांक 23 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 110/65 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) दिनांक 4 मई, 1965 का एस० आर० ओ० 176/65 ।

(चार) दिनांक 8 जून, 1965 का एस० आर० ओ० 238/65 जिसके द्वारा केरल शराब परमिट (निजी उद्योग) नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये थे ।

(पांच) दिनांक 15 जून, 1965 का एस० आर० ओ० 252/65 जिसके द्वारा केरल विकृतीकृत (डिनेचर्ड) स्पिरट तथा मेथाइल अल्कोहल नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4529/65]

(8) केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिनियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) केरल इमारतें (पट्टा तथा किराया नियंत्रण) अधिनियम, 1965 (1965 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 2)/**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4530/65]**

(दो) केरल विद्युत शुल्क (मान्यकरण) अधिनियम, 1965 (1965 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 3)

[पुस्तकालय में रखी गई, **देखिये क्रमशः संख्या एल० टी०—4531/65**]

सालार जंग संग्राहालय (संशोधन) नियम 1965 के सम्बन्ध में अधिसूचनायें

शिक्षा मंत्रालय म सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सालार जंग संग्रहालय अधिनियम, 1961 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सालार जंग संग्रहालय (संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 24 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 624 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4433/65]

(दो) सालर जंग संग्रहालय (दूसरा संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 7 अगस्त, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1103 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सालार जंग संग्रहालय (तीसरा संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 7 अगस्त, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1104 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4532/65]

(2) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 43 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार (तीसरा संशोधन) आदेश, 1965 जो दिनांक 17 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1565 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार (चौथा संशोधन) आदेश, 1965 जो दिनांक 28 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2420 में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4533/65]

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4534/65]

(दो) 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्थायी सिन्धु आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4535/65]

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत संघ लोक-सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 1965 की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जो दिनांक 24 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 599 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4391/65)

(दो) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० (पो०) संख्या 315 की एक प्रति तथा उस पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो दिनांक 15 मार्च, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, 1957 में कतिपय संशोधन किये गये थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4536/65]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1965—66

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRNTS (GENERAL) 1965-66

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं वर्ष 1965–66 के आय-व्ययक (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगें दिखाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

कर्मचारी राज्य बीमा संशोधन विधेयक

EMPLOYEES STATE INSURANCE (AMENDMENT) BILL

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adoped

श्री अ० कु० सेन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

गुजरात--पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के सम्बन्ध में भारत--पाकिस्तान करार के बारे में प्रस्ताव--जारी

अध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 16 अगस्त, 1965 को पेश किये गये प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :--

> "कि गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान, सीमा के सम्बन्ध में जून, 1965 के भारत-पाकिस्तान करार के बारे में प्रधान-मंत्री द्वारा 16 अगस्त, 1965 को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य पर विचार किया जाये।"

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमानजी, काश्मीर में हाल में जो कुछ घटनायें हुई हैं उनके संदर्भ में सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को मैं अच्छी तरह समझता हूं। परन्तु इस संबंध में कुछ कहने से पूर्व मैं कच्छ की स्थिति तथा कच्छ के सम्बन्ध में करार के बारे में कुछ तथ्य सभा के समक्ष रखना चाहता हूं ।

जहां तक कच्छ की सीमा के सीमांकन का प्रश्न है, हम पहले ही उस प्रक्रिया को अपनाने के लिये मान चुके हैं जो दोनों सरकारों ने 1959 तथा 1960 के करारों में निश्चित की थी और वह यह है कि पहल अधिकारियों के स्तर पर तथा उसके बाद मंत्रियों के स्तर पर बातचीत होनी चाहिये। बातचीत से निर्णय करने में सफलता न मिलने की परिस्थिति में इस मामले को बन्धनकारी निर्णय के लिये एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण को सौंपा जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में कई बातें उठाई गई हैं। पहली बात यह है कि सभा में मैंने पहले सीमांकन का उल्लेख किया था न कि निश्चय का। हमारा यह हमेशा से विश्वास रहा है कि सीमा पूर्णतया निश्चित है तथा इसका सीमाकन का प्रश्न शेष है, परन्तु पाकिस्तान कई वर्षों से यह कहता रहा है कि सीमा को निश्चित करना अभी बाकी है। यह एक मामला है जिसमें दोनों देशों में मतभेद है। इस मत भेद के फलस्वरूप पैदा हुई स्थिति को बातचीत द्वारा और यदि बातचीत से निर्णय करने में सफलता न मिल सके, तो एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण के निर्णय द्वारा, सुलझाना होगा। आखिरकार सीमा का सीमांकन करना ही पड़ेगा चाहे इस बातचीत द्वारा किया जाये अथवा एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण के निर्णय द्वारा। इसके पश्चात् अगला कदम सीमा को भूमि पर रेखांकित लगाना होगा ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): युद्ध विराम करार में 'निर्धारित' शब्द का चार बार प्रयोग किया गया है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी, हां, इसीलिये तो मैंने इस बारे में यह स्पष्टीकरण दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या निर्धारण करना है । निश्चय करनी है वह सीमा जो भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अगस्त, 1947 को थी, अथवा उस समय थी जब कच्छ का भारत में विलय हुआ था । यह है पहली बात जिस पर हमने निर्णय करना है ।

श्री हेम बरुआ : क्या 3500 वर्गमील के राज्य-क्षेत्र पर पाकिस्तानी दावे का निश्चय करना है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : दूसरी बात यह कही गई है कि मैंने पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच कोई राज्य क्षेत्र सम्बन्धी कोई झगड़ा है परन्तु अब हम उस स्थिति से पीछे हट गये हैं। यह बिल्कुल ही सही नहीं है । सचाई यह है कि हमने करार में यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच कच्छ के राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई झगड़ा नहीं है क्योंकि वहां पर सीमा अच्छी तरह से स्थापित है जैसी कि देश के विभाजन से पहले के नक्शों में दिखाई गई है और कि उसका सीमांकन करना बाकी है। परन्तु पाकिस्तान का यह दावा है कि कच्छ के रन में भारत तथा पाकिस्तान के बीच मोटे तौर से 24वीं अक्षांश रेखा के साथ साथ है जैसा कि विभाजन से पूर्व के तथा विभाजन के पश्चात् के कई दस्तावेज़ों से स्पष्ट है, । दूसरे शब्दों में पाकिस्तान भी इस बात को स्वीकार करता है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच वर्तमान सीमा के निश्चित करने का प्रश्न है तथा जैसे मैं ने पहले बताया है कि उनका विचार है कि सीमा 24वीं अक्षांश रेखा के साथ साथ है । फिर भी मैं यह पुनः बता देता हूं कि करार में यह अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत तथा पाकिस्तान दोनों देश वर्तमान सीमा तक का उल्लेख कर रहे हैं। तथा उन दोनों का दावा है कि उन के पास ऐसे प्रमाण हैं जो सिद्ध करते हैं कि जो कुछ वह कहते हैं वह सही है। करार के उपबन्धों के अनुच्छेद 3(1) (ग) से भी यह स्पष्ट है कि दोनों देश सीमा को निश्चित करना चाहते हैं। मूल प्रश्न सीमा को निश्चित करने का है न कि किसी देश के किसी राज्य क्षेत्र पर दावे का। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के इतिहास में ऐसे अवसर आये हैं जब एक देश ने दूसरे देश पर निर्धारित तथा मान्य सीमा के बावजूद भी राज्य क्षेत्र सम्बन्धी दावे किये हैं। ऐसे दावों को राज्य क्षेत्र सम्बन्धी दावे कहा जा सकता है परन्तु वह स्थिति, जिसमें सीमा को सीमांकन न किया गया हो, उससे कुछ भिन्न है । इस मामले में सीमा को केवल रेखांकित करने का प्रश्न है । यदि उसके सीमा सम्बन्ध में, जो पहले ही सीमांकित हो, कोई राज्य क्षेत्र सम्बन्धी विवाद उठाया जाता तो हमने उसका दृढ़ता से प्रतिरोध किया होता चाहे उसका सम्बन्ध हमारे देश के बिल्कुल छोटे से भाग से ही क्यों न होता ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रश्न का बातचीत अथवा न्यायाधिकरण के निणय द्वारा निर्णय करना है, वह भारत तथा पाकिस्तान के बीच न ही किसी नयी सीमा का है तथा न हीं वह दोनों में से किसी देश के दावों का है, परन्तु प्रश्न है कि उस सीमा को निश्चित करने का, जो देश के विभाजन तथा कच्छ राज्य के भारत में विलय होने के फलस्वरूप बनी थी, और इसका निश्चय साक्ष्य के आधार पर किया जाना है. न कि किसी अन्य वाह्य प्रतिफलों के आधार पर ।

करार में न्यायाधिकरण के गठन के बारे में की गई व्यवस्था के सम्बन्ध में की गई आलोचना के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने इस बात पर यथोचित रूप से विचार कर लिया था कि यदि न्यायाधिकरण में एक पाकिस्तानी तथा एक भारतीय सदस्य होगा तो यह दोनों अपने दृष्टिकोणों पर ही अधिक बल देंगे और किसी निर्णय तक पहुंचने में वह तीसरे सदस्य की कोई विशेष सहायता नहीं कर सकेंगे । इसका परिणाम यह होगा कि तीसरा व्यक्ति ही पूर्णतया निर्णयक बन जायेगा । अर्थात् इस इतने महत्वपूर्ण मामले के बारे में हमारे भाग्य का फैसला केवल एक व्यक्ति ही करेगा । इसलिये हमने यह महसूस किया कि यदि भारत तथा पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व

विभिन्न देशों के दो व्यक्ति करें तो यह सम्भव हो सकेगा कि वह इस मामले में युक्तियुक्त दृष्टिकोण अपनायें। अतः मेरे विचार में हमारे इस निर्णय से कोई हानि नहीं होगी कि न्यायाधिकरण के सदस्य भारत से बाहर के होने चाहिये। यह भी शंका प्रकट की गई है कि न्यायाधिकरण हमारे से धोखा अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य बातें करेगा, इस सम्बन्ध में मेरा दृष्टिकोण भिन्न है, क्योंकि न्यायाधिकरण के सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। उन पर अभी से आरोप लगाना अथवा उन के सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त करना उचित नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : मेरा यह प्रतिवाद नहीं था जब मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। मैंने कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्णयों पर चार कारणों से आपत्ति की जा सकती है और मैंने उन चार कारणों का उल्लेख किया था। परन्तु इस करार के अनुसार न्यायाधिकरण का निर्णय हमारे लिये बाध्य होगा इस पर मैंने आपत्ति की थी। मैंने न ही न्यायाधिकरण के सदस्यों की सम्भावना पर तथा न ही भारतीयों की सम्भावना पर शंका की थी ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री: हमारी नियत पर शक किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। भिन्न-भिन्न परिस्थितियां होती हैं और इसलिये यदि हमने इन परिस्थितियों में यह निर्णय किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि नियत पर शक किया जाये।

जहां तक गश्त लगाने का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को भली प्रकार समझता हूं। परन्तु जैसा कि मैंने आरम्भ में ही कहा पाकिस्तान ने एक बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि वे करीमशाही तक गश्त लगाते थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त के दल ने पहले इस समझौते का समर्थन किया और बाद में अपना रवैया बदल दिया। पता नहीं इसके क्या कारण हैं। फिर भी मैं यह कहूंगा कि उनका दल किसी भी समय अपनी राय बदलने के लिये स्वतंत्र है। इस मामले पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और वास्तविकता तो यह है कि केवल इसी विशेष प्रश्न पर इस मामले में बहुत देर हो गई। हमारे पास तथा उनके पास जो जानकारी थी, उसके आधार पर हम इस परिणाम पर पहुंचे कि नौ मील का यह छोटा रास्ता है जो भारत से हो कर जाता है और यदि पाकिस्तान को वहां गश्त लगाने की अनुमति दे दी जाये तो यह यथापूर्व स्थिति के अनुसार ही होगा ।

श्री हरि विष्णु कामत: क्या गुजरात सरकार इस पर सहमत हुई ?

श्री याज्ञिक (अहमदाबाद): क्या गुजरात सरकार से परामर्ष किया गया था ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : उस समय नहीं जब हमने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। परन्तु कुछ समय पूर्व गुजरात सरकार से इस बारे में परामर्श हुआ था। मैं इन बातों को विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्यों नहीं ? यह बहुत गम्भीर बात है संसद को सूचना नहीं दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें कोई विशेष बात कहने पर बाध्य नहीं कर सकता ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : यदि वह इस बारे में स्पष्ट नहीं कहना चाहते तो वे अपने वक्तव्य में इन शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं। अब जब कि उन्होंने यह वक्तव्य दिया है, उन्हें सभी स्पष्टीकरण देने चाहियें ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : एक ओर ब्रिटिश सरकार ने इन बातों की जांच की और उन्होंने अपने विचार रख तथा हमारी अपनी भी जानकारी थी और हमें यह विश्वास हो गया है कि इस रास्ते पर पाकिस्तान की पुलिस द्वारा जो पहले वहां थी—गश्त लगाने का प्रस्ताव वैध था . . . **(अन्तर्बाधा)** यह वैध नहीं था—मुझे खेद है . . . .

Shri Madhu Limaye: On 3rd March, 1965, it was categorically stated by the Minister of External Affairs Sardar Swaran Singh have that Pakistani police or army was never there before 25th January but now the Prime Minister says that they had to accept their claim. Was it due to the pressure from Britain?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जैसा कि मैंने कहा कि विस्तार में इस बात पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु हमें यह विश्वास हो गया कि यथापूर्व स्थिति की दृष्टि से हमारे लिये यह उचित था कि हम यह स्वीकार करते कि पाकिस्तानी डिंग-सुरई क्षेत्र में गश्त करेंगे . . .

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमान्। पिछले अधिवेशन के दौरान प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि जनवरी, 1965 से पहले वहां पाकिस्तान गश्त नहीं लगाता था परन्तु अब यह कह रहे हैं कि वहां वह कुछ क्षेत्र में गश्त लगाते थे। मेरी आप से यह प्रार्थना है कि आप उनसे वह सब सूचना सभा को देने के लिये कहें जो उन्हें पिछले अधिवेशन के बाद से प्राप्त हुई है ताकि सभा को यह पता लग सके कि पूरी स्थिति क्या है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह तो प्रधान मंत्री को देखना है कि वह इसका उत्तर देंगे अथवा नहीं ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह केवल एक रास्ता है। वहां पुलिस नहीं ठहरती। वे वहां गश्त लगाते हैं और चले जाते हैं। वहां से सेना हटा ली गई है।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): What was said on the 3rd March?

Shri Madhu Limaye: The written statement which the hon. Minister made on the 3rd March may be read.

Mr. Speaker: Hon. Members may resume their seats. How can I ask the hon. Prime Minister to say a particular thing. He will say whatever he deems fit. Can I ask the hon. Members to say a particular thing when they speak?

श्री रंगा : वह एक हास्यास्पद भाषण दे रहे हैं। क्या आप इस पर आपत्ति नहीं उठा सकते ?

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : वहां कोई पुलिस चौकी नहीं है। हम उस क्षेत्र का निरीक्षण कर सकते हैं और कंजरकोट तक भी जा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या हम डिंग-सुरई जा सकते हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : डिंग और सुरई पाकिस्तान में हैं। हमें कच्छ के प्रश्न पर पृथकतया विचार करना है। काश्मीर स्थिति से कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं परन्तु कच्छ का समझौता एक पृथक समझौता है। यह सुझाव देना ठीक नहीं है कि हम दूसरे विवादों के लिये न्यायाधिकरण स्वीकार करेंगे। मेरे विचार में जो कुछ हमने किया है, वह देश के हित में है और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी ठीक है। निस्संदेह, कंजरकोट, बियारबेट तथा दूसरे स्थान खाली कर दिये गये हैं। कच्छ के रन में अब हमने असैनिक शासन स्थापित किया है।

यह ठीक है कि मेरे मन में यह बात थी कि यदि सम्भव हो तो हमें लड़ाई को दूर रखना चाहिये। मैं इस तथ्य से इन्कार नहीं करता। यह एक मूल सिद्धान्त है जिसे भारत ने स्वीकार किया है। भारत के संविधान में भी यह दिया गया है। यह संविधान के नैदेशिक सिद्धान्तों में भी दिया गया है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस मूल सिद्धांन्त का विरोध क्यों किया जाना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : वह इस न्यायाधिकरण को मध्यस्थ निर्णय समझते हैं। हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि न्यायाधिकरण के मध्यस्थ निर्णय की शक्ति होती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ इतनी अन्तर्बाधा क्यों कर रहे हैं। मैंने उनसे प्रार्थना की है कि वह प्रधान मंत्री को बोलने दें।

Shri Ram Sewak Yadav: The House should be adjourned as a protest to this agreement.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता परन्तु मैं यह स्पष्टतया कहूंगा कि हम इस समझौते से पीछे नहीं हटना चाहते।

Shri Ram Sewak Yadav: This is very unfortunate for the country.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि हाल की घटनाओं की दृष्टि में, जिनसे कि भारत तथा पाकिस्तान के सम्बन्ध बहुत खराब हो गये हैं, हमारे वैदेशिक-कार्य मंत्री ने पाकिस्तान के वैदेशिक-कार्य मंत्री को यह सुझाव दिया है कि वह इस महीने की 20 तारीख को भारत न आयें।

Shri Madhu Limaye: On this very basis, the decision regarding arbitration may also be cancelled.

Shri Ram Sewak Yadav: It is better to make amends.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : न्याय निर्णयन की जो बात हमने स्वीकार की है उससे हम पीछे नहीं हट सकते। हालांकि जन संघ के सदस्यों ने इसका घोर विरोध किया है ..... (अन्तर्बाधा) इससे पता लगता है कि हम संसद में किस प्रकार व्यवहार करते हैं परन्तु मेरे माननीय मित्र जिस प्रकार चाहें व्यवहार कर सक ते हैं

Shri Maurya: There is no doubt that if the Prime Minister of some other country had committed such mistake as Shri Lal Bahadur Shastri has committed, then he might have to resign.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक काश्मीर का प्रश्न है, हमें काफी सतर्क रहना होगा। हमारी सेनायें तथा पुलिस अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिये तैयार

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

हैं। सभा को मालूम है कि हाल ही में हमें कारगिल की चौकी पर जाना पड़ा है ताकि हम घुस-पैठियों को आने से रोक सकें। इसके अतिरिक्त हमारी सेनायें और भी ऐसे कदम उठायेंगी जिन्हें वे हमारी सीमाओं की रक्षा के लिये आवश्यक समझती हैं।

मुझे पूरी आशा है कि हम एक होकर इस चुनौती का सामना करेंगे और अन्ततोगत्वा सच की जीत होगी।

Shri S. M. Banerjee: In so far as *status quo aute* and patrolling are concerned, the Prime Minister and Sardar Swaran Singh have said two different things. May I know why two different things have been said? Regarding Kashmir, I have to say that a brigardier has been shot dead there. The House might have been apprised of this grave situation.

श्री जी० ब० कृपलानी : मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते कुछ शर्तों पर आधारित होते हैं। यदि वे शर्तें पूरी न की जायें, तो वे समझौते सम्मानपूर्वक रद्द किये जा सकते हैं। विश्व के इतिहास में इसके पूर्वोदाहरण भी हैं। जिन परिस्थितियों में यह समझौता किया गया था वे आज की परिस्थितियों से भिन्न थीं। आज काश्मीर में हमें पाकिस्तान ने धोखा दिया है और कच्छ का प्रश्न काश्मीर के प्रश्न से भिन्न नहीं है इन दोनों प्रश्नों का एक साथ हल होना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : हमें यह सुन कर बड़ा हर्ष हुआ है कि श्री भुट्टो को भारत न आने के लिये कहा गया है। क्या यह काम इस समझौते को रद्द करने के लिये हमारी मांग के सम्बन्ध में उठाया गया है।

Shri Brij Raj Singh: The Prime Minister has not made it clear whether the tribunal will arbitrate for us or it will give a judgement in this case.

Shri Madhu Limaye: The Prime Minister had said on 8th May in the Rajya Sabha that the matter to be referred for arbitration was about the demarcation of boundary and not about the territory. I want that members belonging to Congress Party should be allowed to vote freely and no party whip should be issued.

Shri Radheylal Viyas (Ujjain): Sir, I rise on a point of order. You have allowed members to ask question and not to make speeches.

Mr. Speaker: Only question can be put.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): Sir, I want to put only two questions. The text of the agreement says that "as the Governments of India and Pakistan have agreed to cease-fire and restore the *status quo ante* as on 1st January, 1965, it will help in lessening the tension on the entire Indo-Pakistan border". This is the background of the agreement and now it has been violated by Pakistan by committing aggression in Kashmir. I want to know whether Government proposes to honour this agreement even now? The Central Reserve Police has been patrolling the Chharbet area since 1956 and maintaining a register about it. I want to know whether the Prime Minister had seen that register at the time of agreeing to Pakistan's patrolling in that area and whether Pakistan's claim is more forceful?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : प्रधान मंत्री ने जब 1 जनवरी, 1965 की स्थिति को पुनः कायम करने की बात कही थी तो क्या उस समय उन्होंने इस बात के सभी पहलुओं पर विचार कर लिया था ? और अब पाकिस्तान दल द्वारा चाहे जैसी भी कार्यवाही हो क्या हम इस समझौते के अनुसार कार्य करेंगे ? क्या इस परिस्थिति के अनुसार हमें भी बदलना नहीं चाहिये ?

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur): I want to know whether the Prime Minister was aware of patrolling of Ding-Surai track by Pakistan police when he made his statement, if not; what are those papers which have been referred to and have not been presented?

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्तशासी जिले): पाकिस्तानी पुलिस डिंग-सुरई मार्ग पर गश्त लगाती रही है और हमें इसका पता भी नहीं था । मैं जानना चाहता हूं कि अब हम किस प्रकार यह साबित करेंगे कि पाकिस्तान के 35,000 वर्गमील क्षेत्र सम्बन्धी दावे झूठे हैं और वास्तव में यह क्षेत्र हमारा है ? दूसरे यदि पंचनिर्णय हमारे विरुद्ध जाता है, तो क्या हम अपनी भूमि पाकिस्तान को दे देंगे ?

Shri Gulshan (Bhatinda): The Prime Minister has said that police forces from both the countries were patrolling the Rann of Kutch. I cannot understand as to how police from both sides has been patrolling the same area? I want to know whether we have reoccupied the posts in Kargil area and as the meeting of the foreign Ministers has been cancelled is there still some likelyhood of this agreement being adhered to?

Shri Lal Bahadur Shastri: So far the lessening of tension is concerned, I may say, that forces of both countries were facing each other on the border. As a result of this agreement forces were withdrawn by both sides. (अन्तर्बाधायें)

Shri Prakash Vir Shastri: Sir, the Prime Minister should not give wrong information to the House. The agreement says "the entire Indo-Pakistan border". The agreement is for lessening the tension on entire border.

Shri Lal Bahadur Shastri: I am saying the entire border.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: What has happened in Kashmir?

Shri Lal Bahadur Shastri: Kashmir is an altogether different matter. Government cannot announce its policies on every occasion. We will see the situation—as it develops and then decide. As a principle it is good if something can be decided by peaceful means. We entered into agreement with Pakistan in 1959 and 1960 and it was decided that we should settle our difficulties by negotiations and if it is not possible by that way it should be referred to a tribunal. The verdict of the tribunal shall be binding.

Shri Ram Sewak Yadav: Sir, it is a very important question. I request that for deciding this issue voting should be secret ballot in this House because some members belonging to the ruling party may like to vote against this motion.

Mr. Speaker: This cannot be done.

[Mr. Speaker]

इस प्रस्ताव पर ग्यारह स्थानापन्न प्रस्ताव हैं । प्रस्ताव संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12 और 13 तो निरनुमोदन के लिये हैं । मैं प्रस्ताव संख्या 1, 7 और 10 मतदान के लिये रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ *The Lok Sabha divided :*

पक्ष में 31; विपक्ष में 272 *Ayes 31; Noes 272.*

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ *The motion was negatived.*

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 7 मतदान के लिये रखा गया ।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ *The Lok Sabha divided*

पक्ष में 17; विपक्ष में 262 *Ayes 17; Noes 262*

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ *The motion was negatived.*

अध्यक्ष होदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 10 मत-विभाजन के लिये रखा गया ।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ *The Lok Sabha divided*

पक्ष में 26 ; विपक्ष में 264 *Ayes 26; Noes 264*

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ *The motion was negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाय ; अर्थात्:—

"यह सभा गुजरात पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के सम्बन्ध में जून, 1965 के भारत-पाकिस्तान करार के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा 16 अगस्त, 1965 को सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य पर विचार करने के पश्चात्, उसका अनुमोदन करती है"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ *The Lok Sabha divided*

पक्ष में 269; विपक्ष में 28 *Ayes 269; Noes 28*

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । *The motion was adopted.*

बैंकिंग विधियां (सहकारी समितियों पर लागू करना) विधेयक—जारी

BANKING LAW (APPLICATION TO COOPERATIVE SOCIETIES) BILL—contd.

अध्यक्ष महोदय : अब हम रिजर्व बैंक आफ इन्डिया अधिनियम 1934 और बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम 1949 के संशोधन करने वाले विधेयक पर खण्डवार चर्चा करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य कुछ प्रकार की सहकारी समितियों को बैंकिंग कार्य को नियमित रूप देना है ।

प्रश्न यह है

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *The motion was adopted.*

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया *Clause 3 was added to the Bill.*

खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिये गये *Clauses 4 and 5 were added to the Bill*

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया। *Clause 6 was added to the Bill.*

खण्ड 7 से 13 तक विधेयक में जोड़ दिये गये *Clauses 7 to 13 were added to the Bill.*

खण्ड 14 (नये भाग 5 का जोड़ना)

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं अनुषांगिक संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं इसके द्वारा "1964" के स्थान पर "1965" रखने का प्रस्ताव है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :—

(1) पृष्ठ 6, पंक्ति 6 "1964" के स्थान पर "1965" रखा जाये ।

(2) पृष्ठ 6, पंक्ति 31, "1964" के स्थान पर "1965" रखा जाये ।

(3) पृष्ठ 7 पंक्ति 29 में "1964" के स्थान पर "1965" रखा जाये ।

(4) पृष्ठ 9, पंक्ति 31 अथवा 32,

"Where there is no such Central Co-operative Bank, shares."

["जहां ऐसा कोई सहकारी बैंक शेयर्स नहीं हैं" शब्द हटा दिये जायें]

(5) पृष्ठ 9, पंक्ति 38, "1964" के स्थान पर "1965" रखा जाये ।

(6) पृष्ठ 11, पंक्ति 10, "1964" के स्थान पर "1965" रखा जाये ।

(7) पृष्ठ 11 पंक्ति 15, "1964" के स्थान पर "1965" रखा जाय।

(8) पृष्ठ 11, पंक्ति 29, "1964" के स्थान पर "1965" रखा जाये।

(9) पृष्ठ 13, पंक्ति 3, "1964" के स्थान पर "1965" रखा जाये।

(10) पृष्ठ 15, पंक्ति 29, "1964" के स्थान पर "1965" रखा जाये।

(11) पृष्ठ 16, पंक्ति 15, "1964" के स्थान पर "1965" रखा जाये।

Shri D. S. Patil (Yeotmal): Sir, first reading of this Bill took place on 18th February, 1965 during last session. It was said that this Bill was to be reconsidered by Cabinet and some amendments were proposed to be made, but no amendment has been made. A meeting of the Federation was held at Bangalore and very good suggestion were made there. Those suggestions should be taken into account.

Co-operative law is a state subject. It is the duty of States to see that co-operatives are run efficiently. Now there will be double control on it. If a new branch was to be opened permission of the Reserve Bank will be a pre-requisite. I want that Deposit Insurance Corporation Act should be amended and made applicable to Co-operative Banks.

I want that this should be implemented by the Agricultural Department of Reserve Bank of India. State Governments should be consulted when action is taken under clause 35(1) and section 19.

श्री पाराशर (शिवपुरी) : श्रीमान्, सहकारी समितियों के विनियमन के सम्बन्ध में प्रस्तुत संशोधनों का मैं विरोध करता हूं। जहां तक प्रस्तुत विधेयक अथवा संशोधनों का सहकारी समितियों पर लागू किये जाने का सम्बन्ध है, वह अवैध है। इस विधेयक पर इस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्य महोदय को इस सम्बन्ध में अपना तर्क पेश करने का अवसर दूंगा। किन्तु इसे अवैध घोषित करने का अधिकार अध्यक्ष को नहीं अपितु न्यायालय को होगा।

श्री पाराशर : संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 के अनुसार, इस विषय पर कानून बनाना पूर्णतः राज्य विधान मण्डलों के क्षेत्राधिकार में है और इसलिए यह सभा किसी ऐसे विषय पर जो पूर्णतः राज्य विधान मण्डलों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, कानून नहीं बनायेगी। अतः संविधान के अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। फिर, इसे सूची 1 मद संख्या 43 से स्पष्ट रूप से निकाल दिया गया है और उसे स्पष्टतः राज्य सूची में शामिल कर दिया गया है। अतः मेरा निवेदन है कि सहकारी समितियों से सम्बन्धित किसी भी खण्ड पर इस सभा में चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं यह महसूस करता हूं कि ऐसे किसी विधेयक को पुरस्थापित करने का यह उचित अवसर है। यदि देश में अब तक सहकारिता आन्दोलन असफल रहा है, तो उसका मुख्य कारण प्रशासन का तरीका अथवा सहकारी समितियों को चलाने का ढंग है जो कि अत्यधिक दोषपूर्ण रहा है।

जहां तक सहकारी बैंकों का सम्बन्ध है, प्रस्तुत विधेयक से यह बात स्पष्ट नहीं होती कि विनियोजन सम्बन्धी नीति का निर्धारण राज्य के सहकारी विभाग द्वारा किया जायेगा अथवा भारत के रिजर्व बैंक द्वारा। चूंकि सहकारिता एक राज्य विषय है किन्तु बैंकिंग केन्द्र-विषय है। बैंकिंग व्यवस्था का प्रशासन सम्बन्धित राज्यों के सहकारी विभाग को सौंप दिये जाने पर उससे कठिनाईयां उत्पन्न होंगी। जहां तक सहकारी बैंकों का सम्बन्ध है, उन्हें देश के अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समानस्तर पर लाना अति वांछनीय है। उस स्थिति में, सहकारी क्षेत्र के बैंक और भी अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करेंगे। प्रस्तुत विधेयक से यह बात स्पष्ट नहीं होती कि क्या सहकारी बैंक सहकारी समितियों के उपनियमों के अधीन काम करेंगे अथवा वे अन्य सभी बैंकों की भांति रिजर्व बैंक के नियंत्रण में काम करेंगे।

श्री ब० रा० भगत : प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य किसी विशेष सहकारी समितियों के बैंकिंग व्यवसाय तथा तत्सम्बन्धी मामलों को विनियमित करना है। वास्तव में, बैंकिंग सूची 1 के अन्तर्गत आता है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक सहकारी समितियों का सम्बन्ध है, उनका पूर्णतया राज्यों से सम्बन्ध है और उनका उत्तरदायित्व भी राज्यों पर है क्योंकि वे राज्य सूची में हैं।

श्री ब० रा० भगत : यह सच है। इस मामले की जांच की गयी थी और यह निर्णय लिया गया कि ऐसा करना कोई अवैध नहीं है। वास्तव में, गैर-बैंकिंग कार्यकिलापों यथा ऋण तथा विपणन को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में नहीं रखा गया है। यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा गया है कि प्रस्तुत विधेयक केवल बैंकिंग तक ही सीमित रहे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

(1) पृष्ठ 6, पंक्ति 6,—"1964" **के स्थान पर** "1965" **रखा जाये**।

(2) पृष्ठ 6, पंक्ति 31—"1964" **के स्थान पर** "1965" **रखा जाये**।

(3) पृष्ठ 7, पंक्ति 29—"1964" **के स्थान पर** "1965" **रखा जाये**।

(4) पृष्ठ 9, पंक्ति 31 तथा 32,—"

"where there is no such Central Co-operative bank shares".

["जहां ऐसा कोई सहकारी बैंक, शेयर्स नहीं हैं"] शब्द हटा दिये जायें

(5) पृष्ठ 9, पंक्ति 38,—"1964" **के स्थान पर** "1965" **रखा जाये**।

(6) पृष्ठ 11, पंक्ति 10,—"1964" **के स्थान पर** "1965" **रखा जाये**।

(7) पृष्ठ 11, पंक्ति 15,—"1964" **के स्थान पर** "1965" **रखा जाये**।

(8) पृष्ठ 11, पंक्ति 29,—"1964" **के स्थान पर** "1965" **रखा जाये**।

(9) पृष्ठ 13, पंक्ति 3,—"1964" **के स्थान पर** "1965" **रखा जाने**।

(10) पृष्ठ 15, पंक्ति 29,—"1964" **के स्थान पर** "1965" **रखा जाये**।

(11) पृष्ठ 16, पंक्ति 15,—"1964" **के स्थान पर** "1965" **रखा जाये** (3)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *The motion was adopted.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *The motion was adopted.*

खण्ड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया *Clause 14, as amended, was added to the Bill.*

खण्ड 1—(संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ)

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 5, "1964" के स्थान पर "1965' रखा जाये (2)

[श्री ब० रा० भगत]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *The motion was adopted.*

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया *Clause 1, as amended, was added to the Bill.*

विनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

Amendment made

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—"पन्द्रहवां" के स्थान पर "सोलहवां" रखा जाये (1)

[श्री ब० रा० भगत]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *The motion was adopted.*

विनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया । *The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.*

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया *The title was added to the Bill.*

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधितरूप में, पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *The motion was adopted.*

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

बीज विधेयक

SEEDS BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री शाहनवाज खां द्वारा 11 मई, 1965 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि कुछ प्रकार के बीजों की बिक्री के लिए उन की किस्म के विनियम तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

Shri Yashpal Singh (Kairana): I congratulate the hon. Minister for having brought forward this Bill. I feel that this Bill should be applicable to the whole of India and no exception should be made in the case of State of Jammu and Kashmir. I have not been able to understand as to why Rajasthan and Madras have been put together in so far as the application of this law is concerned. The licences should be given to farmers and not to dealers. The dealers will harass the poor farmers. Now the farmers will have to go to the licence-holder for seeds. This new system of distribution of seeds is faulty. It will cause many difficulties to the farmers. Government should evolve some such scheme that farmers may get seeds fifteen days earlier than the actual day of sowing. The late Sardar Partap Singh Kairon had introduced this scheme in Punjab. We talk of decentralisation. If we want this, we should assign the task of distribution to Gram Panchayats. In this manner there would be fair distribution and there would be no scope for blackmarket. Government should provide small laboratories in villages for testing the quality of seeds. These laboratories should be under the control of Panchayats.

I want that a provision should be made under which dealers, who indulge in bad practices, should be brought to book. I hope that these improvements would be introduced in this Bill.

Shri Sarjoo Pandey (Rasra): I am not in favour of this Bill. This will encourage bribery and black-marketing. It will not be of any help to the farmers. It will encourage corruption. Under this Bill a licencing authority will be set up. Inspectors and other employees will be appointed under it. It is not going to succeed. As you must have found in the case of Food Adulteration Act. This Bill is not going to be of any help to the farmers. They are already very much in difficulty.

Then farmers will have to fulfil many formalities. They will be required to go from office to office. These people are already not happy. You are

[Shri Sarjoo Pandey]

adding to their difficulties all the more by this Bill. I want that this Bill should be withdrawn. The farmers should be provided more facilities like irrigation and fertilizer etc. etc.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): The Bill under discussion is impracticable in our country. India is predominantly an agricultural country. This Bill will not solve the colossal problem of seeds. It is inadequate. I have seen that seeds supplied by Government Farms are not good in quality. In such circumstances passing of this law is of no use. It will not solve the problem. It will give an opportunity for the appointment of large number of Inspectors and other personnel. It will be another tool in the hands of officers to harass the farmers. The purpose of this Bill is very good. It seeks to arrange for the supply of good seeds to the farmers. The laboratories for testing seeds should be set up. India is a very big country. It is not easy to provide seeds for all the villages by these laboratories.

I want that this Bill should be kept in abeyance for some time. The existing practice under which farmers can get seeds from other farmers will be done away with and only a licence holder will be entitled to sell seeds. This will cause many complications. I feel that there is no urgency in passing this at present. I request that this should not be passed now..

Shri D. S. Patil (Yeotmal): This Bill has already been passed by Rajya Sabha. The objects of this Bill are very useful. It seeks to regulate the quality control, production, marketing and preservation of seeds. It is very unfortunate that the target of establishing seed farms during the Five Year Plan periods has not been reached. We should try to be practical. There will be a Central Seed Committee at the Centre and it will have Sub-committees in the States. I find that no representation has been provided for the farmers on the sub-committees. All other interests in the field of agriculture have been given representation on this committee. I feel that more powers should be given to the sub-committee. I suggest that local committee or Panchayat Samiti should do the inspection work. The Inspectors proposed to be appointed will not be of any use. The Inspectors have been given very wide powers under this Bill. I feel that they will make misuse of these powers. There is no penalty provided in the Bill against such eventuality. If the work regarding seeds is given to Panchayat it will be very good.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): There are practical difficulties in implementing the provisions of this Bill. Without being implemented the Bill will have no value. We are becoming unfit to provide meals to our people and for seeds we are creating agency for licensing. This will definitely increase corruption. And ultimately this will stand in the way of better production. We all know that if we want to increase production, some practical methods should be adopted. One neighbour will not be able to give seed to his another neighbour because for the licence. This will create good eal of confusion in the prevalent system.

My submission is that if you want to change the old system you must first evolve a new system of distribution. In my opinion sections 9 and 11 should be removed. Grant of licence under Section 11 will encourage corruption. It will affect the large number of people of the country and will be against their interest. Honest people will also suffer. If you want to know the opinion of the people regarding this Bill, then send it for eliciting the public opinion.

With these words, I request that the Bill should be withdrawn; or it should be circulated for eliciting public opinion thereon.

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur): I oppose this Bill. Everybody in this House has opposed it. In this connection, two or three things are important. I am of the opinion that if you are capable of making adequate arrangement of distribution, you have no right to have any control. This control will only spread corruption. I am very happy that even the Congress members are admitting this fact in this House. A Senior Congress member Shri Raghunath Singhji has admitted that wherever there is control or licences corruption is inevitable.

I want to urge upon the Government that if they have faith in democratic system then the distribution of seeds should be handed over to the Panchayats and other institutions of like nature. Clause 22 is very dangerous. I support this suggestion put forward by Shri Raghunath Singh that the Bill be sent for elicting public opinion.

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : हम इस देश में स्वप्न देखने के अभ्यस्त हो गये हैं। असम्भव बातें कर के हम मामलों को जटिल बनाते हैं। यह विधेयक भी इस परिस्थिति का द्योतक है। मेरा मत यह है कि देहात में चल रही पंचायत समितियों तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं का परामर्श लिए बिना यह विधेयक प्रस्तुत नहीं हो सकता। इस का प्रभाव करोड़ों किसानों पर होने जा रहा है।

इस संदर्भ में मेरा यह भी कहना है कि यह बात खेदजनक है कि केन्द्रीय बीज समिति में कृषकों को प्रतिनिधित्व देने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। यह बात तो स्पष्ट है कि जहां भी नियंत्रण इत्यादि लागू होंगे वहां भ्रष्टाचार फैलेगा। निरीक्षकों की नियुक्ति से भ्रष्टाचार बढ़ेगा इस में कोई भी सन्देह नहीं है। किसानों में पहले ही असन्तोष है, इस से असन्तोष और बढ़ जायेगा। मेरा यह पूरा विश्वास है कि इस के लिए लोगों का मत लिया जाना चाहिए।

सरकार कृषकों के बारे में बहुत बातें करती है, परन्तु व्यवहार में कुछ भी नहीं किया जाता। हम आहिस्ता आहिस्ता किसानों का विश्वास खोते जा रहे हैं। यह बहुत बुरी बात है, मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिए।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : यह गलत है कि किसी भी सदस्य ने विधेयक का समर्थन नहीं किया : श्री यशपाल सिंह ने इस का समर्थन किया है।

Shri Mohan Swarup (Pilibhit): This Bill will cause discontment among the farmers. This is why I will oppose this Bill. Our agricultural position has not become so sound that such Bill should be brought forward. We have not got the preliminary facilities in this direction. This Bill will enhance the difficulties of the farmers.

[**डा० सरोजिनी महिषी** पीठासीन हुईं । / DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

Even the seeds are not available in the Government stores. Government have failed to give seeds to the farmer, then why it is coming forward to control the distribution. The distributors of seeds will have to get the licence, it will give rise to corruption to flourish. To give the rights to the Inspectors to search the house and freeze the goods. Those farmers who are keeping seeds for their own use will also be put to trouble.

[Shri Mohan Swarup]

The way how the National Seed Corporation is working, is not going to serve any purpose. I may urge upon the Minister that Bill be circulated for eliciting the public opinion.

Shrimati Sahodra Bai Rai (Damoh): I cannot support this Bill, it goes against the interests of the cultivators. Cultivators are already facing many difficulties and this Bill is going to enhance them. According to this Bill whenever a farmer will go to purchase the seeds, he will have to pay bribe for that.

For the distribution of the seeds the license will be necessary. This will definitely give encouragement to corruption. I am of the opinion that old system of distribution is quite suitable and it is going on well. It should not be changed. The new system will only create difficulties.

I want to urge upon the Minister that he should either withdraw the Bill or it may be circulated for elicting the public opinion thereon.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : मुझे इस बात का खेद है कि मंत्री महोदय ने इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया है। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि उस परम्परा से चले आ रहे तरीके को नहीं त्यागना चाहिए जिस के अनुसार किसान लोग परस्पर बीजों का वितरण करते चले आये हैं।

यह मैं जरूर कहूंगा कि बीजों का परीक्षण करने तथा उस के स्तर को बनाये रखने के लिये जो व्यवस्था की जा रही है वह काफी सन्तोषजनक है। इस संदर्भ में मेरा यह भी निवेदन है कि प्रभावहीन बीजों की बिक्री भी रोकी जानी चाहिए। बीजों के परीक्षण करने तथा उन की कोटि में सुधार करने के लिए कृषि विभाग के अनुसन्धान अनुभागों के साथ प्रयोगशालाओं को लगाना चाहिए। यह सारे उद्देश्य पूरे हो जांय इस दृष्टि से इस विधेयक के प्रारूप को पुनः तैयार किया जाना चाहिए।

मुझे पता नहीं राज्य सभा के पारित रूप में दूसरे विधेयक के लिए क्या प्रक्रिया है। परन्तु मेरा यह विचार है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि बीज किस्म सुधारी जाय और बीजों का वितरण ठीक प्रकार से हो। उन्हें एक अभिकरण के स्थापित करने की कठिनाई का सामाना भी न करना पड़े। आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : यद्यपि इस विधेयक के पीछे भावना अच्छी है परन्तु इस के परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे। लोगों को इस के फलस्वरूप काफी कठिनइयों का सामना करना पड़ेगा। अनुमान यही है कि इस से किसानों को लाभ होने के स्थान पर हानि ही होगी। जो स्थिति चल रही है उस के अनुसार यह कहा जा सकता है कि यदि यह विधेयक पास हो गया तो अच्छे बीज नहीं मिलेंगे। अच्छे बीज केवल काले बाजार में ही मिल सकेंगे। इस संदर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को फसलें और बीजों की व्यवस्था के लिए बीमा प्रणाली चालू करनी चाहिए।

खंड 9, 11 और 22, 3 खंड का उपखंड (2) काफी कठिनाइयां पैदा करने वाले हैं। इस से भ्रष्टाचार के फैलने की गुंजाइश है। यद्यपि इस विधेयक का उद्देश्य किसानों की भलाई है परन्तु कुछ उपबन्धों का सम्बन्ध बीजों के व्यापारियों की तरह कुछ अन्य वर्गों के लोगों से है। कृषकों की तो उपेक्षा ही की गयी है। इस तरह से उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि यह खेदजनक बात है कि इस विधेयक के अन्तर्गत कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई जिस के अनुसार एक विशेष प्रकार की भूमि तथा जलवायु के लिए उपयुक्त

कोटि के बीजों के लिए वितरण किये जा सके। मेरा इस बारे में यही मत है कि इस विधेयक को या तो वापिस ले लिया जाय अथवा इसे जनमत के लिये परिचालित किया जाय।

Shri P. G. Sen (Purnea): I cannot make out what benefit the cultivator will derive from the Seeds Bill. If the Bill is going to provide good seeds for the cultivator, it is good, but this is not the situation. You will only have some Inspectors and the corruption will follow.

There is no doubt that India is an agricultural country and every thing should be done to improve agriculture. But unfortunately whatever we are doing will go against the interest of the agriculturists. Whatever is the production of seed multiplication farms is not available to the agriculturists. How the Government will distribute the seeds, is a matter to explore. Advantage of laboratory is also very doubtful. My suggestion is that penal clause should be dropped.

श्री दे० जी० नायक (पंचमहल) : इस विधेयक का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है परन्तु उसे प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। निरीक्षकों को बहुत अधिक अधिकार दिये गये हैं। इससे किसानों को काफी परेशानी होगी। निरीक्षकों को जो अधिकार दिए गए हैं, उस से निश्चित रूप में भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

मेरा इस सम्बन्ध में यह मत है कि विधेयक गलत ढंग से प्रारूपित किया गया है। मेरा सुझाव यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। इसे जनमत के लिए भी परिचालित किया जाना चाहिए।

मेरा यह भी सुझाव है कि प्रस्तावित समिति में किसानों के और प्रतिनिधि लिये जाने चाहियें। इस समिति को सारे राज्यों को प्रतिनिधि बनाया जाना चाहिए। बीजों की कोटि में सुधार करने के लिये जिन ढंगों को अपनाया जा रहा है वे ठीक नहीं कहे जा सकते। इस से किसानों को कठिनाई हो सकती है।

श्री पु० र० पटेल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन यह है कि संसद् यह विधेयक पारित नहीं कर सकती। कृषि राज्यों का विषय है। अनुवर्ती सूची में भी बीजों का विषय नहीं है। इस विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं चल सकती।

सभापति महोदय : इस का निर्णय तो अब सदन ही करेगा।

डा० मा० श्री० अणे : इस का निर्णय सभापति ही कर सकते हैं।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : यह विषय राज्यों का है।

श्री शाहनवाज खां : मैं इस बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय में कुछ गवेषणा केन्द्र हैं। वे बीजों की नई किस्मों का विकास करते हैं। अतः यह विषय केन्द्रीय सरकार के कार्यों के अन्तर्गत आता है।

श्री हिम्मतसिंहका (गोंडा) : यह बात स्पष्ट है कि कृषि राज्यों का विषय है अतः इस प्रकार के कानून बनाने का कोई लाभ नहीं जिसे अन्ततोगत्वा राज्यों को कार्यान्वित करना है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा): यह मामला बीजों के वितरण से सम्बन्धित है। यह भी कि यह समवर्ती सूची का मद है। पर इस के अन्तर्गत केवल बनौले ही आते हैं अन्य बीज नहीं। अतः मेरा विचार यह है कि सभा को इस विधेयक पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ : राज्य सभा में यह पारित हो चुका है, अतः इसे प्रवर समिति को नहीं सौंपा जा सकता।

श्री राने (बुलढ़ाना) मैं ब्रप्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पर अग्रेतर चर्चा किसी सुविधापूर्ण तारीख तक के लिए स्थगित की जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय मैं इस व्यवस्था प्रश्न पर कोई विनिर्णय नहीं देना चाहता। चूंकि अब प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है इसलिये इस विधेयक पर और आगे चर्चा स्थगित की जाय।

प्रश्न यह है :

"विधेयक पर अग्रेतर चर्चा किसी सुविधापूर्ण तारीख तक के लिए स्थगित की जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *The motion was adopted.*

कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक

COMPANIES (SECOND AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कम्पनी अधिनियम 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय।"

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है कि प्रतिवेदन 23 फरवरी, 1956 को सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। समिति ने अपने समक्ष आई सभी साक्षियों के आधार पर विधेयक में कुछ परिवर्तन किये हैं। उन के बारे में प्रतिवदन में विस्तार से स्पष्टीकरण भी दिया है। मैं इस मामले के विस्तार में नहीं जाऊंगा, केवल किये गये परिवर्तनों का उल्लेख मात्र करूंगा।

मेरा निवेदन यह है कि खंड 5 के अन्तर्गत किसी समवाय के मुख्य तथा सहायक उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या करने का उपबन्ध किया गया है। यह संशोधन इस प्रकार किया गया है कि यह स्पष्ट हो जाय कि नई व्यवस्था केवल उन्हीं समवायों पर लागू होगी जो संशोधन विधेयक के कानून बन कर लागू हो जाने के बाद निगमित होगी। इस के अतिरिक्त खंड 13 में बेनाम हस्तान्तरण पर प्रस्तावित निर्बन्धनों से सम्बन्धित की गयी व्यवस्था का मतलब यह है कि संशोधन अधिनियम के चालू हो जाने के समय पारिचालित बेनाम हस्तान्तरणों में होंने वाली संभव कठिनाइयों को दूर करना है। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि जिन विस्तारों की अनुमति दी जायेगी उन की संख्या के बारे में जानकारी और उन सब की अवधि वार्षिक प्रतिवेदन में दिखाई जायेगी। और यह प्रतिवेदन धारा 638 के अन्तर्गत संसद् के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जायेगी।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए
SHRI KHADILKAR *in the Chair*]

माननीय सदस्यों को खंड 15 के उपबन्ध का याद होगा। इसके अन्तर्गत किसी समवाय को एक विशेष संकट द्वारा अंशधारियों की इसके उदेश्यों के बारे में पूर्व सहमति के बिना कोई कारोबार करने की मनाई है। इसे ठीक और उचित रूप में संशोधित कर दिया गया है। यह प्रस्तावित निर्बन्धन किसी भी चालू समवाय पर लागू नहीं होंगे। केवल उस हालत में ही यह लागू होंगे जब कि समवाय कोई नया कारोबार अथवा उपक्रम करे। और वह कारोबार इस नये कानून के लागू होने के समय पर उसके किये जाने वाले कारोबार के अनुरूप हो। किसी नये समवाय के बारे में, जो कि उसके मुख्य उद्देश्य अथवा इसके प्रासंगिक अथवा सहायक उदेश्य नहीं थे, के अनुरूप कोई कारोबार आरम्भ नहीं कर सकती। बात यह है कि विधेयक के मूल खंड 26 में संशोधन किया गया है और अब यह सुझाव दिया गया है कि निरीक्षक के किसी मत निकाय से और न ही किसी साथी अथवा शाक्ति से जानकारी मांगनें के अधिकार पर रोक लगा दी जाय। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि निरीक्षक जो भी कागज पत्तर इत्यादि किसी समवाय के लिये हों वे सब छ: मास के भीतर वापिस कर दिये जांय। यदि उन किताबों अथवा कागजों की पुनः जरूरत हो तो उन्हें मांगा जा सकता है।

सयुंक्त समिति को जो अश्यावेदन दिया गया उसके अनुसार समिति ने सुझाव दिया कि उन निजी समवायों पर, जो सरकारी समवायों के सहायक नहीं है, उनके निदेशकों की आयु सीमा के बारे में प्रस्तावित प्रतिबन्ध लागू न किये जांय। इसके अतिरिक्त एक अन्य संशोधन भी किया गया है। वह यह कि किसी समवाय द्वारा यदि किसी अन्य नियमित निकाय को, जो कि उन्हीं प्रबन्धकों के अधीन नहीं है और जिसके अतन्तर्गत ऋणदाता वह समवाय है, ऋण के मामले में, जिसकी कुल राशि ऋणदाता समवाय की आमद पूंजी की कुल राशि तथा निर्बाध आरक्षित पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, अशंधारियों के विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता से मुक्त कर दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त एक यह भी उपबन्ध किया गया है जिसके अन्तर्गत समवायों को, दिये गये ऋणों को वापिस लेने अथवा दी गयी गारन्टियों तथा प्रतिभूतियों को, इस नये कानून के लागू होने के छः मास के भीतर रद्द करने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त खंड 17 और 42 को विधेयक से हटा दिया गया है। मेरे विचार में इस विधान को एक मत से स्वीकार किया जायेगा। मैं सभा से इसे स्वीकार कर लेने की सिफारिश करत हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा): मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा निवेदन यह है कि यह ठीक है कि सयुंक्त समित ने विधेयक का काफी सुधार कर दिया है, परन्तु फिर भी बार-बार इस दिशा में संशोधन करते जाना मुझे उचित नहीं जान पड़ा। यह कानून 1956 में पारित किया गया। 1960 के बाद हर वर्ष इस कानून में संशोधन ही किये जाते रहे हैं। मेरा कहना है कि हमें यह बात मालूम होनी चाहिए कि बार-बार कानून बना अथवा उनमें संशोधन करने के फलस्वरूप हमें देश में काफी अपयश मिला है। मेरा मत तो यह है कि कानून की एकरूपता जैसी कि आज देश में स्थापित हैं, अत: बार-बार कानून में संशोंधित करने की मुझे आवश्यकता

[श्री नारायण दांडेकर]

दिखाई नहीं देती। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि विवियन बोस आयोग ने इस प्रकार के अवैधानिक आचरणों पर काफी प्रकाश डाला है।

खंड 21 सबसे अधिक विवादास्पद है। उसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को व्यापक कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके आगे बहुत सा उत्तरदायित्व का भार लेखा परीक्षकों पर लादा गया है। इस तरह एक अनिश्चित सी स्थिति पैदा कर दी गयी है। इसको देखते हुए मेरा मत यह है कि इस सारे खंड को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त दूसरा आपत्तिजनक उपबन्ध यह है कि लागत लेखाओं की संविहित लेखा परीक्षा होनी चाहिए। यह एक विचित्र सुझाव है कि लागत लेखे संविहत लेखा परीक्षा के विषय होने चाहिएं। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहां किसी ऐसी व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक अथवा व्यवहारिक नहीं समझा। हमें यह बात भी जाननी चाहिए की हमारे देश के 90 प्रतिशत छोटे अथवा मध्यम स्तर के समवाय लागत लेखाओं की व्यवस्था नहीं कर पाते। अतः यह बात सचमुच उपहासजनक दिखाई देती है कि ऐसी स्थिति में लागत लेखाओं के बारे में अनिवार्य लेखा परीक्षा का सुझाव दिया जाय। ये नितांत गलत प्रक्रिया है।

इसके अतिरिक्त यह संशोधन भी विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता कि समवाय विधि सलाहकार समिति को समाप्त कर दिया जाय। मेरा निवेदन यह है कि 1956 में जिस संयुक्त समिति ने इस कानून पर विचार किया था उसके बड़े सावधानीपूर्वक विचार के बाद ही सभा ने समवाय विधि सलाहकार समिति की संस्था को मान्यता दी थी। उस समय के वित्त मंत्री ने भी इसका बड़ी दृढ़ता से समर्थन किया था। परन्तु इन वर्षों में आयोग का दृटिष्कोण यह रहा है कि इसे हटाया जाय और उद्योग तथा सरकार आहिस्ता आहिस्ता इसी मत के होते दिखाई दे रहे हैं।

ऐसा लगता है कि खड 56 का उदेश्य किसी शक्ति को संरक्षण देना है। उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त उस व्यक्ति का नाम प्रकट करना जरूरी नहीं है। मेरे विचार में यह उपबन्ध खतरनाक है। धोखा देने वालों और सूचना देने वालों को एक जैसा संरक्षण देना बिल्कुल तर्कहीन बात है। इससे सरकार उपहास का ही विषय बनेगी। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा विदेशी विनिमय भी बहुत खतरनाक स्थित में है। मेरे विचार में इस विधेयक को और आगे ले जाने से पूर्व विचार कर लेना चाहिए। इससे पारित करना खतरे से खाली नहीं।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : मेरा निवेदन है कि सभा को इस इस विधेयक पर विचार करते हुए भिन्न दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। समय समय पर समवाय अधिनियम का संशोधन हुआ है। 1956 में इस का पुनिर्माण हुआ था। 1960 में उसमें भारी संशोधन हुए और फिर प्रत्येक वर्ष उसमें संशोधन होते रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि प्रस्तावित संशोधन काफी अच्छे हैं। इससे सम्भावना है कि बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। वे कठिनाइयां जो कि समवाय प्रायः महसूस करते है। इस पर भी कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जो कि न केवल आनावश्यक हैं प्रत्युक्त उनके कार्यान्वित करने से काफी गहन कठिनाइयों के पैदा हो जाने का डर है।

खंड 5, को ले लीजिए। इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि जब किसी समवाय का निर्माण हो तो उसका मुख्य उद्देश्य अन्य उद्देश्यों से अलग रखा जाना चाहिए। यह नितान्त अनावश्यक उपबन्ध है। कोई नहीं जानता कि इससे समवाय के अच्छे प्रबन्ध में कैसे सहायता मिल सकती है। इसी

तरह खंड 5 (क) है। इसके अन्तर्गत की गई व्यवस्था भी नितान्त अनावश्यक है। इससे लाभ होने के स्थान पर नयी-नयी कठिनाइयां पैदा होंगी।

खंड 15 के अन्तर्गत जो उपबन्ध निर्माण किया गया है उसकी बात भी समझ में आने वाली नहीं। इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि समवाय काम आरम्भ करने से पूर्व अंश धारियों द्वारा अनिवार्य रूप से एक संकल्प पारित करने की कहे। इसके क्या लाभ होने वाला है। मेरा निवेदन यह भी है कि खंड 35 को भी निकाल दिया जाना चाहिए। यह गलत बात है कि कोई व्यक्ति 15 वर्ष की आयु हो जाने पर किसी समवाय का संचालक रहने का अधिकारी नहीं होगा। यदि आयु सीमा रखनी ही है तो खंड 282 के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था हो सकती है।

मेरा यह भी निवेदन है कि खंड 44 के अन्तर्गत प्रस्तावित उपबन्ध को कानून का अंग बना दिया जाये, तो इस से हानि होगी। एक समवाय को जो दूसरे समवाय से सहायता मिल जाती है वह समाप्त हो जायेगी। इसका अर्थ यह होगा कि समवायों को काफी कठिनाई का सामना करना होगा। उनका काम चलना ही कठिन हो जायेगा। इस अधिनियम के उपबन्धों का किसी ने दुरुपयोग किया हो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 19 अगस्त, 1965/ श्रावण, 28, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, 19th August, 1965|Sravana 28, 1887 (Saka).

GMGIPND—L S III—1463 (Ai) LS—4-2-66—600.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]